

# प्राधिकरण बोर्ड की 171वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची




- तिथि :- 08 जून, 2021
- समय :- अपराह्न 04.00 बजे
- स्थान :- 11वें तल स्थित सभागार, न्यू बिल्डिंग,  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 171वीं बैठक दिनांक 22.05.2021  
में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची**

क्र०	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11.12.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	06
03	परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित आय-व्ययक से सम्बन्धित पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	12
04.	कोविड-19 के दृष्टिगत सम्पत्तियों की किशतों पर ब्याज दरों के सम्बन्ध में।	56
05.	प्राधिकरण के रिक्त फ्लैटों को एकमुश्त विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	59
06.	रिट याचिका संख्या-34161/2018 (पी0आई0एल0 सिविल) विनोद कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 30.11.2018 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित सकल्प के अनुपालन के सम्बन्ध में।	60
07.	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	70
08.	मे० रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा ग्राम-मल्हपुर, परगना, तहसील व जनपद-लखनऊ के गाटा संख्या-417स क्षेत्रफल 0.2439 हे० भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	84
09.	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता संबंधी अधिसूचना दिनांक 08.07.2016 में संशोधन/पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में।	97
10.	विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र/तलपट मानचित्र एवं भू-उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पक्ष/आवेदक पर अधिरोपित किये जाने वाले दर/शुल्क का पुर्न-निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	112
11.	लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	114
12.	बटलर पार्क को वीरागंगा उदा देवी पार्क के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।	125

13.	गोमती नगर विस्तार एवं जानकीपुरम्/जानकीपुरम् विस्तार योजना के 18 मीटर एवं उससे चौड़ी सड़कों को अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।	128
14.	लखनऊ शहर के विकास हेतु सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	130
15.	परिचालन के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने विषयक पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	134
16.	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	143
17.	मेसर्स राजयोग एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा ग्राम-मोअज्जमनगर, खसरा संख्या-4 पार्ट, खसरा-7, खसरा-2ख पर लॉजिंग/बोर्डिंग हाउस के सम्बन्ध में।	151
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।



लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11.12.2020 का कार्यवृत्त दिनांक 29.12.2020 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 11.12.2020 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक दिनांक  
11 दिसम्बर, 2020 का कार्यवृत्त

02

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

01. श्री अभिषेक प्रकाश	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
02. श्री अनिल कुमार सिंह	संयुक्त आवास आयुक्त, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
03. श्री के0पी0 सिंह	अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ।
04. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05. श्री अमित कुमार	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
06. सुश्री रेखा श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त, उद्योग, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
07. श्री विशाल भारती	सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
08. श्री सौरभ श्रीवास्तव	परियोजना प्रबन्धक, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
09. श्री गयूर अहमद	परियोजना अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
10. श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
11. श्री प्रदीप भार्गव	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति:-

13. श्री पवन कुमार गंगवार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14. श्री अनिल भटनागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15. श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16. श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17. श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18. श्रीमती ऋतु सुहास	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19. श्री डी0एम0 कटियार	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20. श्री धर्मन्द्र कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21. श्री अवधेश तिवारी	अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
170/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
170/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:- <ul style="list-style-type: none"> <li>बसंतकुंज हरदोई रोड योजना के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में दी गई प्रतिकर धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किये जाने व</li> </ul>

*रंजन*

		<p>अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) से समन्वय किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि लैण्ड पूलिंग के माध्यम से लिये जाने की कार्यवाही में अपेक्षित गति लाये जाने के निर्देश दिये गये। ताकि शीघ्र लैण्ड पूलिंग की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। साथ ही मे0 सहारा द्वारा उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में क्रय की गई भूमि को भी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के निर्देश दिये गये।</li> <li>● जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या -04 (बेसमेन्ट) के मद में वांछित/अवशेष धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पुनः सुसंगत मानकों/नियमों के अन्तर्गत गणना किये जाने के निर्देश दिये गये।</li> <li>● गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन (Deviation) के कारणों के सम्बन्ध में एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण करने के साथ-साथ आगामी बोर्ड बैठक में वांछित विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</li> </ul>
170/3	भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ की सामुदायिक भवन हेतु खतौनी संख्या-1077, 1078, 1079, 1080, 1081 कुल 4.0270 हे0 भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ की ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित भूमि खसरा संख्या-1077, 1078, 1079, 1080, 1081 कुल 4.0270 हे0 का भू-उपयोग "पर्यावरण पार्क (मनोरंजनात्मक)" से "सामुदायिक भवन (सुविधाएं)" में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
170/4	भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ की विद्यालय हेतु खतौनी संख्या-1062, 1063, 1065, 1026, 1103ख कुल 4.5150 हे0 भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ की ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित भूमि खसरा संख्या-1062, 1063, 1065, 1026, 1103ख का भू-उपयोग "पर्यावरण पार्क (मनोरंजनात्मक)" से "विद्यालय (सुविधाएं)" में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
170/5	गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल 1674.38 वर्गमी0) का भू-उपयोग ओपेन स्थल से विद्युत सब-स्टेशन तथा विशेष खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल-764.00 वर्गमी0) का भू-उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में बस-वे से विद्युत सब-स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल 1674.38 वर्गमी0) का भू-उपयोग "ओपेन स्थल" से "विद्युत सब-स्टेशन" तथा विशेष खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल-764.00 वर्गमी0) का भू-उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में "बस-वे" से "विद्युत सब-स्टेशन" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रमोद

170/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पुर्नपरीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
170/7	ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या-68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा का निर्माण कर भूमि का मूल्य नगर निगम, लखनऊ/उ0प्र0 शासन से प्राप्त कर निर्माण के पश्चात् रख-रखाव व आवर्ती व्यय हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या-68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा निर्माण के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगर निगम के स्वामित्व वाली दुर्गापुरी मेट्रो (पूर्व में स्थापित चुंगी) के पास स्थित भूमि रैन बसेरा निर्माण हेतु उपयोग की जा सकती है, जिसमें बेहतर सुविधायुक्त स्टेट ऑफ मॉडल मल्टीस्टोरी रैन बसेरा का निर्माण किया जा सकता है। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा रैन बसेरा निर्माण हेतु उक्त भूमि के उपयोग हेतु सर्वे/परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
170/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों को संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित 15 पार्किंग में से पार्कों के पार्किंग स्थलों को छोड़कर मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज, सरोजनी नायडू पार्क भूमिगत पार्किंग, चन्द्र नगर आलमबाग भूमिगत पार्किंग, भूतनाथ मार्केट भूमिगत पार्किंग, गोल मार्केट महानगर स्थित भूमिगत पार्किंग, महानगर स्थित फातिमा हॉस्पिटल के सामने की पार्किंग नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। हस्तांतरित करने के उपरान्त उक्त पार्किंग स्टैण्डों के सम्बन्धित समस्त करों की देयता, बिजली बिल, अनुरक्षण, रख-रखाव, फायर फाईटिंग सिस्टम, गृहकर तथा अन्य व्यय की देयता का वहन नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
<b>अनुपूरक विषय</b>		
अनु0वि0 170/1	जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि (खसरा संख्या-01 (भाग) मोहल्ला-किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0) पर मल्टी-लेवल पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण कराये जाने हेतु उक्त नजूल भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से वापस लेकर लखनऊ	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि (खसरा संख्या-01 (भाग) मोहल्ला-किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0) पर मल्टीलेवल पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण कराये जाने हेतु उक्त नजूल भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से वापस लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते

*पुस्तक*

	विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	हुए शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।
अनु०वि० 170/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम निवास मौर्या एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड-पे, भवन किराया भत्ता एवं एन०पी०ए० भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालकों (श्री राम निवास मौर्या एवं श्री सुनील यादव) को अन्य 16 मृतक आश्रित संविदा कार्मिकों की भांति नियमित वेतनमान व अन्य भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।




(पवन कुमार गंगवार)  
सचिव, ल०वि०प्रा०,  
लखनऊ।



(अभिषेक प्रकाश)  
उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०,  
लखनऊ।

अनुमोदित

  
(रंजन कुमार)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।



विषय:— लखनऊ विकास प्राधिकरण की 170वीं बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

अनुपालन

नोट किया गया।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:—

- बसंतकुंज हरदोई रोड योजना के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में दी गई प्रतिकर धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किये जाने व अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) से समन्वय किये जाने के निर्देश दिये गये।
- सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि लैण्ड पूलिंग के माध्यम से लिये जाने की कार्यवाही में अपेक्षित गति लाये जाने के निर्देश दिये गये। ताकि शीघ्र लैण्ड पूलिंग की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। साथ ही मे0 सहारा द्वारा उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में क्रय की गई भूमि को भी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या-04 (बेसमेन्ट) के मद में वांछित/अवशेष धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पुनः सुसंगत मानकों/नियमों के अन्तर्गत गणना किये जाने के निर्देश दिये गये।
- गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन (Deviation) के कारणों के सम्बन्ध में एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण करने के साथ-साथ आगामी बोर्ड बैठक में वांछित विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन :

- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में अवगत कराना है कि हरदोई रोड, कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज योजना) के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में दी गई प्रतिकर धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय पत्र संख्या-124/एसी/तह0/2021 दिनांक 22.02.2021 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा अपने पत्र संख्या-318/8-अ.जि.अ.(भू.अ.)/न.म.पा.-प्रथम/लखनऊ दिनांक 24.02.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "प्रश्नगत योजना में भुगतान की गई धनराशि की सूचना की प्रति विकास प्राधिकरण को पृष्ठांकित की जाती है। इस कार्यालय के पत्र संख्या-1071 दिनांक 24.07.2020 द्वारा वितरित धनराशि रू0 1,14,75,00,000.00 के भुगतान की सूचना उपलब्ध कराई गई थी। उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या-1355 दिनांक 13.11.2020 द्वारा वितरित धनराशि रू0 1,24,75,00,000.00 तथा अवशेष धनराशि रू0 25.00 करोड़ की मांग की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है।

अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा प्रेषित मांग-पत्र दिनांक 24.02.2021 में वांछित धनराशि के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।

- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि लैण्ड पूलिंग के माध्यम से लिये जाने हेतु तहसील/अभियंत्रण खण्ड/अर्जन अनुभाग द्वारा सामुदायिक केन्द्र, पंचायत भवन व प्राथमिक विद्यालय में संयुक्त टीम के साथ उपस्थित होकर काश्तकारों से वार्ता की जा रही है।
- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में उक्त दुकान की गणना के सम्बन्ध में पुनः जांच करवाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त दुकान/गोदाम संख्या-04 (बेसमेन्ट) की सुसंगत मानकों/नियमों के अन्तर्गत गणना की जांच करने के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।
- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य के विचलन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें अतिरिक्त कराये गये कार्य एवं कराये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। कार्य के अनुबंधित वर्ष 2013-14 के अनुसार पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0-2013 व डी0एस0आर0-2014 के अनुसार प्रस्ताव/विचलन तैयार किया गया है। पूर्व बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आगामी बोर्ड बैठक हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।

विषय संख्या : 3

भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ की सामुदायिक भवन हेतु खतौनी संख्या-1077, 1078, 1079, 1080, 1081 कुल 4.0270 हे० भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ की ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित भूमि खसरा संख्या- 1077, 1078, 1079, 1080, 1081 कुल 4.0270 हे० का भू-उपयोग "पर्यावरण पार्क (मनोरंजनात्मक)" से "सामुदायिक भवन (सुविधाएं)" में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या-1215/सचिव/सी०टी०पी०/2021 दिनांक 12.01.2021 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 4

भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ की विद्यालय हेतु खतौनी संख्या-1062, 1063, 1065, 1026, 1103ख कुल 4.5150 हे० भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ की ग्राम-सरसवां, सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित भूमि खसरा संख्या-1062, 1063, 1065, 1026, 1103ख का भू-उपयोग "पर्यावरण पार्क (मनोरंजनात्मक)" से "विद्यालय (सुविधाएं)" में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या-1216/सचिव/सी०टी०पी०/2021 दिनांक 12.01.2021 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 5

गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल 1674.38 वर्गमी०) का भू-उपयोग ओपेन स्थल से विद्युत सब-स्टेशन तथा विशेष खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल-764.00 वर्गमी०) का भू-उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में बस-वे से विद्युत सब-स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल 1674.38 वर्गमी०) का भू-उपयोग "ओपेन स्थल" से "विद्युत सब-स्टेशन" तथा विशेष

खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल-764.00 वर्गमी0) का भू-उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में "बस-वे" से "विद्युत सब-स्टेशन" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में उक्त स्थलों के संशोधित तलपट मानचित्र पर अभियंत्रण खण्ड जोन-1 द्वारा सत्यापनोपरान्त उक्त तलपट मानचित्र पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

विषय संख्या : 6

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पुर्नपरीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 7

ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या-68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा का निर्माण कर भूमि का मूल्य नगर निगम, लखनऊ/उ0प्र0 शासन से प्राप्त कर निर्माण के पश्चात् रख-रखाव व आवर्ती व्यय हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या-68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा निर्माण के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगर निगम के स्वामित्व वाली दुर्गापुरी मेट्रो (पूर्व में स्थापित चुंगी) के पास स्थित भूमि रैन बसेरा निर्माण हेतु उपयोग की जा सकती है, जिसमें बेहतर सुविधायुक्त स्टेट ऑफ मॉडल मल्टीस्टोरी रैन बसेरा का निर्माण किया जा सकता है। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा रैन बसेरा निर्माण हेतु उक्त भूमि के उपयोग हेतु सर्वे/परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-1542 /का0त0/21 दिनांक 17.01.2021 द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या 2025/9-7-13-134(एल)/13 दि0 27.03.2014 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 सदर की बैठक दिनांक

30.03.2015 में मद सं०-05 पर पारित संकल्प सं०-103 द्वारा उक्त भूमि पर पी०पी०पी० आधार पर डी०बी०एफ०ओ०टी० के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण/होटल की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा दि० 23.08.2016 को निविदाएं प्राप्त की गयी तथा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है, जिस कारण ल०वि०प्रा० द्वारा प्रस्तावित रैन बसेरा निर्माण हेतु नगर निगम स्वामित्व की दुर्गापुरी मेट्रो के पास स्थित भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में रैन बसेरा के लिए अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

**विषय संख्या : 8**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों को संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित 15 पार्किंग में से पार्कों के पार्किंग स्थलों को छोड़कर मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज, सरोजनी नायडू पार्क भूमिगत पार्किंग, चन्दर नगर आलमबाग भूमिगत पार्किंग, भूतनाथ मार्केट भूमिगत पार्किंग, गोल मार्केट महानगर स्थित भूमिगत पार्किंग, महानगर स्थित फातिमा हॉस्पिटल के सामने की पार्किंग नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

हस्तांतरित करने के उपरान्त उक्त पार्किंग स्टैण्डों के सम्बन्धित समस्त करों की देयता, बिजली बिल, अनुरक्षण, रख-रखाव, फायर फाईटिंग सिस्टम, गृहकर तथा अन्य व्यय की देयता का वहन नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

**अनुपालन :**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में अवगत कराना है कि 15 पार्किंग में से पार्कों के पार्किंग स्थलों को छोड़कर मल्टीलेवल पार्किंग हजरतगंज, सरोजनी नायडू पार्क भूमिगत पार्किंग, चन्दर नगर आलमबाग भूमिगत पार्किंग, भूतनाथ मार्केट भूमिगत पार्किंग, गोल मार्केट महानगर स्थित भूमिगत पार्किंग, महानगर स्थित फातिमा हॉस्पिटल के सामने की पार्किंग नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम एवं प्राधिकरण की टीम द्वारा सभी छः पार्किंग स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। पार्किंग में लगी सामग्री की इन्वेंट्री नगर निगम को सौंप दी गयी है, जिस पर कतिपय शर्तों के साथ, जहां है—जैसा है, के आधार पर नगर निगम द्वारा औपचारिक रूप से उक्त हस्तांतरण प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0वि0सं0 : 1

जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि (खसरा संख्या-01 (भाग) मोहल्ला-किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0) पर मल्टी-लेवल पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण कराये जाने हेतु उक्त नजूल भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से वापस लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि (खसरा संख्या-01 (भाग) मोहल्ला-किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0) पर मल्टीलेवल पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण कराये जाने हेतु उक्त नजूल भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से वापस लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में अनुमोदित प्रस्ताव पत्र संख्या-20/तह0न0कै0/2021 दिनांक 14.01.2021 के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया है।

अनु0वि0सं0 : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम निवास मौर्या एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड-पे, भवन किराया भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालकों (श्री राम निवास मौर्या एवं श्री सुनील यादव) को अन्य 16 मृतक आश्रित संविदा कार्मिकों की भांति नियमित वेतनमान व अन्य भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

विषय संख्या : 03

पृष्ठ संख्या : 12

विषय : परिचालन के माध्यम से पारित प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित आय-व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।

प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित आय-व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 सदस्यों द्वारा परिचालन के माध्यम से पारित किया गया था, जो पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

13.-

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री प्रदीप भार्गव, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
14. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
15. श्री राम कृष्ण यादव, पार्षद, नगर निगम/सदस्य, ल०वि०प्रा०।
16. श्री राघव राम तिवारी, पार्षद, नगर निगम/सदस्य, ल०वि०प्रा०।
17. श्री संजय सिंह राठौर, पार्षद, नगर निगम/सदस्य, ल०वि०प्रा०।
18. श्री मुसव्विर अली "मंशू", पार्षद, नगर निगम/सदस्य, ल०वि०प्रा०।

पत्रांक— 157/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2020-21

दिनांक : 24/3/2021

विषय:— परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक निकट भविष्य में होनी सम्भावित नहीं है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमानित आय-व्ययक की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि कृपया परिचालन के माध्यम से अपना मन्तव्य अंकित करने का कष्ट करें:-

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)  
सचिव

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण/  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।





# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

14

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, उ०प्र० शासन,  
लखनऊ।

.....  
.....

प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

.....

महानिदेशक,  
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

.....  
.....

आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

.....  
.....

जिलाधिकारी,  
लखनऊ।

.....  
.....

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

.....  
.....

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
लखनऊ।

.....  
.....

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उ०प्र०।

.....  
.....

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।

.....

संयुक्त आयुक्त,  
उद्योग, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

.....  
.....

श्री प्रदीप भार्गव,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

.....  
.....



उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

श्री पी०एन० सिंह,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।


श्री पुष्कर शुक्ला,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

श्री राम कृष्ण यादव,  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

श्री राघव राम तिवारी,  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

श्री संजय सिंह राठौर,  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

श्री मुसव्विर अली "मंशू",  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।





विषय संख्या :


पृष्ठ संख्या :

विषय: प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित आय-व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।


लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशापी निकाय के रूप में की गयी है, जिसका मुख्य क्रिया कलाप शहर का सुनियोजित विकास करना, अवस्थापना सुविधायें अनुमन्य कराया जाना, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति तथा उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग तक के जनमानस को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही साथ शासन द्वारा आवंटित धनराशि से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण/विकास कार्य किया जाना है। उक्त कार्यों को सुगमता एवं गुणवत्तापरक रूप से निष्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-21 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित आय-व्ययक जिसमें राजस्व आय ₹0-293.50 करोड़, पूँजीगत आय ₹0-1875.53 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व आय के अन्तर्गत मुख्य रूप से किराये से प्राप्ति, 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क, मानचित्रों की स्वीकृति से प्राप्ति, विभिन्न पुस्तिकाओं/टेण्डर की बिक्री से प्राप्ति आदि मद सम्मिलित हैं। इसी प्रकार पूँजीगत आय के अन्तर्गत सम्पत्तियों के आवंटन, पंजीकरण, फ्लैट्स की बिक्री, भूमि/भवन के निस्तारण, बल्कसेल, नीलामी से प्राप्ति तथा शासकीय कार्यों से प्राप्ति सम्मिलित है। अन्य प्राप्ति के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन/वाहन अग्रिम की वापसी से ब्याज की प्राप्ति, सेन्टेज से आय आदि सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यय पक्ष में अनुमानित राजस्व व्यय ₹0-208.36 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय में ₹0-1711.08 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतन, विज्ञापन, डीजल, पेट्रोल, कार्यालय अनुसूक्षण, स्टोर सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि सम्मिलित है। पूँजीगत व्ययों में भूमि अर्जन, विकास कार्यों पर व्यय तथा शासकीय कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले निर्माण एवं विकास व्यय सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 माह दिसम्बर-2020 तक वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुमानित प्राप्ति ₹0-2169.03 करोड़ एवं अनुमानित व्यय ₹0-1919.44 करोड़ का आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
 वित्त नियंत्रक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक  
एवं  
वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित आय-व्ययक



लखनऊ विकास प्राधिकरण  
शहर के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध



## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ बजट वर्ष 2021-22

### 1. प्राधिकरण का गठन एवं उद्देश्य:

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-(4) के अन्तर्गत किया गया है तथा धारा-4 (3) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-7 के अधीन प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत एवं विकास करना तथा इस उद्देश्य से भूमि एवं सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने, प्रबन्ध करने एवं निस्तारित करने, भवन निर्माण, अभियंत्रण, जल, विद्युत एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की शक्ति है। प्राधिकरण बोर्ड का गठन निम्नवत् है:-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य (पदेन)
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य (पदेन)
5. जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य (पदेन)
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य (पदेन)
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन	सदस्य (पदेन)
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, (जिसकी स्थापना जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज एक्ट 1975 के अन्तर्गत हुई)	सदस्य (पदेन)
9. नगर निगम द्वारा चयनित पार्षद/सदस्य	सदस्य (पदेन)

## 2. प्राधिकरण के कार्य कलाप

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण को विशेष रूप से निम्नांकित कार्यवाही करनी होती है:-

1. भूमि अर्जन।
2. भूमि विकास।
3. आवासीय भवनों/दुकानों तथा व्यावसायिक केन्द्रों का निर्माण।
4. भूमि विकास एवं निर्माण विनियम का पालन सुनिश्चित करना।
5. शासन के निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध।
6. पार्कों का निर्माण/सौन्दर्यीकरण/रख-रखाव तथा वृक्षारोपण।
7. शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

3. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-21 में प्राधिकरण द्वारा प्राक्कलन प्राप्ति एवं व्यय को दर्शित करते हुए आगामी अगले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आय-व्यय लेखा प्रस्तुत करने का प्राविधान है, उक्त प्राविधान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुमानित आय-व्ययक प्रस्तुत है।

## आय-पक्ष

### राजस्व एवं पूँजीगत

#### राजस्व आय:

राजस्व लेखे की आय पक्ष में प्राधिकरणको फ्री-होल्ड शुल्क, लीज रेण्ट, 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टेम्प ड्यूटी से प्राप्त, विनियोग से प्राप्त ब्याज तथा भवन विभाग की आय तथा विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की विक्री व पार्कों से आय आदि सम्मिलित है।

किराये की मद में लीज किराया, भवनों, दुकानों के किराये शामिल हैं। इसके प्राविधान पूर्व वित्तीय वर्ष के वास्तविक प्राप्ति, बकाया तथा बजट वर्ष की मांग पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मद हेतु रु0-76.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके सापेक्ष रु0-15.90 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद से रु0-71.00 करोड़ की आय का प्रस्ताव रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्टेम्प ड्यूटी के मद में रु0-25.00 करोड़ की आय का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्टेम्प ड्यूटी से रु0-25.00 करोड़ तथा वाटर सीवर चार्ज/विनियोजन/अन्य ब्याज के मद में भी रु0-21.50 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

भवन नियंत्रण विभाग से मानचित्र, समाधान शुल्क, लाइसेन्स फीस, विकास, वाह्य विकास तथा मलवा चार्ज की मदों से आय प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भवन विभाग से आय प्राप्त करने हेतु रु0-135.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रु0-39.48 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भवन विभाग के विभिन्न मदों से आय प्राप्त करने हेतु रु0-140.50 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।

विभिन्न प्रपत्रों की विक्री एवं नजूल पार्कों तथा अन्य आय के मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु0-33.00 करोड़ प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0-13.62 करोड़ की आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0-35.50 करोड़ की आय का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार राजस्व के मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में कुल प्रस्तावित आय रु0-295.50 करोड़ के सापेक्ष रु0-70.79 करोड़ की आय प्राप्त हुई इसके दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0-293.50 करोड़ की आय का प्राविधान रखा गया है।

### पूँजीगत आय:

पूँजीगत आय की मद में भूमि, भवन, व्यावसायिक केन्द्र की दुकानों की बिक्री, शासन एवं संस्थागत ऋणों की प्राप्ति दर्शायी जाती है। वर्तमान वर्ष में देय किश्तों की मांग तथा पूर्व वर्ष की बकाया धनराशि तथा बजट वर्ष में नई मांग को ध्यान में रखकर बजट प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कानपुर रोड योजना, गोमती नगर विस्तार, मानसरोवर एवं जानकीपुरम विस्तार, सनराइज, सृष्टि अपार्टमेंट, सुलभ आवास, पंचशील अपार्टमेंट, पारिजात अपार्टमेंट, सोपान अपार्टमेंट, देवपुर पारा में बहुमंजिलीय आवासीय योजना एवं सरयू अपार्टमेंट, जनेश्वर इन्वलेव, सरगम अपार्टमेंट, शारदा नगर में बहुमंजिलीय आवासीय योजना आदि की योजनाओं में आय प्राप्त होना प्रस्तावित है।

आवासीय भूखण्डों की बिक्री/किश्तों से आय के मद में वर्ष 2020-21 में ₹0-250.00 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-11.48 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद से ₹0-250.00 करोड़ की आय का बजट में प्रस्ताव किया गया है।

व्यावसायिक भूखण्डों की किश्तें/बिक्री, बल्क सेल मद में वर्ष 2020-21 में ₹0-300.00 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-71.42 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद से ₹0-350.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

भवनों की किश्तों/बिक्री से प्राप्त होने वाली आय की मद में वर्ष 2020-21 में ₹0-150.00 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके ₹0-137.87 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सनराइज, सृष्टि अपार्टमेंट, सुलभ आवास, पंचशील अपार्टमेंट, पारिजात अपार्टमेंट, सोपान अपार्टमेंट, कल्पतरु अपार्टमेंट, देवपुर पारा में बहुमंजिलीय आवासीय योजना एवं सरयू अपार्टमेंट, जनेश्वर इन्वलेव, सरगम अपार्टमेंट आदि से ₹0-175.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों/होटल से प्राप्ति मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में ₹0-20.00 करोड़ का प्रस्ताव के साथ ही साथ किराये की सम्पत्ति की बिक्री मद में ₹0-1.00 करोड़ की आय प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। इसके अतिरिक्त चक गंजरिया परियोजना में एल0आई0जी0/ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की बिक्री एवं भूमि की बिक्री से क्रमशः ₹0-20.00 करोड़ व ₹0-250.00 करोड़ की आय प्रस्तावित की गयी है।

पूँजीगत लेखे की प्रमुख मद पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय है। वर्ष 2020-21 में ₹0-200.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-19.53 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नई योजनाओं के पंजीकरण खोले जाने हैं जिससे ₹0-250.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त शासन से डिपॉजिट कार्य हेतु प्राप्त आय के मद में वर्ष 2021-22 में ₹0-431.73 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।



## व्यय-पक्ष

### राजस्व एवं पूँजीगत

#### राजस्व व्यय:

राजस्व व्यय के अर्न्तगत अधिष्ठान के वेतन भत्तों का भुगतान तथा प्रकीर्ण व्यय की मदों पर व्यय हेतु वर्ष 2020-21 में ₹0-205.73 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-118.89 करोड़ का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिष्ठान के वेतन भत्तों का भुगतान तथा प्रकीर्ण व्यय की मदों पर ₹0-198.26 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव आय-व्ययक में रखा गया है। इसके अतिरिक्त सर्वे कार्य एवं सेन्टेज व अन्य व्ययों में क्रमशः ₹0-0.10 लाख व ₹0-3.00 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

#### पूँजीगत व्यय:

##### 1. भूमि अर्जन:

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है उसका प्रतिकर व भूमि क्रय का भुगतान इस मद से किया जाता है। वर्ष 2020-21 में इस मद हेतु ₹0-525.00 करोड़ का बजट प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-16.01 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किया जाना प्रस्तावित है। भूमि का प्रतिकर एवं भूमि क्रय में क्रमशः ₹0-50.00 करोड़ व ₹0-25.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान किया गया है।

##### 2. मशीनरी एवं संयंत्रों/फर्नीचर का क्रय

इस मद में वर्ष 2020-21 में कुल प्राविधान ₹0-1.70 करोड़ प्रस्तावित था इसके सापेक्ष ₹0-0.65 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त मद में ₹0-2.20 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

### 3. विकास तथा अनुरक्षण कार्य

गोमती नगर विस्तार योजना, हरदोई रोड योजना, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम विस्तार, तथा अन्य विभिन्न योजनाओं में चल रहे विकास कार्यों को पूर्ण किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास कार्य तथा अनुरक्षण हेतु ₹0-422.31 करोड़ का प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-122.59 करोड़ का व्यय हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0-412.58 करोड़ विकास कार्यों एवं अनुरक्षण पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सामान्य योजनाओं में विकास कार्यों के अतिरिक्त, योजनाओं तथा अन्य स्थानों पर मनोरंजन स्थल, सौन्दर्यीकरण, पार्कों का विकास करने के उद्देश्य से निकटवर्ती ग्रामों के विकास इत्यादि हेतु प्रविधान प्रस्तावित किये गये है। नगर के विकास के लिए अवस्थापना निधि से कार्य कराये जाने हेतु विकास कार्यों की मद के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ₹0-100.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

### भवन निर्माण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की उपलब्धता की कमी को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया जाय, तदनुसार प्राधिकरण द्वारा मानसरोवर योजना, सीतापुर रोड तथा हरदोई रोड योजना में उपलब्ध भूखण्डों पर बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु सुलभ आवास, सनराइज अपार्टमेंट, सृष्टि अपार्टमेंट तथा कबीर नगर (देवपुर पारा), समाजवादी लोहिया आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु भारत की ख्याति प्राप्त कम्पनियों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त कम्पनियों से निर्माण कार्य कराये जाने से जनमानस में प्राधिकरण के प्रति अधिक विश्वास बढ़ा है। वर्तमान वर्ष 2021-22 में रिक्त सम्पत्तियों एवं नई योजनाओं का पंजीकरण खोलने का प्रस्ताव है।

प्राधिकरण द्वारा भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 में ₹0-442.43 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-163.88 करोड़ व्यय हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु ₹0-442.73 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

### शासकीय/डिपार्जिट कार्य:


प्राधिकरण अपनी योजनाओं के विकास कार्य एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त शासन की योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं के डिपार्जिट कार्यों (निर्माण कार्य) को भी बजट में प्राविधानित किया गया है। वर्ष 2020-21 में इस मद में रु0-566.23 करोड़ का व्यय प्राविधानित किया गया था जिसके सापेक्ष रु0-57.63 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन के कार्य, डिपार्जिट कार्यों के साथ पूर्व के शासन/डिपार्जिट कार्यों/चक गंजरिया हेतु रु0-566.57 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूंजीगत व्यय में मुख्य कार्यों लखनऊ का समय विकास, सी0जी0 सिटी (चक गंजरिया) योजना, पुराने लखनऊ का विकास कार्य आदि का प्राविधान किया जा रहा है।


वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक

तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्ताविक आय-व्ययक

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
		2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6
1	प्रारम्भिक अवशेष	258.14	323.63	378.87	173.72
2	राजस्व आय	161.06	295.50	70.79	293.50
3	पूँजीगत आय	936.92	2,035.09	263.50	1,875.53
4	कुल आय (2+3)	1,097.98	2,330.59	334.29	2,169.03
	योग (1+4)	1,356.12	2,654.22	713.16	2,342.75
5	राजस्व व्यय	200.02	220.83	121.55	208.36
6	पूँजीगत व्यय	777.23	2,259.67	421.73	1,711.08
7	कुल व्यय (5+6)	977.25	2,480.50	543.28	1,919.44
8	अन्तिम अवशेष	378.87	173.72	169.88	423.31
	योग (7+8)	1,356.12	2,654.22	713.16	2,342.75

  
(राजीव कुमार सिंह)  
वित्त नियंत्रक

  
(पवन कुमार गंगवार)  
सचिव

आय पक्ष

राजस्व आय

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
10		किराया				
1	101	लीज रेण्ट/फ्री होल्ड शुल्क	22.21	60.00	14.54	60.00
2	102	भवनो/दुकानों/कार्यालय भवनों का किराया	0.68	2.00	0.18	2.00
3	103	सामुदायिक केन्द्रों का किराया	0.96	4.00	0.19	2.00
4	104	इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान से आय	9.78	10.00	0.99	7.00
		योग	33.63	76.00	15.90	71.00
5	20	स्टाम्प ड्यूटी से आय	-	25.00	-	25.00
6	30	योजनाओं के वाटर/सीवर कनेक्शन चार्ज	0.92	1.50	0.46	1.50
7	40	विनियोगों पर ब्याज तथा अन्य ब्याज	22.39	25.00	1.33	20.00
		योग	23.31	51.50	1.79	46.50
50		भवन विभाग से आय				
8	501	मानचित्र शुल्क	3.10	9.00	4.29	8.00
9	502	लेवी चार्ज	4.41	5.00	2.66	6.00
10	503	समाधान शुल्क (कम्पाउन्डिंग)	4.17	10.00	10.68	12.00
11	504	लाइसेन्स शुल्क	0.01	1.50	3.71	1.50

12	505	सुपरवीजन चार्ज		3.93	7.00	2.86	7.00
13	506	विकास शुल्क/नगरीय विकास/वाह्य विकास शुल्क/ सुदृढीकरण		30.34	60.00	11.01	60.00
14	507	मलवा चार्ज		2.14	3.00	1.01	3.00
15	508	एफ0ए0आर0 की बिक्री		28.39	30.00	0.69	30.00
16	509	सब डिबीजन चार्ज		0.39	2.00	0.63	2.00
17	510	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क		-	5.00	-	5.00
18	511	बन्धा निर्माण शुल्क		0.92	2.50	0.10	2.50
19	512	अवैध निर्माण/अतिक्रमण/ध्वस्तीकरण से आय		-	-	-	1.00
20	513	सुदृढीकरण शुल्क		4.80	-	1.84	2.50
			योग	82.60	135.00	39.48	140.50
	60	अन्य आय/विभिन्न प्रपत्रों से आय					
21	601	रजिस्ट्रेशन प्रपत्रों/नक्शों की बिक्री से आय		1.54	3.00	0.21	4.00
22	602	टेकेबार पंजीकरण शुल्क		0.50	1.00	0.52	1.50
23	603	पार्कों से आय (नपूल पार्क सहित)		1.16	4.00	0.26	4.00
24	604	हस्तान्तरण शुल्क		2.00	5.00	0.19	6.00
25	605	अन्य आय/सेन्टेज चार्ज		16.32	20.00	12.44	20.00
			योग	21.52	33.00	13.62	35.50
			राजस्व आय का महायोग	161.06	295.50	70.79	293.50

पूँजीगत आय

(क) प्राधिकरण स्रोतों से आय

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
70		सम्पत्ति के आवंटन से आय				
1	701	आवासीय भूखण्डों की किश्तें एवं बिक्री	186.42	250.00	11.48	250.00
2	702	व्यवसायिक भूखण्डों की बिक्री एवं बल्क सेल	209.97	300.00	71.42	350.00
3	703	भवनो/प्लैट्स की बिक्री/किश्त से आय	153.11	150.00	137.87	175.00
4	704	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों की किश्तें/बिक्री	0.92	50.00	0.42	20.00
5	705	किराये की सम्पत्ति की बिक्री	-	1.00	-	1.00
6	706	चक गंजरिया परियोजना में एल0आई0जी0/ई0डब्लू0एस0 भवनो की बिक्री से प्राप्ति।	16.02	50.00	5.98	20.00
7	707	चक गंजरिया परियोजना में भूमि बिक्री से प्राप्ति।	23.10	150.00	-	250.00
8	708	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्लैटों की बिक्री से आय।	-	93.12	-	50.00
		योग	589.54	1,044.12	227.17	1,116.00

(धनराशि रु० करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक		प्रस्तावित		प्रस्तावित	
			2019-20	2020-21	2020-21	2021-22		
1	2	3	4	5	6	7		
	80	पंजीकरण से आय						
9	801	भवन/भूखण्ड/दुकान	221.30	200.00	19.53	250.00		
		योग	221.30	200.00	19.53	250.00		
10	100	विविध आय	25.69	5.00	0.34	5.00		
		योग	25.69	5.00	0.34	5.00		
11	110	ऋण	-	100.00	-	-		
		योग	-	100.00	-	-		
	200	भवन/वाहन अग्रिम वापसी						
12	201	कर्मचारियों से भवन ऋण वापसी	0.91	1.00	0.55	1.00		
13	202	कर्मचारियों से वाहन ऋण की वापसी	-	0.01	0.29	0.30		
14	203	प्रतिभूति/धरोहर/जमानत धनराशि (टिकेवॉरों की)	25.43	70.00	15.62	70.00		
15	204	इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान की जमानत धनराशि	0.78	1.50	-	1.50		
		योग	27.12	72.51	16.46	72.80		



(ख) शासन से डिपॉजिट कार्य हेतु प्राप्त धनराशि

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
300		शासन से डिपॉजिट कार्य हेतु प्राप्त धनराशि				
1	305	गोमती नदी से शहीद पथ के किनारे 4 लेन का कार्य (पिपरा घाट)।	3.39	9.00	-	4.11
2	306	जनेश्वर मिश्र पार्क में सी.सी.टी.वी. सर्विलांस/सुरक्षा का कार्य।	-	3.96	-	3.96
3	307	सी.जी.सिटी में सी.एस.आई. टावर का निर्माण।	-	55.00	-	55.90
4	310	सी.जी. सिटी में संस्कृतिक विद्यालय का निर्माण	-	85.00	-	43.24
5	311	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण।	-	100.00	-	43.25
6	318	जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क (नवीन कार्य वि०/या० कार्य सहित)	-	17.96	-	21.50
7	319	जनेश्वर मिश्र पार्क के लैण्ड स्कीपिक का कार्य।	-	8.70	-	1.23
8	324	हुसैनाबाद (पुराना लखनऊ) क्षेत्र में समेकित विकास कार्य।	30.30	38.62	-	-
9	329	प्रधानमंत्री आवास योजना (केन्द्र व राज्य से प्राप्त अनुदान)।	8.19	46.56	-	46.56
10	330	नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग का कार्य	5.81	8.71	-	2.91
11	332	विनीत खण्ड एवं विराम खण्ड 5-के मध्य सर्विस रोड का निर्माण कार्य	-	-	-	-
12	336	गोमती नगर के विनीत खण्ड भवन संख्या-1/182 के सम्मुख स्थित पार्क की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	-	-	-	-

13	337	लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में अटल चौराहे से 60 फिट रोड तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य	0.29	-	-	-
14	338	अलीगंज योजना स्थित कपूरथला में नगर निगम कार्यालय जोन-3 के पीछे स्थित रिक्त प्रथम तल पर भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरणों को क्रियाशील किये जाने का कार्य	-	0.87	-	0.42
15	339	लोहिया पार्क के पास कंचन मार्केट के बीच मल्टीलेबिल पार्किंग।	2.68	3.00	-	-
16	340	शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में संत गाडगे जलाशय का निर्माण	-	0.69	-	-
17	341	स्मारकों, संग्रहालयों, पार्कों हेतु।	-	-	-	-
18	342	गोमती रिवर फ्रन्ट का विकास कार्य	-	-	-	-
19	343	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य।	-	20.60	-	20.60
20	344	प्रेरणा स्थल का विकास।	-	50.00	-	50.00
21	345	जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-3 स्थित खरगापुर तालाब का पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में बायो-इंजीनियरिंग कम्पौनेन्ट्स के माध्यम से सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य।	-	4.42	-	4.42
22	345	शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुचमार्ग हेतु बिजनौर रोड से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट तक पहुचमार्ग हेतु नाले का बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली क मध्य दीवार का निर्माण कार्य।	1.56	-	-	1.56
23	346	बिजनौर मार्ग पर शारदानगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम0बी0ए0 33/11 केबीए उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	2.18	-	-	2.18

24	347	शारदा नगर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुंचमार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले का बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली का मध्य दीवार का निर्माण कार्य करते हुए सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	2.06	-	-	2.06
25	348	शहीदपथ से बाघामऊ तक पुल का निर्माण	3.00	-	-	-
26	349	प्लॉट नं0 17 विधूति खण्ड के समाने बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	0.29	-	-	-
27	350	नीबू बाग पार्क में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।	-	-	-	3.79
28	351	यू0पी0 प्रेस वस्तु हजरतगंज के सम्मुख स्थित लक्ष्मण पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	-	-	-	2.06
29	352	जनेश्वर मिश्र पार्क के ऊपर से गुजरने वाली 132 के0वी0 डबल सर्किट को हटाने का कार्य।	-	-	-	5.50
			59.75	453.09	-	315.25
	400	शासन/विलीय संस्थाओं से ऋण।	-	-	-	-
1	404	जनेश्वर मिश्र पार्क प्रबन्धक समिति से ऋण की वापसी।	-	-	-	-
			-	-	-	-
		शासकीय आय का कुल योग	59.75	453.09	-	315.25

	500	डिपॉजिट कार्य						
1	501	सीमा सुरक्षा बल के 415 भवनों का निर्माण।	-	30.00	-	-	-	-
2	502	योगा कार्यक्रम।	0.22	0.25	-	-	-	-
3	503	मा0 मुख्यमंत्री जी तथा शासन के कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय।	-	0.20	-	-	0.20	-
4	504	अन्य डिपॉजिट कार्य।	-	1.00	-	-	1.00	-
5	505	मा0 उच्च न्यायालय हेतु आवासीय भवन	-	30.00	-	-	-	-
6	506	प्रधानमंत्री आवास योजना	-	66.92	-	-	105.28	-
7	507	भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्यालय/आवास का निर्माण	-	20.00	-	-	-	-
8	508	पुराने आर0टी0ओ0 आफिस कम्पाउण्ड में भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य।	-	12.00	-	-	10.00	-
9	509	युवा महोत्सव	10.88	-	-	-	-	-
10	510	डिफेन्स एक्सपो	0.18	-	-	-	-	-
11	511	स्व0 अटल बिहारी वाजपेई के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम	2.24	-	-	-	-	-
		योग	13.52	160.37	-	-	116.48	-
		महायोग	936.92	2,035.09	263.50	-	1,875.53	-

## व्यय पक्ष

## राजस्व व्यय

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मह	मह का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
1	1000	अधिष्ठान के वेतन भत्ते	120.43	146.44	90.52	145.17
	1100	प्रकीर्ण व्यय				
1	1101	स्थानीय स्टोर/मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान की छपाई	0.95	1.00	0.50	1.00
2	1102	विधिक व्यय	2.14	2.00	1.22	2.00
3	1103	वर्दी	0.02	0.05	-	0.05
4	1104	टेलीफोन	0.48	1.00	0.43	1.00
5	1105	बिजली	2.13	5.00	1.24	4.00
6	1106	विज्ञापन	2.76	5.00	1.42	4.00
7	1107	कम्प्यूटर आदि का रख-रखाव	0.23	1.00	0.24	0.50
8	1108	कम्प्यूटर संचालन पर व्यय	0.71	1.00	0.96	1.50
9	1109	जलपान व्यय	0.10	0.10	0.05	0.10
10	1110	आडिट फीस	-	0.20	-	-
11	1111	क्रीड़ा/प्रतियोगिताओं हेतु	-	0.02	0.02	0.02
12	1112	पुस्तकालय/पत्रिका/समाचार पत्र	-	0.01	-	0.01

13	1113	स्थानीय गृहकर एवं जलकर		0.28	1.00	-	1.00
14	1114	सामान्य स्टोर क्रय		0.28	0.50	0.44	0.50
15	1115	विविध व्यय		3.44	6.00	1.53	6.00
16	1116	उपाध्यक्ष विवेकाधीन कोष		-	0.05	-	0.05
17	1117	मानदेय		0.01	0.01	-	0.01
18	1118	सुरक्षा		5.99	8.00	6.50	8.00
19	1119	आनलाइन मैप शुल्क की वापसी		2.27	3.00	0.79	3.00
20	1120	अवैध निर्माण तोड़ने एवं मलवा हटाने पर व्यय		-	-	-	1.00
21	1121	गाड़ियों के किराये पर व्यय		0.63	-	0.05	1.00
<b>1200 मशीनरी/वाहन मरम्मत/डीजल आदि पर व्यय</b>							
1	1201	वाहन/मशीन तथा अन्य मरम्मत		0.51	2.00	1.13	1.50
2	1202	पेट्रोल/ईंधन पर व्यय		1.22	1.50	0.79	1.50
<b>1300 रख-रखाव</b>							
1	1301	कार्यालय भवन का रख-रखाव		0.60	4.00	0.87	2.00
2	1302	सामुदायिक केन्द्र का रख-रखाव		0.50	0.50	0.44	0.50
3	1303	नजूल पार्को के रख-रखाव पर व्यय		1.67	4.00	1.47	2.50
4	1304	सीवरेज/जल सम्पूर्ति संचालन एवं रख-रखाव		-	0.25	-	0.25
5	1305	इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से सम्बन्धित समस्त व्यय		4.48	8.00	6.76	7.00
6	1306	विद्युत अनुरक्षण		2.04	4.00	1.52	3.00
7	1307	एल0डी0ए0 स्टेडियम का अनुरक्षण		-	0.10	-	0.10

1400 जमानत धनराशि वापसी						
1	1401	अर्नेस्ट मनी/जमानत (टेकेदारों की) वापसी	43.55	10.00	1.28	5.00
2	1402	सामुदायिक केन्द्र की जमानत वापसी	0.16	0.50	0.02	0.50
3	1403	इन्दिरा गौधी प्रतिष्ठान की जमानत धनराशि वापसी	1.31	1.50	0.73	1.50
<b>1500 ऋणों का प्रतिदान</b>						
1	1501	शासन	-	-	-	-
2	1502	बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-
<b>1550 ऋण पर ब्याज का भुगतान</b>						
1	1510	बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-
2	1511	शासन	-	-	-	-
<b>1600 नियोजन</b>						
1	1601	सर्वे कार्य	0.01	0.10	0.05	0.10
2	1602	अन्य व्यय/सेन्टेज से व्यय	1.12	3.00	0.58	3.00
राजस्व व्यय का कुल योग			200.02	220.83	121.55	208.36

पूँजीगत व्यय

(क) प्राधिकरण स्रोतों से व्यय

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
<b>1700 भूमि अर्जन/लेण्ड बैंक का सृजन</b>						
1	1701	भूमि का प्रतिकर	53.12	500.00	16.01	50.00
2	1702	भूमि का क्रय	-	25.00	-	25.00
		योग	53.12	525.00	16.01	75.00
<b>1800 वाहन/मशीन/संयंत्र क्रय</b>						
1	1801	मशीनरी संयंत्र/हल्के एवं भारी वाहनों का क्रय	0.29	1.00	0.39	1.50
2	1802	कम्प्यूटर/साफ्टवेयर/ हार्डवेयर क्रय	0.41	0.50	0.23	0.50
3	1803	फर्नीचर	0.09	0.20	0.03	0.20
		योग	0.79	1.70	0.65	2.20
<b>1900 भूमि विकास कार्य पर व्यय</b>						
1	1901	विकास कार्यों पर व्यय योजनावार	72.29	409.98	120.86	358.50
2	1902	योजनाओं के अनुक्षण पर व्यय	1.83	12.33	1.73	54.08
3	3600	अवस्थापना निधि से व्यय।	34.22	80.00	20.04	100.00
		योग	108.34	502.31	142.63	512.58



2000	निर्माण पर व्यय						
1	2001	निर्माण कार्य योजनावार	193.48	442.43	163.88	442.73	
		योग	193.48	442.43	163.88	442.73	
2100	पंजीकरण एवं अन्य वापसी						
1	2101	जमा धन/पंजीकरण की वापसी	251.24	200.00	40.65	100.00	
2	2102	भवन अग्रिम	0.51	1.00	0.28	1.00	
3	2200	अन्य व्यय	-	1.00	-	1.00	
		योग	251.75	202.00	40.93	102.00	
1	2400	आयकर विभाग में जमा।	64.30	20.00	-	10.00	
2	2500	जनश्वर मिश्र पार्क समिति को ऋण	5.55	-	-	-	
3	2501	पेशल फण्ड को ऋण।	3.00	-	-	-	
		योग	72.85	20.00	-	10.00	
		प्राधिकरण स्रोतों से व्यय का योग	680.33	1,693.44	364.10	1,144.51	

(ख) शासन के डिपॉजिट कार्य के व्यय

(धनराशि रु0 करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2019-20	2020-21	2020-21 (31/12/2020)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
	3000	शासन के डिपॉजिट कार्य				
1	3010	लखनऊ नगर का समग्र विकास।	-	-	-	29.91
2	3051	योगा कार्यक्रम पर व्यय।	0.17	0.25	-	-
3	3053	ग्राम महमुदपुर का विकास कार्य।	-	-	-	-
4	3055	मा0 मुख्यमंत्री जी तथा शासन के कार्यक्रम।	0.02	0.20	-	-
5	3056	सीमा सुरक्षा बल के 415 बवनों के निर्माण।		30.00	-	-
6	3061	गोमती नदी से शहीद पथ के किनारे 4-लेन का कार्य (पिपरा घाट)।	-	13.07	2.60	5.19
7	3062	जनेश्वर मिश्र पार्क में नवीन कार्य।	0.07	17.97	-	21.50
8	3063	सी.जी.सिटी में सी.एस.आई.टवर-3 का निर्माण।	-	56.20	-	55.73
9	3064	जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क	-	-	-	-
10	3065	सी.जी.सिटी में सांस्कृतिक स्कूल का निर्माण।	-	43.27	-	43.04
11	3066	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र।	4.31	100.00	-	43.25
12	3067	ऐशबाग, विक्रमादित्य मार्ग, राजाजीपुरम, जानकीपुरम, राजीव गांधी वाई में विकास कार्य।	-	-	-	-
13	3071	जनेश्वर मिश्र पार्क में सी.सी.टी.वी./सुरक्षा का कार्य।	-	3.96	-	3.96
14	3075	गोमती रिवर फ्रन्ट का विकास कार्य	3.56	6.69	5.43	14.13

15	3076	जनेश्वर मिश्र पार्क में लैंड स्केपिंग का कार्य।	-	8.70	-	1.23
16	3079	बड़े/छोटे इमामबाड़े/रुमी गेट पर फ्लड लाइटिंग का कार्य।	-	-	-	-
17	3082	पुराने लखनऊ के हुसैनबाद का समेकित विकास कार्य।	4.63	37.11	-	43.00
18	3083	शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में सत्त गाडगे जलाशय पार्क का निर्माण/विकास कार्य।	0.27	1.66	-	-
19	3084	सी.जी. सिटी (चक गंजरिया) विकास पर व्यय।	33.32	51.07	9.76	108.80
20	3085	ज्योतिबाफुले पार्क में भूमिगत पार्किंग का निर्माण।	0.10	1.95	0.14	-
21	3090	विनीत खण्ड भवन संख्या-182 के सामने पार्क का मरम्मत कार्य।	0.30	-	-	-
22	3091	नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग का कार्य।	0.05	9.50	9.41	5.01
23	3093	विनीत खण्ड एव वीराम खण्ड 5 के मध्य सर्विस रोड का निर्माण कार्य।	-	-	-	-
24	3094	रमाबाई रैली मैदान	-	-	-	-
25	3095	म।उ. उच्च न्यायालय हेतु आवासीय भवन	-	30.00	-	-
26	3096	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उ०प्र० के समस्त वि०प्र० के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू याजनायें)	-	10.17	-	2.00
27	3097	अलीगंज योजना स्थित कपूरथला में नगर निगम कार्यालय जोन-3 के पीछे स्थित रिक्त प्रथम तल पर भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरणों को क्रियाशील किये जाने का कार्य।	-	0.87	-	0.42
28	3098	लोडिया पार्क के पास कंचन मार्केट के बीच मल्टीलेवल पार्किंग।	-	3.00	-	-

29	3100	काशीराम निर्वल (बी0एस0यू0पी0) आय आवास योजना हरदोई रोड	1.23	-	2.10	-
30	3102	प्रधानमंत्री आवास योजना	33.13	8.00	24.48	81.00
31	3103	लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में अटल चौराहे से 60 फीटा रोड तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य	0.44	25.57	-	-
32	3104	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य।	-	20.60	-	20.60
33	3105	जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-3 स्थित खरगापुर तालाब का पाइलेंट प्रोजेक्ट के रूप में बायो-इंजीनियरिंग कम्पोनेन्ट्स के माध्यम से सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	-	4.42	-	4.42
34	3106	भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्यालय/आवास का निर्माण	-	20.00	-	-
35	3107	प्रेरणा स्थल का विकास	-	50.00	-	50.00
36	3108	पुराने आर0टी0ओ0 कम्पाउण्ड में भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य।	-	12.00	-	10.00
37	3109	गोमती नगर योजना के फेस-2 विभूति खण्ड में भूखण्ड संख्या-टी.सी.17वी पर बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	-	-	0.08	0.21
38	3110	युवा महोत्सव	9.58	-	0.54	-
39	3111	शहीदपथ से बाधामऊ तक पुल का निर्माण।	3.00	-	3.00	-
40	3112	स्व0 अटल बिहारी बाजपेई के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम	2.54	-	-	-

41	3113	शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टमार्ग हेतु विजनौर रोड से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट तक पट्टमार्ग हेतु नाले का बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण कार्य।	-	-	-	3.12
42	3114	विजनौर मार्ग पर शारदानगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम0बी0ए0 33/11 कैवीए उपकेंद्र का निर्माण कार्य।	-	-	-	4.36
43	3115	शारदा नगर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टमार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले का बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण कार्य करते हुए सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	-	-	-	4.12
44	3116	डिफेंस एक्सपो	0.18	-	0.09	-
45	3117	यू0पी0 प्रेस क्लब हजरतगंज के समुख स्थित लक्ष्मण पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	-	-	-	2.28
46	3118	नीबू बाग पार्क में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।	-	-	-	3.79
47	3119	जनेश्वर मिश्र पार्क के ऊपर से गुजरने वाली 132 के0वी0 डबल सर्किट को हटाने का कार्य।	-	-	-	5.50
		कुल योग	96.90	566.23	57.63	566.57
		पूँजीगत व्यय का कुल योग	777.23	2,259.67	421.73	1,711.08

**वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित अधिष्ठान पर व्यय प्रस्ताव**

परिशिष्ट-अ

(धनराशि रुपये करोड़ों में)

बजट कोड	क्रमांक	विभाग/मद का नाम	कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी	प्रस्तावित
1001	1	लेखा अनुभाग	40	4.37
1002	2	अपर सचिव कैम्प	9	0.77
1003	3	अर्जन अनुभाग	31	2.24
1004	4	बल्क सेल	4	0.55
1005	5	कॉल सेन्टर	3	0.09
1006	6	केन्द्रीय डाक एवं प्रेषण	9	0.66
1007	7	अध्यक्ष कैम्प कार्यालय (न0वि0प्रा0)	2	0.18
1008	8	मुख्य अभियन्ता-सिविल कैम्प	21	2.17
1009	9	व्यवसायिक सेल	11	0.84
1010	10	गणना अनुभाग	16	1.49
1011	11	जोन-1 प्रवर्तन	9	1.30
1012	12	जोन-2 प्रवर्तन	8	1.38
1013	13	जोन-3 प्रवर्तन	6	0.68
1014	14	जोन-4 प्रवर्तन	7	1.17
1015	15	जोन-5 प्रवर्तन	9	1.31
1016	16	जोन-6 प्रवर्तन	9	1.60
1017	17	जोन-7 प्रवर्तन	7	1.13

1018	18	जोन-1	63	6.00
1019	19	जोन-2	36	2.96
1020	20	जोन-3	20	1.76
1021	21	जोन-4	45	3.82
1022	22	जोन-5	38	3.43
1023	23	जोन-6	18	1.72
1024	24	जोन-7	32	3.41
1025	25	संगणक अनुभाग	20	2.52
1026	26	विद्युत यांत्रिक	155	12.92
1027	27	अधिष्ठान अनुभाग	61	4.39
1028	28	स्टोर	5	0.37
1029	29	आई0जी0आर0एस0 सेल	8	0.60
1030	30	जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ	3	0.23
1031	31	जन सूचना अनुभाग	16	1.27
1032	32	संयुक्त सचिव-डी0 कैम्प	8	0.54
1033	33	संयुक्त सचिव-आर0 कैम्प	7	0.67
1034	34	जे0पी0एन0आई0सी0	5	0.71
1035	35	विधि अनुभाग	30	2.24
1036	36	ल0वि0प्रा0/मेट्रो सेल	1	0.06
1037	37	अनुरक्षण अनुभाग	72	5.43
1038	38	मानचित्र सेल-1	29	3.40
1039	39	नगर महापालिका ट्रिब्युनल	5	0.51
1040	40	नायब तहसीलदार कैम्प	5	0.31
1041	41	नजूल अधिकारी कैम्प	7	0.51

1042	42	नजूल अनुभाग		21	1.71
1043	43	विशेष कार्याधिकारी-डी0 कैम्प		8	0.64
1044	44	विशेष कार्याधिकारी-आर0 कैम्प		7	0.48
1045	45	विशेष कार्याधिकारी-एस0 कैम्प		7	0.30
1046	46	पी0बी0एक्स अनुभाग		5	0.43
1047	47	पेंशन सेल		5	0.39
1048	48	पिंक डेस्क		3	0.20
1049	49	नियोजन अनुभाग		30	3.16
1050	50	पी0एम0ए0 आवास योजना		4	0.29
1051	51	पुलिस प्रकोष्ठ		8	0.76
1052	52	जन सम्पर्क अधिकारी		16	1.19
1053	53	सम्पत्ति अनुभाग		61	4.53
1054	54	प्रभारी अधिकारी-रेरा		2	0.12
1055	55	रिकार्ड अनुभाग		23	1.75
1056	56	रजिस्ट्री सेल		6	0.48
1057	57	रेपट अनुभाग		86	5.67
1058	58	रेरा जनपथ		3	0.38
1059	59	सचिवालय व अन्य		8	0.57
1060	60	सचिव कैम्प		8	0.70
1061	61	सुरक्षा कैम्प		4	0.26
1062	62	अधीक्षण अभियन्ता-पी0 कैम्प		8	0.63
1063	63	तहसीलदार राजेश कैम्प		5	0.32
1064	64	तहसीलदार मो0 असलम कैम्प		1	0.06



1065	65	तहसीलदार विवेक शुक्ला कैम्प	1	0.07
1066	66	ट्रस्ट अनुभाग	12	0.89
1067	67	उद्यान अधिकारी कैम्प	13	1.64
1068	68	उद्यान-जी0	275	19.52
1069	69	अर्बन सीलिंग	1	0.09
1070	70	उपाध्यक्ष कैम्प	10	0.81
1071	71	विहित प्राधिकारी	14	1.04
1072	72	वर्कचार्ज कर्मचारी/दैनिक वेतन भोगी	41	1.69
1073	73	सविदा मुक्तक आश्रित	12	0.38
1074	74	सविदा चालक	2	0.06
1075	75	चिकित्सक	2	0.05
1076	76	कर्मचारी कल्याण कोष अंशदान	-	0.24
1077	77	यात्रा भत्ता	-	0.30
1078	78	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	2.00
1079	79	पेंशन अंशदान	-	6.66
1080	80	भवन अग्रिम	-	3.00
		योग	1602	145.17

वर्ष 2021-22 में विकास कार्यों पर व्यय प्रस्ताव:

कोड संख्या-1901

परिशिष्ट-क'  
(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	बजट कोड	योजना का नाम	भूमि विकास सड़क निर्माण	मल, नाली जलोत्सारण सम्पन्न	जल सम्पूर्ति	वि०/याँ० द्वारा जल सम्पूर्ति	पार्क/ पार्किंग	विद्युतीकरण	गाँवों का विकास	विकासित कार्यों के अनुरक्षण पर व्यय	योग
			19010	19020	19030	19040	19050	19060	19070	19080	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	190101	गोमती नगर विस्तार	25.00	15.00	5.00	-	5.00	8.20	1.20	10.00	69.40
2	190102	हरदोई रोड योजना बसन्त कुन्ज	87.88	35.61	4.13	-	17.18	-	0.50	0.50	145.80
3	190103	मानसरोवर योजना	1.00	0.25	0.10	-	0.10	0.50	-	0.25	2.20
4	190104	ट्रान्सपोर्ट नगर	0.50	0.25	-	-	-	0.50	-	0.15	1.40
5	190105	कानपुर रोड सेक्टर-आई एवं जे।	0.75	0.50	0.40	-	-	1.60	-	0.25	3.50
6	190106	सीतापुर रोड सेक्टर-एच एवं जे	3.50	-	0.60	-	0.05	-	0.30	1.00	5.45
7	190107	जानकीपुरम् योजना/जानकीपुरम् विस्तार सेक्टर-1 से 11 तक	10.00	-	1.10	-	0.50	0.90	0.25	5.00	17.75
8	190108	कबीर नगर देवपुर पारा	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	-	23.00
9	190109	सी०जी० सिटी योजना	15.00	25.00	10.00	-	1.00	52.80	-	5.00	108.80
10	190110	शारदा नगर योजना	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10
11	190111	अलीगंज एवं सीतापुर रोड योजना सेक्टर ए से ई तक	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
12	190112	रतन खण्ड, (शारदा नगर योजना)	0.70	4.50	-	-	-	0.50	0.50	0.10	6.30

13	190113	प्रबन्ध नगर	14.00	-	-	-	-	-	2.00		2.00		18.00
14	190114	विराज खण्ड 1 से 5 तक	-	-	-	-	-	-	-	3.50	-	-	3.50
15	190115	विभूति/विकल्प/विजयन्त खण्ड	-	0.50	0.30	-	-	-	0.40	0.40	-	0.50	2.10
16	190116	प्रियदर्शिनी योजना/अस्तीगज/सोपान इन्क्लेव	1.50	-	0.10	-	-	-	-	0.85	-	-	2.45
17	190117	मोहान रोड योजना	22.00	5.00	0.50	-	-	-	2.00	-	-	-	29.50
18	190118	सिन्डर्स डम्प योजना	0.50	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55
19	190119	नेहरू इन्क्लेव का विकास कार्य	2.00	1.00	0.50	0.50	-	-	-	1.20	-	0.05	5.25
20	190120	शारदा नगर विस्तार योजना	2.00	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	3.50
21	190129	गोमती नगर विस्तार योजना पार्को, ग्रीन वेल्ड एवं सड़कों से सम्बन्धित औद्योगिक कार्य	-	-	-	-	-	-	2.00	1.00	-	2.00	5.00
22	190130	गोमती नगर योजना फेज-1 व 2	1.00	0.75	-	-	-	-	3.50	-	0.50	0.50	6.25
23	190131	जौनस पार्क का विद्युत अनुरक्षण (विद्युत बिल सहित)	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00
24	190132	कार्यालय जौन-6 द्वारा देखे जा रहे विभिन्न कार्यों के विकास हेतु।	3.00	0.20	0.10	-	-	-	0.10	-	0.10	2.00	5.50
		योग	194.33	99.61	24.33	1.50	-	-	32.83	77.95	9.35	27.40	467.30

**वर्ष 2021-22 में विकास कार्यों के अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव**  
**कोड संख्या-1902**

परिशिष्ट-ख  
(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	कोड संख्या	विवरण	प्रस्तावित	
			2021-22	2022
1	2	3	4	
		पिछले पृष्ठ का योग	467.30	
24	190901	महानगर योजना में सीवरेज पम्प संचालन।	0.10	
25	190902	गोमती नगर विस्तार योजना के बाढ़ सुरक्षा हेतु बन्दे का निर्माण	30.00	
26	190904	योजनाओं का नगर नियम को हस्तान्तरण।	0.50	
27	190905	विकास दीप कान्सेक्स का सुधार/निर्माण/(वि०/याँ०)/विद्युत बिल	1.40	
28	190906	अहस्तान्तरित योजनाओं में मार्ग प्रकाश के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु/विद्युत बिल	0.50	
29	190907	अतिक्रमण से मुक्त भूमि का विकास।	1.00	
30	190908	अलीगंज स्टेडियम/नेहरू बाल वाटिका का विद्युत/अन्य अनुरक्षण/विद्युत बिल	0.25	
31	190910	विभिन्न योजनाओं में क्लोरीनेशन।	0.05	
32	190911	नजूल पार्क/जागर्स पार्क/गोनल पार्क का विद्युत/सिविल अनुरक्षण/विद्युत बिल	4.10	
33	190912	वृक्षारोपण का कार्य।	1.50	
34	190913	डा० राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर का अनुरक्षण/विद्युत कार्य/विद्युत बिल	2.08	
35	190915	पुरानी सम्पत्तियों के अनुरक्षण पर व्यय।	0.30	
36	190916	कैलास कुल्य व्यवसायिक केन्द्र का विद्युत/सिविल सुधार कार्य/विद्युत बिल	0.70	

37	190917	सेक्टर-एच स्थित बैडमिन्टन हॉल/पार्क/बिजली पासी किला के सम्मुख सेक्टर-के में निर्मित पार्क का रख-रखाव/विद्युत बिल	0.05
38	190918	कानपुर रोड योजना स्मृति उपवन/गौतम बुद्ध शान्ति उपवन/वनस्थली पार्क/विद्युत बिल	1.00
39	190919	कानपुर रोड सेक्टर-डी-1/जी के मध्य राष्ट्रीय विधि संस्थान के सम्मुख पार्किंग का रख-रखाव/विद्युत बिल	0.50
40	190920	डा0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान स्थित डा0 भीमराव उम्बेडकर आडिटोरियम का रख-रखाव/विद्युत बिल	0.20
41	190921	मल्तीलोबिल पार्किंग/भूमिगत पार्किंग हेतु विद्युत व्यय/अन्य अनुरक्षण/विद्युत बिल	1.00
42	190922	लखनऊ नगर का समग्र विकास।	0.10
43	190923	जलसंस्थान को नलकूप का हस्तान्तरण	0.50
44	190924	शिफ्टिंग आफ हाइड्रेशन लाइन	3.00
45	190925	चक्रगजरिया (उद्यान कार्य)	2.00
46	190927	नजूल सम्पत्तियों को कब्जा लेने पर व्यय	0.25
47	190928	सोलर प्लान्ट, पी0ए0 साउण्ड सिस्टम	1.00
48	190929	गोमती नगर विस्तार योजना में पार्कों, ग्रीनबेल्ट एवं सड़कों से सम्बन्धित औद्योगिक कार्य।	2.00
		योग	54.08
		महायोग	521.38

वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव:

कोड संख्या-2001

परिशिष्ट-ग'

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	बजट कोड	योजना का नाम	विभिन्न श्रेणी के फ्लैट	बहुमणिले भवन	ऑफ़डिबल/ दुर्बल आय भवन	व्यावसायिक केन्द्र	सामुदायिक केन्द्र	अनुरक्षण पर व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			20010	20020	20050	20080	20090	20070	
1	200101	गोमती नगर विस्तार योजना	-	-	1.00	0.50	0.25	-	1.75
2	200102	हरदोई रोड योजना बसन्त कुन्ज	13.33	-	-	-	0.25	-	13.58
3	200103	मानसरोवर	-	37.20	-	1.00	1.05	-	39.25
4	200104	कानपुर रोड	-	3.85	-	0.25	2.30	-	6.40
5	200105	ऐशबाग टावर्स एवं ऐशबाग में मिल रोड पर ऑफ़डिबल हाउसिंग योजना	-	24.10	40.00	-	-	1.00	65.10
6	200106	सृष्टि अपार्टमेन्ट	-	4.00	-	-	-	1.00	5.00
7	200107	शारदा नगर योजना	-	12.00	-	-	0.50	-	12.50
8	200108	सीतापुर रोड योजना	-	-	-	-	-	-	-
9	200109	जानकीपुरम विस्तार/जनेश्वर इनक्लेव	-	1.50	-	-	0.75	1.00	3.25
10	200110	प्रियदर्शिनी योजना/अलीगंज/सोपान इन्क्लेव	-	3.26	-	-	-	-	3.26
11	200111	रतन खण्ड	-	30.00	-	5.00	-	1.00	36.00
12	200112	ट्रान्सपोर्ट नगर	-	1.00	-	-	-	-	1.00

13	200114	सरयू अपार्टमेंट		-	2.00	-	-	-	-	1.00	3.00
14	200115	श्रीगढ/कल्पतरु अपार्टमेंट		-	4.00	-	-	-	-	-	4.00
15	200117	रिवर-ब्यू अपार्टमेंट		-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
16	200118	स्मृति अपार्टमेंट		-	17.00	-	-	-	-	1.00	18.00
17	200119	सरगम अपार्टमेंट		-	0.60	-	-	-	-	1.00	1.60
18	200120	देवपुर पारा कबीर नगर		-	172.47	-	-	-	2.65	-	175.12
19	200121	गोमती नगर योजना (पंचशील)		5.00	-	-	-	-	-	1.00	6.00
20	200122	पारिजात अपार्टमेंट		-	4.20	-	-	-	-	2.00	6.20
21	200124	सा.जा.।सदा म इ.डब्ल्यू.एस./एल.आइ.जा. मयना का निर्माण।		-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
22	200125	सुलभ आवास		-	-	7.00	-	-	-	1.00	8.00
23	200126	पंचशील अफोर्डेबल सीतापुर रोड योजना		-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
24	200127	धेनुमति अपार्टमेंट, डालीबाग, लखनऊ		-	0.60	-	-	-	-	-	0.60
25	200601	बसंत कुंज योजना (बी0एस0यू0पी0)		0.50	-	-	-	-	-	-	0.50
26	200128	अनुभूति एवं सूर्यन अपार्टमेंट		-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
27	200131	विमूत खण्ड/विकल्प खण्ड क मल्टास्टार मयना का निर्माण		-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	18.83	322.78	60.40	6.75	7.75	12.00	428.51	

वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यो तथा अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव

कोड संख्या-2001

क्रमांक	कोड संख्या	विवरण	प्रस्तावित	(धनराशि रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	
		पिछले पृष्ठ का योग	428.51	
30	200702	हरदोई रोड योजना में 15 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	2.50	
31	200703	बजट होटल/बस अड्डा।	7.00	
32	200704	देवपुर पारा कबीरनगर योजना में 15 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	4.72	
			योग	14.22
			महायोग	442.73





18	यू0पी0 प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ के समुख स्थित लक्ष्मण पार्क का सौन्दर्यीकरण।	0.218
19	लखनऊ में हुसैनाबादर वार्ड में कम्यूनिटी सेन्टर एवं रईस मजिल पार्क का निर्माण।	0.444
20	लखनऊ नगर में हेरीटेज स्मारकों, बड़ा व छोटा इमामबाड़ा, फसाड फ्लड लाइट का कार्य।	0.037
21	हुसैनाबाद क्षेत्र के विभिन्न सड़कों एवं नालियों का सुधार।	0.054
22	हुसैनाबाद स्थित क्लक टावर, पिक्चर गैलरी काम्प्लेक्स का सौन्दर्यीकरण।	0.049
23	गोमती नगर फेस-2 के अन्तर्गत मंत्री आवास के दोनो रोडों का सुदृढीकरण।	0.084
24	हुसैनाबाद स्थित क्लक टावर, जनसुविधा परिसर, पाथ-वे, वाटर बाडी, पार्किंग एवं पिक्चर गैलरी हेतु एप्रोच मार्ग।	0.158
25	इन्स्टीगल यूनिवर्सिटी से कुकुरैल नाले तक स्मार्ट वाटर ड्रेन का निर्माण।	0.136
26	कानपुर रोड सेक्टर-एम व एन में सड़क तथा यू-टाइप नाली ड्रेन का निर्माण।	0.104
27	कुरसी रोड पर जनेश्वर मिश्र इन्वलेव, शुक्लागंज चौराहा पर इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का कार्य।	0.007
28	लखनऊ में गोमती नगर के विनीत खण्ड के भवन संख्या-182 के सामने पार्क की मरम्मत का कार्य।	0.036
29	गुरु गोबिन्द सिंह स्पोर्ट कालेज में सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं पार्किंग का निर्माण।	0.048
	योग	29.912

विषय: कोविड-19 के दृष्टिगत सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज दरों के सम्बन्ध में।


प्रस्ताव:

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश संख्या-10/2020/396/आठ-1-21-03बैठक/2013-टी.सी. दिनांक 22.02.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के अन्तर्गत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27.03.2020 एवं 23.06.2020 के आलोक में सम्पत्ति के किश्तों में ब्याज दरों में एकरूपता रखने के लिए आगामी 02 वर्षों हेतु ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 01.04.2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित एम0सी0एल0ओर0 दर में 1% बढ़ोत्तरी के साथ किश्तों के निर्धारण करने तथा किश्तों का समय से भुगतान न करने पर 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज लिए जाने का परामर्श दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. गुण-अवगुण के आधार पर अपने निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखते हुए प्रस्ताव पारित होने की दशा में आदेश निर्गत होने की तिथि से आगामी 02 वर्षों हेतु ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 01.04.2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित MCLR दर में 01% की बढ़ोत्तरी के साथ रख सकेंगे।
2. उपरोक्त प्रस्ताव पारित होने पर किश्तों का समय से भुगतान न करने पर 02% अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

दिनांक 01.04.2020 को भारतीय स्टेट बैंक की MCLR दर 02 वर्षों के लिए 7.95% है।

शासनादेश संख्या-10/2020/396/आठ-1-21-03बैठक/2013-टी.सी. दिनांक 22.02.2021 द्वारा दिये गये परामर्शानुसार प्राधिकरण की सम्पत्तियों के किश्तों पर ब्याज का निर्धारण शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 22.02.2021 से प्रभावी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
10/2020/396/आठ-1-21-03बैठक/2013-टी.सी.  
22.02.2021

संख्या-10/2021/396/आठ-1-21-03 बैठक/13 टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवामें,

1. आवास आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 22 फरवरी, 2021

विषय:- कोविड-19 के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज की दरों में एकरूपता रखने के सम्बंध में।


महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज की दरों में एकरूपता रखने के सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत परामर्श दिया जाता है:-

- (1) गुण-अवगुण के आधार पर अपने निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखते हुए प्रस्ताव पारित होने की दशा में आदेश निर्गत होने की तिथि से आगामी 02 वर्षों हेतु ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित MCLR दर में 01 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ रख सकेंगे।
- (2) उपरोक्त प्रस्ताव पारित होने पर किश्तों का समय से भुगतान न करने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त परामर्श के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
( दीपक कुमार )  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)

विशेष सचिव


प्रस्ताव:- प्राधिकरण के रिक्त फ्लैटों को एकमुश्त विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।


विषय वस्तु: प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना, कबीर नगर देवपुर पारा, सीतापुर रोड एवं जानकीपुरम विस्तार योजनान्तर्गत फ्लैट निर्मित कराये गये हैं जिनका विक्रय न हो पाने के कारण प्राधिकरण की पूंजी अवरुद्ध है। उक्त योजनान्तर्गत निर्मित कई टावर में एक भी फ्लैट का विक्रय नहीं हुआ है। जिनका विवरण निम्नवत है:-


क्रम सं०	योजना का नाम	ब्लाक/टावर का नाम	ब्लाक/टावर के सापेक्ष कुल फ्लैटों की संख्या	श्रेणी	अनुमानित मूल्य	ब्लाक/टावर के सापेक्ष विक्रय किये गये फ्लैटों की संख्या
1	श्रवण अपार्टमेंट कानपुर रोड योजना से०-ई	टावर-बी	54	3बी०एच०के	4737784	0
2	ऐशवाग हाईट्स नियर ईदगाह ऐशवाग	ब्लाक-बी	32	2 बी०एच०के	5884296	0
			16	3बी०एच०के	7416848	0
			1	4 बी०एच०के	12094866	0
		ब्लाक-ई	32	2 बी०एच०के	5884296	0
			16	3बी०एच०के	7416848	0
			1	4 बी०एच०के	12094866	0
3	समाजवादी लोहिया इन्क्लेव देवपुर पारा।	एस०एम०आई०जी० ब्लाक-बी-1	152	3बी०एच०के	3090261	0
		एम०आई०जी० ब्लाक-बी-1	152	3बी०एच०के	2929010	0
		एम०आई०जी० ब्लाक-बी-2	152	3बी०एच०के	2929010	0
		एम०आई०जी० ब्लाक-बी-3	152	3बी०एच०के	2929010	0
		एम०आई०जी० ब्लाक-बी-6	152	3बी०एच०के	2929010	0


उपरोक्त ऐसे रिक्त टावरों में ई०डब्लू०एस०, एल०आई०जी० फ्लैट को छोड़कर एकमुश्त आवंटन के आधार पर अनुमानित मूल्य पर विक्रय करने के प्रयास किये जाते तो प्राधिकरण की अवरुद्ध धनराशि एकमुश्त प्राप्त होने की सम्भावना रहेगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा निर्मित ऐसे टावर (ई०डब्लू०एस एवं एल०आई०जी को छोड़कर) जिसमें एक भी फ्लैट विक्रय नहीं हुआ है, को एकमुश्त विक्रय किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
(अनुराग अग्रवाल)  
प्र.०.०.०.

  
(अनुराग अग्रवाल)  
अनुभाग अधिकारी

  
(अनुराग अग्रवाल)  
नाम सं. १००  
ल० -

  
(डी० के० सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी  
ब्लॉक-०३, लखनऊ।

विषय सं०: 06

पृष्ठ सं०- 60

विषय: रिट याचिका संख्या-34161/2018 (पी0आई0एल0 सिविल) विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 30.11.2018 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प के अनुपालन के संबंध में।

आख्या:



आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-183/आठ-3-21-44 विविध/2015 दिनांक 11.01.2021 (अनुलग्नक-1) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प को समायोजित करने हेतु लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-8.11.10 में संशोधन किये जाने के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अधिसूचना संख्या-1114/8-3-16-44 विविध/15, दिनांक 31.08.2016 (अनुलग्नक-2) में दिये गये प्राविधान निम्नानुसार है-

“लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना-2021 के सम्बन्धित मानचित्र संख्या-10 में दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है।”

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 व 21.06.2016 में पारित निर्णय तथा मा0 उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी के संकल्प दिनांक 22.06.2016 व 24.06.2016 को समाविष्ट करते हुए विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में नवनिर्मित मा0 उच्च न्यायालय के आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के (farthest point) से 100 मी0 परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाता है, किन्तु उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्व निर्मित भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त क्षेत्रान्तर्गत जो भी मानचित्र स्वीकृत होंगे व हाई सिक्योरिटी जोन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्राविधानों को प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के प्रस्तर 8.11.10 (अनुलग्नक-3) में समायोजित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 से

स्पष्ट है कि विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में नवनिर्मित मा० उच्च न्यायालय के आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के (farthest point) से 100 मी० परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया था, जबकि उक्त के परिपेक्ष्य में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-183/आठ-3-21-44 विविध/2015 दिनांक 11.01.2021 के अनुसार मा० उच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प निम्नांकित है:-

“सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान परिस्थितियों में मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ परिसर की सुरक्षा के दृष्टिगत संस्तुति की जाती है कि विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ में नवनिर्मित मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल से ही 100 मी० एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाना उचित होगा तथा हाई सिक्योरिटी जोन की सीमा के अन्दर स्थित भवनों की ऊंचाई अधिकतम 7.00मी० रखा जाना समीचीन होगा।”

पारित संकल्प के अनुसार लखनऊ महायोजना-2031 के प्रस्तर 8.11.10 में प्रस्तावित संशोधन निम्नवत् है:-

“ लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊंचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना-2031 के सम्बन्धित मानचित्र संख्या-8.9 में दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है एवं नये उच्च न्यायालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल से ही 100 मी० एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाता है।”

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के प्रस्तर 8.11.10 में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

#### प्रस्ताव:

रिट याचिका संख्या-34161/2018 (पी०आई०एल० सिविल) विनोद कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 30.11.2018 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प को समायोजित करने हेतु लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-8.11.10 में संशोधन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।







प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

14/01/2021  
19-01-2021 सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण  
संख्या 197744  
दिनांक 18/1/21

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2021

विषय :-

रिट याचिका संख्या-34161/2018 (पी0आई0एल0 सिविल) विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 30.11.2018 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प के अनुपालन के संबंध में।

उभारी लिखा /  
सी.डी.जी.  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-782/सचिव/मु.न.नि. -19 दिनांक 16.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करते हुए प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या-1320/व.नि.(4)/लख. रिट याचिका (पुनरीक्षणवाद) (2020-21) दिनांक 10.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उक्त पत्र दिनांक 16.09.2019 के माध्यम से प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प के अनुपालन में अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 में उपरोक्तानुसार संशोधन पर शासन स्तर से विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के उक्त पत्र दिनांक 10.11.2020 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय की भवन समिति के संकल्प को समायोजित करने हेतु लखनऊ महायोजना, 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-8.11.10 में परिवर्तन अपरिहार्य माना गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प को समायोजित करने हेतु लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-8.11.10 में संशोधन किये जाने के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)  
उप सचिव।

संख्या- (1)/आठ-3-21-44 विविध/2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि:- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)  
उप सचिव।

APB  
19-1-2021

## नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-बी 5, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक 1320/व.नि.(4)/लख. रिट याचिका(पुनरीक्षणवाद)/2020-21, दिनांक: 10/11/2020  
सेवा में,

52-29

उप सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3,  
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय: रिट याचिका संख्या-34161/2018 (पी.आई.एल. सिविल) विनोद कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 30.11.2018 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-675(1)/आठ-3-20-44 विविध/2015 दिनांक 16.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-823/आठ-3-19-44 विविध/2015 दिनांक 08.08.2019 एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-782/सचिव/मु.न.नि.-19 दिनांक 16.09.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपरोक्त विषय पर शासन को आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत विषय पर निम्नवत अवगत कराया गया है:-

2.1 मा० उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 25.04.2019 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अधिसूचना सं०-1114/8-3-16-44 विविध/15, दिनांक 31.08.2016 द्वारा महायोजना-2021 एवं पुनरीक्षित लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 6.11.8 में संशोधन के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के नव-निर्मित भवन की सुरक्षा की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता व्यक्त की गयी।

Most Urgent

मा० उच्च

21/11/20  
के आदेश

श्री 20/11

13/11/2020

प्रश्नगत प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ के गोमती नगर स्थित न्यू बिल्डिंग की सुरक्षा की समीक्षा व विचार-विमर्श हेतु दिनांक 18.05.2019 व पुनः 04.07.2019 को सीनियर रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सीनियर रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), उ०प्र० के निमित्त पुलिस अधीक्षक (महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान) सुरक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ, सेना नायक, सी०आर०पी०एफ०, मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ, (सुरक्षा) व अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा उक्त परिसर का भ्रमण कर मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था आवास एवं शहरी

नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-1114/8-3-16-44 विविध/15, दिनांक 31.08.2016 की गहन समीक्षा की गयी।

- 2.3 मा0 उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 25.04.2019 के संकल्प के अनुपालन हेतु प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना पत्र संख्या-719/मु.न.नि./2019 दिनांक 21.07.2019, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है।
- 2.4 प्रश्नगत प्रकरण पर संलग्न आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की आख्या के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

प्रस्तावित मेसर्स एक्सपीरियन परियोजना का टावर नं0-4 मा0 उच्च न्यायालय की परिधि दीवार (perimeter wall) से मात्र 15 मी0 की दूरी पर है। प्रस्तावित टावर नं0-4 (8+1) मंजिल का है, जिसकी कुल ऊँचाई 7.0 मी0 के तीन गुना से भी अधिक होगी जिससे मा0 उच्च न्यायालय के दक्षिणी गेट की दृष्यता इतनी ऊँचाई से बहुत ही कम दूरी (रेन्ज) पर होगी। मा0 उच्च न्यायालय परिसर की सीधी दृष्यता इतनी ऊँचाई से बहुत ही कम दूरी (रेन्ज) पर होगी, जो मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के दृष्टिगत से उचित प्रतीत नहीं होती है।

“आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 31.8.2018 में उल्लिखित है कि विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में नवनिर्मित मा0 उच्च न्यायालय के आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के farthest point से 100 मी0 परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। आस-पास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मी0 निर्धारित की गयी है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की महायोजना-2021 के नियम 6.11.8 (संलग्नक-5) के अवलोकन से विदित है कि मा0 उच्च न्यायालय सुरक्षा जोन के आस-पास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मी0 होगी।

- 2.5 सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान परिस्थितियों में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ परिसर की सुरक्षा के दृष्टिगत संस्तुति की जाती है कि विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में नवनिर्मित मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल से ही 100 मी0 एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाना उचित होगा तथा हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा के अन्दर स्थित भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मी0 रखा जाना समीचीन होगा।”

लखनऊ विकास प्राधिकरण की महायोजना-2021 के नियम 6.11.8 में विधान सभा राजभवन, मुख्यमंत्री आवास एक क्षेत्र एवं मा0 उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र दूसरा क्षेत्र को महायोजना-2021 में मानचित्र सं0-10 में सुरक्षा जोन सीमा दर्शित है। तदोपरान्त अधिसूचना संख्या- सं0-1114/8-3-16-44 विविध/2015, दिनांक 31.08.2016 द्वारा लखनऊ महायोजना-2021 में संशोधन करते हुए तीसरा सुरक्षा

जोन नवनिर्मित मा० उच्च न्यायालय के आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के farthest point से 100 मी० परिसर सुरक्षा जोन घोषित किया गया है जिसे वर्तमान प्रभावी महायोजना-2031 में समावेश करते हुए नियम 8.11.10 में मानचित्र सं०-8.9 में विधान सभा क्षेत्र, हाईकोर्ट क्षेत्र एवं नया हाईकोर्ट क्षेत्र की सुरक्षा जोन सीमा को दर्शाया गया है।

- 2.6 मेसर्स एक्सपीरियन डेवलेपर्स प्रा०लि० का स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या-41210 दिनांक 12.01.2017 के स्वीकृत ब्लाक सं०-4 व 5 की स्वीकृति नवनिर्मित मा० उच्च न्यायालय की सुरक्षा जाने की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा नव निर्मित मा० उच्च न्यायालय के की सुरक्षा जोन की अधिसूचना आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के farthest point से 100 मी० परिसर को हाई सिक्वोरिटी जोन घोषित सीमा उपरान्त एवं लखनऊ महायोजना-2031 के नियम 8.11.10 के मानचित्र सं०-8.9 में दर्शित नया हाईकोर्ट सुरक्षा जोन सीमा उपरान्त स्वीकृत किया गया है।

अतः मा० उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.7.2019 में पारित संकल्प नव निर्मित मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ की बाउन्ड्रीवाल से ही 100 मी० एरिया को हाई सिक्वोरिटी जाने घोषित किये जाने के अनुपालन में स्वीकृत मानचित्र परमिट सं०-41210 दिनांक 12.01.2017 भूखण्ड क्षेत्रफल-27573.95 में से लगभग 9563.00 वर्ग मी० भूमि प्रभावित होगी एवं स्थल पर निर्माणाधीन टावर/ब्लाक (3) पूर्णतः टावर एवं टावर/ब्लाक-6 भी आंशिक प्रभावित हो जायेगा।

- 2.7 शासन के पत्र आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-823/8-3-19-44 विविध/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2019 एवं श्री मानवेन्द्र सिंह वरिष्ठ निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के पत्र संख्या-6819-बी दिनांक 26.007.2019, मा० उच्च न्यायालय की भवन समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित निम्नवत् संकल्प के अनुपालन हेतु अधिसूचना सं०-1114/8-3-16-44 विविध/15, दिनांक 31 अगस्त, 2016 में पुनरीक्षण निम्नवत् है:-

- 2.8 वर्तमान अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2016 का प्राविधान-प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 व 21.06.2016 व 24.04.2016 को समाविष्ट करते हुए विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में नवनिर्मित मा० उच्च न्यायालय के आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के farthest point से 100 मी० परिसर को हाई सिक्वोरिटी जोन घोषित किया जाता है, किन्तु उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्व निर्मित भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त क्षेत्रान्तर्गत जो भी मानचित्र स्वीकृत होंगे वह हाई सिक्वोरिटी जोन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे।

- 2.9 मा० उच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प निम्नानुसार है:-

“सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान परिस्थितियों में मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ परिसर की सुरक्षा के दृष्टिगत संस्तुति की जाती है कि विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ में नवनिर्मित मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल से ही 100 मी० एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाना उचित होगा तथा हाई सिक्योरिटी जोन की सीमा के अन्दर स्थित भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मी० रखा जाना समीचीन होगा।”


3. अधिसूचना सं०-1114/8-3-16-44 विविध/15, दिनांक 31 अगस्त, 2016 में दिये गये प्राविधानों को प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में निम्नानुसार समायोजित किया गया है:-

“लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मी० किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना-2031 के सम्बन्धित मानचित्र संख्या-8.9 में दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है एवं नए उच्च न्यायालय परिसर के पास भी सुरक्षा जोन का प्रस्ताव किया गया है।”

4. उपरोक्त विषय पर मा० उच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 17.07.2019 में पारित संकल्प को समायोजित करने हेतु लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर संख्या-8.11.10 में परिवर्तन करना अपरिहार्य है। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रश्नगत संशोधन हेतु प्रस्ताव अनुमोदित कराना समीचीन होगा। तत्पश्चात प्रश्नगत संशोधन का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड में अनुमोदनोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया जाना श्रेयष्कर होगा, जिससे शासन द्वारा प्रश्नगत संशोधन पर अनुमोदन प्रदान किया जा सके। विभाग का यह भी मत है कि लखनऊ महायोजना-2031 में उक्त संशोधन के पश्चात अधिसूचना सं०-1114/8-3-16-44 विविध/15, दिनांक 31 अगस्त, 2016 में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(अनूप कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

उत्तर प्रदेश  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3  
संख्या-1114/8-3-16-44विविध/15  
लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2016

67

अधिसूचना

चूंकि लखनऊ की महायोजना-2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक: 05.04.2016 के संस्करण में प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुये, अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा-(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल पूर्व में निर्गत की गयी सूचना दिनांक 15.03.2016 व मा0 उच्च न्यायालय बिल्डिंग कमेटी के संकल्प दिनांक 22.06.2016 व 24.06.2016 में निर्णीत तथ्य समाविष्ट कर विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-6.11.8 में यथापेक्षित निम्नानुसार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

लखनऊ महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रस्तर-6.11.8 में सुरक्षा जोन सम्बंधी प्राविधान	प्रस्तावित संशोधन
"लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि है। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊंचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा	लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि है। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊंचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना- 2021 के सम्बंधित मानचित्र संख्या-10 में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र,

Dhara-13(3)-09

सचिव

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

13/8/2016  
C.T.P.P. 12/8/16  
2-9-16

C.T.P.P.  
S.C. S. C. S. S. S. S.

01/09/2016

21/8/2016  
1-2-24/9/16

<p>जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना-2021 के सम्बंधित मानचित्र संख्या-10 में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है।</p>	<p>मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 व 21.06.2016 में पारित निर्णय तथा मा0 उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी के संकल्प दिनांक 22.06.2016 व 24.06.2016 को समाविष्ट करते हुये विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में नवनिर्मित मा0 उच्च न्यायालय के आयताकार (rectangular shape) कोर्ट भवन के farthest point से 100 मी0 परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाता है, किन्तु उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्व निर्मित भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त क्षेत्रान्तर्गत जो भी मानचित्र स्वीकृत होंगे वह हाई सिक्योरिटी जोन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे।</p>
--	--

सदा कान्त  
प्रमुख सचिव

संख्या-1114(1)/8-3-16-44विविध/15 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 31 अगस्त, 2016 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर गजट की मुद्रित 10-10 प्रतियाँ सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

( हलधर प्रसाद मिश्रा )  
उप सचिव

संख्या-1114(2)/8-3-16-44विविध/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
@Mirb

( हलधर प्रसाद मिश्रा )  
उप सचिव

- स्मारक के परिसर से 50 मीटर की दूरी के अन्तर्गत किसी निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- स्मारक के परिसर से 50 मीटर से 150 मीटर की दूरी के मध्य केवल एक मंजिलें आवासीय भवनों (अधिकतम ऊँचाई 3.8 मीटर) से अधिक के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- स्मारक के परिसर से 150 मीटर से 250 मीटर की दूरी के मध्य दो मंजिले (अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई 7.6 मीटर) से अधिक के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों पर भारत सरकार के तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे तथा अन्य संरक्षित स्मारकों पर (जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सूची में नहीं है) पर उपरोक्त प्राविधान लागू होंगे। (मानचित्र संख्या-8.8)

(ब) नगर के निर्मित क्षेत्रों में स्थित अन्य महत्वपूर्ण भवन एवं स्मारक

- स्मारक / भवन के परिसर से 15 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- स्मारक के परिसर से 15 मीटर से 50 मीटर की दूरी के मध्य केवल एक मंजिले आवासीय (अधिकतम ऊँचाई 3.8 मीटर) की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

**8.11.10 सुरक्षा जोन**

लखनऊ नगर देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की राजधानी है। नगर के कुछ विशिष्ट भवनों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुरक्षा क्षेत्र में विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास आदि हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास भवनों की ऊँचाई अधिकतम 7.00 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा जोन की भौतिक सीमा लखनऊ महायोजना 2031 के सम्बन्धित मानचित्र संख्या-8.9 में दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय व उसके आस-पास के क्षेत्र, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है, को भी सुरक्षा जोन में सम्मिलित किया गया है एवं नये उच्च न्यायालय परिसर के पास भी सुरक्षा जोन का प्रस्ताव किया गया है।

**8.11.11 नियोजन खण्ड**

लखनऊ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 31 नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है। (मानचित्र संख्या-8.10) नियोजन खण्डों को सामान्यतः समरूप क्षेत्र की मुख्य मार्गों की सीमा से सीमित किया गया है। इन नियोजन खण्डों की विस्तृत योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है।



विषय संख्या: 07

पृष्ठ संख्या: 70

विषय: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एव संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 द्वारा अधिसूचना सं0-558/आठ-3-21-211 विविध/13 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 09 फरवरी, 2021 (छायाप्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न) के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एव संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त अधिसूचना को तद्दिनांक से अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

उपरोक्तानुसार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एव संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 लागू किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना को तद्दिनांक से अंगीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*Shams*

2022 (Dm) comp/2021

084/सा/डम

71

12/2/2021

ADP/2/2021  
/ 2/2021 LDA

ADM LA-I, II

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या-558/आठ-3-21-211 विविध/13 टी.सी.

लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2021

अधिसूचना

71/C.T.P/सा/2/21  
15/02/21

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 55 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 15 की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का  
संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम-3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (पांच) और (छः) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

मुख्य नगर नियोजन/मुख्य अभियंता

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>(पांच) जहाँ कोई आवेदन पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट के पुनरीक्षण की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और जिसके लिए विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो:</p> <p>परन्तु यह कि जहाँ पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, वहाँ पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात् विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, तो आवेदक इस नियमावली के अधीन इस प्रकार बढ़ाए गए भूमि क्षेत्र के लिए किये गये आवेदन के दिनांक को लागू दर पर विकास शुल्क का</p>	<p>(पांच) जहाँ कोई आवेदन पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट के पुनरीक्षण की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और जिसके लिए विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो:</p> <p>परन्तु यह कि जहाँ पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, वहाँ पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात् विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो आवेदक इस नियमावली के अनुसार इस प्रकार बढ़ाए गए भूमि क्षेत्र के लिए किये गये आवेदन के दिनांक को लागू दर पर विकास शुल्क का</p>

सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
12/02/2021

15/2/2021

<p>भुगतान करने के लिए दायी होगा।</p>	<p>भुगतान करने के लिए दायी होगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि जहाँ पूर्व में जारी की गयी भवन परमिट के अनुसार निर्माण करा लिया गया हो और पूर्व परमिट के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अतिरिक्त निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो वहाँ ऐसे अतिरिक्त निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि क्षेत्रफल के सापेक्ष पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात् विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>(क) अतिरिक्त निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि क्षेत्रफल की गणना अतिरिक्त निर्माण हेतु प्रस्तावित तल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) को वर्तमान में अनुमन्य आधारभूत फर्शी क्षेत्रफल अनुपात से विभाजित कर की जाएगी।</p> <p>(ख) पूर्व में संदत्त विकास शुल्क की धनराशि का समायोजन आयकर विभाग के लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के अनुसार आवेदन के दिनांक को पुनरीक्षित करते हुये किया जायेगा।</p>
<p>(छ:) जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गयी हो, वहाँ विकास शुल्क छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।</p>	<p>(छ:) जहाँ अधिनियम के अधीन अथवा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जारी शासनादेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गयी हो, वहाँ विकास शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।</p>

नियम 4 का 3-  
संशोधन

उक्त नियमावली में, नियम-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) विकास क्षेत्र में भवन परमिट या विकास परमिट के लिए नियम-3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त, विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण भूमि खण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा, जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दी गयी दरों	(1) विकास क्षेत्र में भवन परमिट या विकास परमिट के लिए नियम 3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण, इस नियमावली से अनुलग्न अनुसूची 'ख' में दी गयी दरों और नीचे यथा विनिर्दिष्ट गुणन घटक द्वारा गुणांकित भूमि खण्ड

	क्षेत्रफल पर विकास शुल्क उद्ग्रहण किया जायेगा।
--	--

नियम 5 का 4- संशोधन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>5. विकास क्षेत्र में या उसके किसी विशिष्ट भाग में विकास शुल्क की दरें वही होंगी जो इस नियमावली की अनुसूची में उल्लिखित हैं:</p> <p>परन्तु यह कि विशेष सुख-सुविधा या प्रभाव अभिमुख या परिक्षेत्र आधारित विकास (उदाहरणार्थ-सामूहिक द्रुत अभिवहन गलियारों के समानान्तर अभिवहन अभिमुख विकास) की दशा में अनुसूची में विहित विकास शुल्क के 25 प्रतिशत से अनाधिक अतिरिक्त विकास शुल्क उद्गृहीत किया जा सकता है।</p>	<p>5(1) विकास क्षेत्र या उसके किसी विशिष्ट भाग में विकास शुल्क की दरें वही होंगी जो अनुसूची-‘ख’ में उल्लिखित हैं:</p> <p>परन्तु यह कि विशेष सुख-सुविधा या प्रभाव परक या परिक्षेत्र आधारित विकास (उदाहरणार्थ-सामूहिक अभिवहन गलियारों के समानान्तर अभिवहन परक विकास) की दशा में, अनुसूची ‘ख’ में विहित अनधिक 25 प्रतिशत विकास शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क उद्गृहीत किया जा सकता है।</p> <p>(2) यदि किसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य नगर के अतिरिक्त स्वतंत्र महायोजनाओं तथा पृथक विकास शुल्क दर वाले अन्य छोटे नगर अवस्थित हों तो ऐसा पृथक-पृथक विकास शुल्क दर उनकी नगर पालिका सीमाओं अथवा उनकी महायोजना की नगरीय क्षेत्र सीमाओं जो भी अधिक हों, तक लागू होगा जबकि ऐसे छोटे नगरों की नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र सीमाओं के बाहर आने वाले कृषि भूमि उपयोग परिक्षेत्र में मुख्य नगर के लिये विहित विकास शुल्क दर लागू होगा।</p> <p>(3) यदि स्वतंत्र महायोजना तथा पृथक-पृथक विकास शुल्क दर वाले किसी छोटे नगर का संविलयन, भविष्य में मुख्य नगर की नयी या पुनरीक्षित महायोजना के नगरीय क्षेत्र में हो जाता है तो मुख्य नगर के लिये विहित विकास शुल्क दर ऐसे छोटे नगर के लिये लागू होगा।</p>

नियम 6 का 5- संशोधन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

और नीचे विनिर्दिष्ट गुणन-घटक द्वारा गुणित होगा:-

भूमि खण्ड का क्षेत्र (हेक्टेयर)	गुणन-घटक
0.2 तक	1.0
0.2 से अधिक और 01 तक	0.9
01 से अधिक और 05 तक	0.8
05 से अधिक और 10 तक	0.6
10 से अधिक	0.4

परन्तु यह कि यदि आवेदक के स्वामित्वाधीन भूखण्ड का कोई भाग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट हेतु उद्दिष्ट किया गया हो, तो विकास शुल्क की गणना ऐसी भूमि के क्षेत्र को स्कीम के कुल क्षेत्र से कम करने के पश्चात की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगी कि सम्पूर्ण भूखण्ड समीपस्थ हो और आवेदक ने ऐसी भूमि यथा सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट का विकास अपनी लागत पर करने का दायित्व लिया हो।

**स्पष्टीकरण :-** इस नियम के प्रयोजनार्थ

(क) अनुसूची 'क' में दिये गये दर, प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को लागू दर होंगे।

(ख) महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क, खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट के लिये चिन्हित भूमि, जैसा कि आवेदक के स्वामित्वाधीन हो, ही विकास परमिट हेतु आवेदन में सम्मिलित की जा सकती है।

के कुल क्षेत्रफल के आधार पर लिया जायेगा:-

भूमि खण्ड का क्षेत्र (हेक्टेयर)	गुणन-घटक
0.2 तक	1.0
0.2 से अधिक और 01 तक	0.9
01 से अधिक और 05 तक	0.8
05 से अधिक और 10 तक	0.6
10 से अधिक	0.4

परन्तु यह कि यदि आवेदक के स्वामित्वाधीन भूखण्ड का कोई भाग, महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हित किया गया हो तो विकास शुल्क की गणना, ऐसी भूमि के क्षेत्रफल को उक्त स्कीम के कुल क्षेत्रफल से कम करने के पश्चात इस शर्त के अधीन की जायेगी कि सम्पूर्ण भूमि खण्ड समीपस्थ हो और आवेदक ने ऐसी भूमि यथास्थिति सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट का विकास अपनी लागत पर करने का दायित्व ग्रहण किया हो।

**स्पष्टीकरण :-** इस नियम के प्रयोजनार्थ

(क) अनुसूची 'ख' में दिये गये दर, प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को लागू दर होंगे।

(ख) महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क, खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट के लिये चिन्हित भूमि, जैसा कि आवेदक के स्वामित्वाधीन हो, ही विकास परमिट हेतु आवेदन में सम्मिलित की जा सकती है।

"परन्तु यह और कि पार्को, खुले स्थानों या हरित क्षेत्रों या क्रीडा स्थलों यथा-गोल्फ कोर्स, बहुउद्देशीय खुले स्थल, जोनल और उच्च स्तर वाले पार्को तथा 10.0 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले समान प्रकृति के अन्य खुले स्थलों के 'निर्मित क्षेत्रफल' या 'विकसित क्षेत्रफल' के अन्तर्गत होने किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या विन्यास मानचित्र के बाहर होने की स्थिति में लागू भवन उपविधियों की अनुमन्य सीमाओं के अनुसार कुल आच्छादित

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>6. अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन आवेदक अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा यथा उद्गृहीत विकास शुल्क की पूरी धनराशि का भुगतान करेगा,</p> <p>परन्तु यह कि 5 हेक्टेयर (50,000 वर्ग मीटर) से अधिक के आकार वाले भूखण्ड के लिए यदि आवेदक कुल देय धनराशि के समतुल्य बैंक की गारण्टी देता है अथवा अनुकल्पतः विक्रय-योग्य भूमि को कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्राधिकरण के पक्ष में गारण्टी के रूप में बन्धक रखता है, तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष विकास शुल्क को साधारण ब्याज की 12 प्रतिशत वार्षिक दर से 02 वर्ष की समयवधि में किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। बैंक गारण्टी या बन्धक रखी भूमि को विकास शुल्क की कुल धनराशि के भुगतान के पश्चात् अवमुक्त करा दिया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह और कि किस्तों के यथा-समय भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में आवेदक 15 प्रतिशत की दर से शास्तिक दण्ड के रूप में वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ भुगतान करने का दायी होगा।</p>	<p>6. अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन आवेदक को अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा यथा उद्गृहीत विकास शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना होगा।</p> <p>परन्तु यह कि 1.0 हेक्टेयर (10,000 वर्ग मीटर) तक के आकार वाले किसी भूखण्ड के लिये विकास शुल्क की धनराशि एकमुश्त जमा की जाएगी और 1.0 हेक्टेयर (10,000 वर्ग मीटर) से अधिक के आकार वाले भू-खण्ड के लिये ऐसे 1 हेक्टेयर भूखण्ड के लिये विकास शुल्क एकमुश्त जमा किया जायेगा और यदि आवेदक कुल देय धनराशि के समतुल्य बैंक की गारण्टी देता है अथवा अनुकल्पतः विक्रय-योग्य भूमि को कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्राधिकरण के पक्ष में गारण्टी के रूप में बन्धक रखता है, तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अधिशेष विकास शुल्क का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में करने की अनुज्ञा दे सकता है। बैंक गारण्टी या बन्धक रखी गयी भूमि विकास शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।</p> <p>परन्तु यह और कि किस्तों के यथा-समय भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में आवेदक 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से शास्तिक ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि असीमित दैवी आपदाओं, अग्नि, विस्फोट, बाढ़, युद्ध, हड़ताल, दंगा, आतंकवादी घटना, महामारी, वैश्विक महामारी, नागरिक अशान्ति, प्राकृतिक आपदा सहित अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस नियम के उपबन्धों को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि हेतु, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, के लिए न्यून कर सकती है।</p>

नियम 8 का 6-  
संशोधन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लागत सूची के अनुरूप प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से विकास शुल्क की दरों को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लागत सूची उपलब्ध नहीं है, तो प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क को ऐसी समतुल्य सूची के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा जैसा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:</p> <p>परन्तु यह और कि प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लागत सूची के अतिरिक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए समय-समय पर दरों को पुनरीक्षित कर सकता है।</p>	<p>8. विकास शुल्क की दरें प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक आयकर विभाग के लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के अनुसार पुनरीक्षित की जायेंगी और प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से दिनांक 01 अप्रैल से प्रवर्तित की जायेंगी।</p>

नये नियम 11 का 7- उक्त नियमावली में, नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा  
बढ़ाया जाना अर्थात्:-

जहाँ मांगपत्र जारी किये गये हों, वहाँ ऐसे मामलों में विकास शुल्क की वसूली मांगपत्र के अनुसार की जायेगी जबकि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत आवेदनों अथवा विचाराधीन या अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन योजनाओं के मामले में इस नियमावली के उपबंध लागू होंगे।

अनुसूची का 8- उक्त नियमावली में विद्यमान अनुसूची, अनुसूची 'क' के रूप में पुनर्संख्याकित की जायेगी  
संशोधन और अनुसूची 'क' के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:-

अनुसूची 'ख' (नियम-5 देखिये)
--------------------------------

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र	विकास शुल्क (रु. प्रति व.मी.)
1.	गाज़ियाबाद।	3208
2.	लखनऊ, कानपुर, आगरा।	2040
3.	वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला, बरेली, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर।	1200
4.	अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद, न्यू- सिकन्दराबाद, खुर्जा, सहारनपुर, मथुरा-वृन्दावन, झांसी, मुजफ्फरनगर, शामली,	

	खतौली, हापुड़-पिलखुवा, बागपत- बड़ौत-खेकड़ा, फिरोजाबाद- शिकोहाबाद, उन्नाव- शुक्लागंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर।	850
5.	अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उरई, आजमगढ़, बस्ती, मीरजापुर, बिदूर, अकबरपुरमाती, फतेहपुर-सीकरी, कोसीकलां-छाता- चौमुहा- नन्दगांव, गोवर्धन-राधाकुण्ड, गढ़मुक्तेश्वर, जहांगीराबाद, शिकारपुर।	500

दीपक कुमार  
प्रमुख सचिव

संख्या-558(1)/आठ-3-21-211 विविध/13 टी.सी.-तददिनांक


प्रतिलिपि:-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 09 फरवरी, 2021 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित अधिसूचना की 10 प्रति शासन को एवं 01-01 प्रति सम्बन्धित अधिकारीगण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
अजय कुमार सिंह  
उप सचिव।

संख्या-558(2)/आठ-3-21-211 विविध/13 टी.सी.-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।



**Uttar Pradesh Shasan**  
Avas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Government is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no 558/Eight-3-21-211 Vividh/13 T.C., dated 09 February, 2021

**NOTIFICATION**  
No. 558/Eight-3-21-211 Vividh/13 T.C.  
Lucknow, Dated 09 February, 2021

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 55 and with sub-section (2-A) of section 15 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (U.P. Act No. 11 of 1973) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Development Fee) Rules, 2014:-

**THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT  
(ASSESSMENT, LEVY AND COLLECTION OF DEVELOPMENT FEE) (FIRST  
AMENDMENT) RULES, 2021**

**Short title and  
commencement**

1. (1) There rules may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Development Fee) (First Amendment) Rules, 2021
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**Amendment  
of rule 3**

2. In the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment Levy and Collection of Development Fee) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 3 for sub-rules (v) and (vi) set out in Column-I below, the sub-rules as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I	Column-II
Existing sub-rules	Sub-rules as hereby substituted
(v) Where an application is submitted within validity period for revision of building permit or development permit granted earlier and for which development fee has already been paid:	(v) Where an application is submitted within validity period for revision of building permit or development permit granted earlier and for which development fee has already been paid:
Provided that where an application is submitted after the expiry of validity period of building permit or development permit granted earlier, development fee at the rate applicable on the date of such application shall be levied after adjusting the development fee paid earlier:	Provided that where an application is submitted after the expiry of validity period of building permit or development permit granted earlier, development fee at the rate applicable on the date of such application shall be levied after adjusting the development fee paid earlier:

*h*

<p>Provided further that in case the land area under revised plan increases, the applicant shall be liable to pay the development fee at the rate applicable on the date of application for such increased land area in accordance with these rules.</p>	<p>Provided further that in case the land area under revised plan increases, the applicant shall be liable to pay the development fee at the rate applicable on the date of application for such increased land area in accordance with these rules.</p> <p>Provided further that where construction has been done in accordance with the building permit issued earlier and an application is submitted for additional construction on the land falling within the earlier permit, development fee at the rate applicable on the date of such application shall be levied on the land area required for such additional construction after adjusting the development fee paid earlier.</p> <p><b>Explanation:</b></p> <p>(a) Land area required for additional construction shall be calculated by dividing the floor area (square meters) proposed for additional construction with the basic Floor Area Ratio permissible at present</p> <p>(b) The amount of development fee paid earlier shall be adjusted after revising it in accordance with the cost inflation index of the Income Tax Department on the date of application.</p>
<p>(vi) Where total or partial exemption from payment of development fee has been granted by the State Government under the Act, the development fee to the extent of exemption shall not be leviable.</p>	<p>(vi) Where total or partial exemption from payment of development fee has been granted by the State Government under the Act or through Government Order issued with the approval of the Cabinet, the development fee to the extent of such exemption shall not be leviable.</p>

Amendment of rule 4 3. In the said rules, in rule 4, for sub-rule (1) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Column-I	Column-II
Existing sub-rule	Sub-rule as hereby substituted
<p>(1) On an application submitted under rule 3 for building permit or development permit in the development area, the development fee shall be assessed and collected on the basis of gross area of the land parcel multiplied by the rates as set out in Schedule 'A' appended to these rules and the multiplication factor as specified below:-</p>	<p>(1) On an application submitted under rule 3 for building permit or development permit in the development area, the development fee shall be assessed and collected on the basis of gross area of the land parcel multiplied by the rates as set out in Schedule 'B' appended to these rules and the multiplication factor as specified below:-</p>

*lw*

Area of land parcel (Hectares)	Multiplication Factor	Area of land parcel (Hectares)	Multiplication Factor
Up to 0.2	1	Up to 0.2	1
More than 0.2 and up to 01	0.9	More than 0.2 and up to 01	0.9
More than 01 and up to 05	0.8	More than 01 and up to 05	0.8
More than 05 and up to 10	0.6	More than 05 and up to 10	0.6
More than 10	0.4	More than 10	0.4
<p>Provided that in case any part of land parcel owned by the applicant is earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan, the development fee shall be calculated after deducting the area of such land from the gross area of the scheme subject to the condition that the entire land parcel has to be contiguous and the applicant undertakes to develop such land as road, park and open space or green belt as the case may be, at his own cost.</p> <p><b>Explanation:</b> For the purposes of this rule:                      (a) the rates as set out in Schedule 'A' shall be the rates applicable on the date of submission of application on the Authority.                      (b) only such land earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan may be included in the application for development permit as is owned by the applicant.</p>		<p>Provided that in case any part of land parcel owned by the applicant is earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan, the development fee shall be calculated after deducting the area of such land from the gross area of the scheme subject to the condition that the entire land parcel has to be contiguous and the applicant undertakes to develop such land as road, park and open space or green belt as the case may be, at his own cost.</p> <p><b>Explanation:</b> For the purposes of this rule:                      (a) the rates as set out in Schedule 'B' shall be the rates applicable on the date of submission of application to the Authority.                      (b) only such land earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan may be included in the application for development permit as is owned by the applicant :</p> <p>Provided further that in case of parks and open spaces or green areas or playgrounds such as golf course, multi-purpose open space, zonal and above hierarchy parks and other open spaces of similar nature with an area of 10 (ten) hectares and above situated within 'built-up area' or 'developed area' but falling outside the scheme or layout plan sanctioned by the Competent Authority, the development fee shall be levied on the total covered area as per permissible limits of the applicable building bye-laws.</p>	

*h*

Amendment  
of rule 6

5. In the said rules, for rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Column-I	Column-II
Existing rule	Rule as hereby substituted
<p>6. Subject to the provisions of the Act and these rules, the applicant shall pay the full amount of development fee, as levied by the Authority, prior to the grant of permission under section-15 of the Act:</p> <p>Provided that for a plot size of more than five hectares (50,000 sqm.), the Vice-Chairman of the Authority may permit payment of development fee in installments over a time period of maximum 2 years with 12 percent annual rate of simple interest, if the applicant furnishes a bank guarantee equivalent to the total amount due or alternatively mortgages saleable land in favor of the Authority as security against the total amount due. The bank guarantee or the mortgaged land shall be released after the payment of full amount of development fee:</p> <p>Provided further that in case of default in the timely payment of installments, the applicant shall be liable to pay a penal interest at the rate of 15 percent per annum compounded annually.</p>	<p>6. Subject to the provisions of the Act and these rules, the applicant shall pay the full amount of development fee, as levied by the Authority, prior to the grant of permission under section-15 of the Act:</p> <p>Provided that for a plot size of up to 1.0 hectare (10,000 square meters), the entire amount of development fee shall be paid upfront; and for a plot size of more than 1.0 hectare (10,000 square meters), the development fee for 1 hectare area of such plot shall be paid upfront and for the rest of the area of such a plot, the Vice-Chairman of the Authority may permit payment of balance development fee in 4 half-yearly installments with 12 percent annual rate of simple interest, if the applicant furnishes a bank guarantee equivalent to the total amount due or alternatively mortgages saleable land in favor of the Authority as security against the total amount due. The bank guarantee or the mortgaged land shall be released after the payment of full amount of development fee:</p> <p>Provided further that in case of default in the timely payment of installments, the applicant shall be liable to pay a penal interest at the rate of 15 percent per annum compounded annually:</p> <p>Provided also that in case of force majeure circumstances including without limitation, acts of God, fire, explosion, floods, war, strike, riot, terrorist act, epidemic, pandemic, civil unrest, natural catastrophes, the State Government, by way of a notification may alleviate the provisions of this rule in such manner and for such period as may be specified.</p>

h

Amendment of rule 5 4. In the said rules, for rule 5 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Column-I	Column-II
Existing rule	Rule as here by substituted
<p>5. The rates for development fee in the development area or a particular part thereof shall be as mentioned in the Schedule appended to these rules.</p> <p>Provided that in case of special amenity or impact-oriented or zone-based development (e.g., transit-oriented development along mass transit corridors), an additional development fee not exceeding 25 percent of the development fee prescribed in the Schedule 'A', may also be levied.</p>	<p>5(1) The rates for development fee in the development area or a particular part thereof shall be as mentioned in the Schedule 'B':</p> <p>Provided that in case of special amenity or impact-oriented or zone-based development (e.g., transit-oriented development along mass transit corridors), an additional development fee not exceeding 25 percent of the development fee prescribed in Schedule B, may also be levied.</p> <p>(2) In case there are other smaller towns located within a development area besides the main city having independent master plans and separate rate of development fee, such rate of separate development fee shall be applicable up to their municipal or the master plan urbanisable area limits, whichever is larger. Whereas, in the agriculture land use zone falling beyond the municipal or urbanisable area limits of such smaller towns, the rate of development fee prescribed for the main city shall be applicable.</p> <p>(3) In case any smaller town with independent master plan and separate rate of development fee merges in the urbanisable area of the new or revised master plan of the main city in future, the rate of development fee prescribed for the main city shall be applicable to such smaller town.</p>

*W*

Amendment of rule 8 6. In the said rules, for rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Column-I	Column-II
Existing Rule	Rule as hereby substituted
<p>8. The rates of development fee shall be revised annually by the Vice-chairman of the Authority with effect from 1<sup>st</sup> of April every calendar year in conformity with the Central Public Works Department Cost Index:</p> <p>Provided that if the Central Public Works Department Cost Index is not available, the rates of development fee shall be revised by the Authority on the basis of such equivalent index as may be notified by the State Government in this regard:</p> <p>Provided further that apart from the Central Public Works Department Cost Index, the Authority may revise the rates from time to time by recording the reasons thereof.</p>	<p>8. The rates of development fee shall be revised by the Authority every year by 15<sup>th</sup> February in accordance with the cost inflation index of the Income Tax Department and enforced with approval of the Board of the Authority with effect from 1<sup>st</sup> April.</p>

Insertion of new rule 11 7. In the said rules after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :-


Where demand notices have been issued, development fee in such cases shall be recovered as per the demand notice. Whereas, in case of applications submitted after the commencement of these rules or the plans pending or under process for approval, provisions of these rules shall apply.

Amendment of Schedule 8. In the said rules, the existing Schedule shall be renumbered as Schedule 'A' and after Schedule 'A' the following Schedule shall be inserted, namely :-

**Schedule-'B'**  
(See Rule-5)

Sl. No.	Development Area	Development Fee (Rs. Per Sqm.)
1.	Ghaziabad	3208
2.	Lucknow, Kanpur, Agra	2040
3.	Varanasi, Prayagraj, Meerut, Moradabad, Gajraula, Bareilly, Loni, Modinagar, Muradnagar	1200
4.	Aligarh, Gorakhpur, Bulandshahar, Sikandrabad, New-Sikandrabad, Khurja, Saharanpur, Mathura-Vrindavan, Jhansi, Muzaffarnagar, Shamli, Khatauli, Hapur-Pilakhua, Baghpat-Barot-Khekra, Firojabad-	850

	Shikohabad, Unnao-Shuklaganj, Pt. Deendayal Upadhyaya Nagar	
5.	Ayodhya, Raibareli, Banda, Rampur, Orai, Azamgarh, Basti, Mirzapur, Bithoor, Akbarpur mati, Fatehpur-Sikri, Kosikalan-Chhata-Chaumuhan-Nandgaon, Govardhan-Radhakund, Garhmukteshwar, Jahangirabad, Shikarpur	500

  
(Deepak Kumar)  
Principal Secretary

विषय:-मेसर्स रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा ग्राम-मल्हपुर, परगना, तहसील व जनपद-लखनऊ के गाटा संख्या-417स क्षेत्रफल 0.2439 हे० भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

आख्या:

मेसर्स रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2020 के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन प्रारूप पर ग्राम-मल्हपुर, परगना, तहसील व जनपद-लखनऊ के गाटा संख्या-417स क्षेत्रफल 0.2439 हे० भूमि का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2031 के अन्तर्गत कार्यालय के रूप में परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया गया है (छायाप्रति अनुलग्नक-01 पर संलग्न)।

तदकम में अवगत कराना है कि आवास अनुभाग-2 के अधिसूचना सं०-3923/37-2-4-(डीए)-72 दिनांक 11.9.1974 के अन्तर्गत प्रश्नगत ग्राम-मल्हपुर लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के अन्तर्गत उक्त स्थल का भू-उपयोग आवासीय अंकित है। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में आवासीय भू-उपयोग से कार्यालय भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु लागू प्रतिशत-50% का प्राविधान है। प्रकरण की समीक्षा में यह तथ्य स्थापित हुआ कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग पर स्थित है। 12.0मी० चौड़े मार्ग पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के दृष्टिगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है। प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल 33395.09 हे० भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का 46.89प्रतिशत है। जबकि सन्दर्भित गाटा संख्या-417स का क्षेत्रफल 0.2439 हे० ही है। तदानुसार भू-उपयोग होने की दशा में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अनुसार नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा (छायाप्रति अनुलग्नक-02 पर संलग्न)।

अतः आवेदक के आवेदन पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 एवं उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के क्रम में प्रश्नगत भूमि (क्षेत्रफल 0.2439 हे०) का भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय के रूप में परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। बोर्ड से अनुमोदन की दशा में बोर्ड के निर्णयानुसार उ०प्र० शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

प्रस्ताव-मेसर्स रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा ग्राम-मल्हपुर, परगना, तहसील व जनपद-लखनऊ के गाटा संख्या-417स क्षेत्रफल 0.2439 भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। बोर्ड से अनुमोदन की दशा में बोर्ड के निर्णयानुसार उ०प्र० शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।



आर्य कर्म पञ्जाबिण आधिकारिक  
निर्णयानुसार





H104/C-T.P/2020-21

Application for conversion of Land Use

05/10/2020

1253/M Rule -5 (1)

To

Dated: 24<sup>th</sup> September, 2020.

The Vice Chairman,

24/9/2020

Lucknow Development Authority

Gomti Nagar, Lucknow-226010.

C.T.P.

Sub: APPLICATION FOR CONVERSION OF LAND USE.24/09/2020  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Reliance Jio Infocomm Limited ("RJIL") the undersigned through its authorized representative hereby apply for conversion of land use from Residential (land use in the prevailing master plan /zonal development plan) to Offices (Proposed land use for conversion ) of the land parcel / plot bearing details as given below :-

(a) Name of the revenue Village /tehsil and district Village Maalpur (Lucknow) Tehsil and District Lucknow.

(b) Details of land :-

Sl.No.	Gata number	Area(Hectares)
1.	Plot No. 596P/044, Part of Gata No 417, ward Haiderganj Second, mohalla- Maalpur, Hardoi road Lucknow	0.2439 Heactare


(c) Shajra map on 1:4000 scale showing the gata numbers proposed for land use conversion or site plan on 1:1000 scale showing the land proposed for land use conversion, whichever is applicable (copy of Site plan attached).

(d) Key Map showing the location and existing land use of the proposed site as per the prevailing master plan/ zonal development plan (copy of Key Map attached).

(e) Demand draft No 321148 dated 24/09/20 drawn on UCO Bank for Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) as application fee. (@ Rs.1000/- per hectare or part thereof, subject to a minimum of Rs.1000/-) deposited vide challan no. 100258831 dated 24/09/2020.

Photo copy of sale Deed:- copy of Sale deed attached

श्री अनोद / श्री अविनाश



Reliance Jio Infocomm Limited, CIN : U72900GJ2007PLC105869

Registered Office : Office -101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India  
Phone No: 079-35600100, www.jio.com

6/11/2020  
APA


(g) Any other details which the applicant desire to furnish;

- i. Copy of the mutation order dated 19<sup>th</sup> March, 2020
- ii. Copy of the Khatauni.
- iii. Copy of the order dated 17<sup>th</sup> August, 2020 passed by SDM Sadar, Lucknow with respect to change of land use from agriculture to non agriculture Under Section 80 of the UP Revenue Code, 2006.
- iv. Copy of the report dated 22-09-2020 obtained from LDA with respect to Land use as per Master Plan, 2031.

2. We hereby agree to pay land use conversion charge the authority as per the applicable rules.

Name and address of Applicant

For  
Reliance Jio Infocomm Limited



Address:

GF, 1<sup>st</sup> & 2<sup>nd</sup> Floor Solitare, C-B Rafi Ahmad Kidwai Nagar,  
Opp- Fun Republic Mall, Gomti Nagar,  
Lucknow 226010, Uttar Pradesh.

Enclosed:-

- (1) Registered Sale Deed.
- (2) Copy of the mutation order dated 19<sup>th</sup> March, 2020.
- (3) Copy of the Khatauni.
- (4) Copy of the order dated 17<sup>th</sup> August, 2020 passed by SDM Sadar, Lucknow with respect to change of land use from agriculture to non agriculture Under Section 80 of the UP Revenue Code, 2006.
- (5) Site map
- (6) Key Map
- (7) Demand draft No. 321148 dt. 24/09/2020 drawn on UCo Bank deposit vide challan no. 100258831 dt. 24/9/2020.
- (8) Copy of the report dated 22-09-2020 obtained from LDA with respect to Land use as per Master Plan, 2031.

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3  
संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14  
लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 38-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ  
और विस्तार

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।

(3) यह समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषायें

2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है;

(ख) "आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-13 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है;

(ग) 'सर्किल रेट' का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है;

(घ) "टेलिस्कोपिक आधार" का तात्पर्य नियम-4 के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

भू-उपयोग

परिवर्तन

3- यदि किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि विशेष का



शुल्क का उद्ग्रहण  
(धारा-38क की  
उप-धारा-1)

भू-उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा-13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भू-स्वामी से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम-4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगा:-

- (एक) जहां किसी भूमि विशेष का भू-उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप हुआ हो;
- (दो) जहां भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो।
- (तीन) जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू-उपयोग परिवर्तन  
शुल्क का निर्धारण एवं  
उसकी दर (धारा-38क  
की उपधारा-1)

4-(1) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के सर्किल रेट से गुणा करके तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-"क" में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जायेगा:-

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	गुणांक
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

नोट :

(एक) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलिस्कोपिक आधार पर की जायेगी अर्थात् 15.0 हेक्टेअर के भूखण्ड के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगी:-

$$\{(0.25 \times 1) + (1 - 0.25) \times 0.9 + (5 - 1) \times 0.8 + (10 - 5) \times 0.7 + (15 - 10) \times 0.6\} \times \text{सर्किल रेट} \times \text{लागू प्रतिशत, जैसा}$$

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

(दो) भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

- (2) प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना, प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भू-उपयोग हेतु प्रवृत्त सर्किल रेट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्किल रेट लागू हैं, तब भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भू-उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भूमि का अलग-अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू-उपयोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्किल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भू-उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि वहां पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

- (3) यदि निम्नलिखित भू-उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा:-

भू-उपयोग	सूत्र
(क) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें	$0.75xA+0.25xR$
(ख) यातायात एवं परिवहन	$0.50xA+0.50xR$
(ग) औद्योगिक	$0.25xA+0.75xR$
(घ) कार्यालय	$0.50xR+0.50xC$
(ङ) मिश्रित उपयोग	$0.25xR+0.75xC$

जहां :

- A - कृषि भूमि का सर्किल रेट है  
R - आवासीय भूमि का सर्किल रेट है  
C - व्यावसायिक भूमि का सर्किल रेट है

भू-उपयोग परिवर्तन की 5-(1) आवेदक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष इस प्रक्रिया (धारा-13) नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे:-

- (क) भूमि का विवरण (जैसा भी हो)
- (एक) अविकसित क्षेत्र की स्थिति में, राजस्व ग्राम, तहसील, जिले का नाम, गाटा संख्या, गाटावार क्षेत्रफल और 1:4000 स्केल पर सजरा मैप।
- (दो) निर्मित/विकसित क्षेत्र की स्थिति में, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा।
- (ख) स्वामित्व/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति।
- (ग) यथास्थिति प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास क्षेत्र में भू-उपयोग।
- (घ) परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग।
- (ङ.) आवेदन शुल्क रु0 1,000/- प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम रु0 1000/- के अधीन रहते हुए।

(2) आवेदन पत्र की संवीक्षा के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की राय में संशोधन अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

- (क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोर्ड की बैठक में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।
- (ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (घ) उप नियम-ग के अधीन अनुमोदन की दशा में,

प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना करेगा और उसका भुगतान करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

- (क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युक्तियुक्त निर्णय के लिए अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेगा।
- (ख) अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (ग) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।
- (घ) आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना।
- (ङ) प्राधिकरण अपनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (च) राज्य सरकार अपने निर्णय के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा और तदनुसार प्राधिकरण आवेदक को सूचित करेगा।
- (छ) उप धारा-(च) के अधीन अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और उसका भुगतान



करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

भू-उपयोग  
शुल्क का  
(धारा-38क  
उपधारा(1)

परिवर्तन 6-(1)  
भुगतान  
की

आवेदक मांग नोटिस जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर भू-उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा चार त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और वर्ष दे सकता है।

(2) यदि आवेदक यथास्थिति, नियत अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गयी अनुज्ञा व्यपगत समझी जायेगी।

भू-उपयोग परिवर्तन का  
प्रकाशन (धारा-13 की  
उपधारा-4)

7-

(1) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्ण विवरण की आख्या राज्य सरकार को देगा।

(2) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, राज्य



सरकार अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(4) के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

अवस्थापना विकास निधि (धारा-38क की उपधारा-(1))

8- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी सम्पूर्ण धनराशि एक पृथक बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसे "अवस्थापना विकास निधि" के रूप में जाना जायेगा।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण (धारा-38क की उपधारा-(1))

9- प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्यौरे होंगे। यथासंभव, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जायेगी।

2- प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित/गठित हैं, अतः प्रश्नगत नियमावली (अंग्रेजी संस्करण सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने-अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार अंगीकृत किया जायेगा।

3- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत निम्न शासनादेश अवक्रमित समझे जायेंगे:-

- (i) शासनादेश सं0-3712/9-8-3-2000-26 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.8.2001
- (ii) शासनादेश सं0-473/9-अ-3-26 एल.यू.सी./91, दिनांक 04.02.2002
- (iii) शासनादेश सं0-3351/9-अ-3-2004-12 वि./2004, दिनांक 23.08.2004
- (iv) शासनादेश सं0-4988/8-3-2006-05 महा/2005, दिनांक 18.10.2006
- (v) शासनादेश सं0-204/8-3-09-20 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.01.2010
- (vi) शासनादेश सं0-1735/8-1-2010-38 विविध/10, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक : नियम-4 में उल्लिखित अनुसूची 'क'।

नियम-5(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त  
प्रमुख सचिव

संख्या : (1) / 8-3-14-194 विविध / 14 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक: दिसम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 01-01 प्रतियां सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी  
संयुक्त सचिव

संख्या : 228 (2) / 8-3-14-194 विविध / 14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)  
संयुक्त सचिव

अनुसूची 'क'  
(नियम-4 देखें)

क्र. सं.	विद्यमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट के प्रतिशत के रूप में					
		प्रस्तावित भू-उपयोग					
		सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी हैं।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
1	2	3	4	5	6	7	
1.	कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

*hull*

*hull*

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन  
नियम-5(1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
.....विकास प्राधिकरण,  
.....

विषय: भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा.....(प्रवृत्त महायोजना/  
परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू-उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के.....(प्रस्तावित  
भू-उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं, जिसके साथ दिये  
गये विवरण निम्नवत् हैं:-

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम.....

(ख) भूमि का विवरण :-

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1		
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्थिति और विद्यमान भू-उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ङ) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....को..... (बैंक का नाम) पर रुपये.....(रुपये.....मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।

(रुपये 1000/- हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/- के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2- मैं/हम एतद्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।


संलग्नक-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

.....  
.....

हस्ताक्षर एवं दिनांक



  
(सदा कान्त)  
प्रमुख सचिव

विषय:-लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भू-खण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता संबंधी अधिसूचना दिनांक 08.07.2016 में संशोधन/पुनर्विचार किये जाने के संबंध में।

आख्या:

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 2053/व.नि.(4)/लखनऊ महायोजना/2020-21 दिनांक 09.02.2021 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्थिति स्पष्ट कराने/तथा प्रस्ताव पारित न होने की स्थिति में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तद्विषयक प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त शासन को उपलब्ध कराने पर प्रश्नगत प्रकरण पर विचार हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा, की आख्या के साथ पत्र प्रेषित है (अनुलग्नक-1)।

तदक्रम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2017 में की गयी समीक्षा/विचार के अनुसार " पूर्व में आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित थी। इस हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अनुक्रम में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन सामान्य से प्रार्थना पत्र मांग कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये, निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त प्रकरणों को शासन के मार्ग दर्शन के लिए प्रेषित कर दिया जाये, क्योंकि प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में लिये गये निर्णय का संज्ञान जन सामान्य को होने के उपरान्त अधिकांश जन सामान्य, बुद्धिजीवियों तथा आवासीय कालोनियों में निवासित व्यक्तियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है। विभिन्न समाचार पत्रों में भी इस प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये हैं, जिससे जन सामान्य के समक्ष प्राधिकरण की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं प्राधिकरण बोर्ड के मा० सदस्यों द्वारा भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाये गये कि यदि आवासीय भवनो में व्यवसायिक भू-उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है, तो प्राधिकरण की व्यवसायिक योजनाओं की विभिन्न सम्पत्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आवासीय सम्पत्तियों को ही व्यवसायिक सम्पत्ति के रूप में प्रयोग की अनुमति प्राप्त हो जायेगी तो सामान्यतः आवासीय की दोगुनी दर पर व्यवसायिक सम्पत्तियां कोई क्यों क्रय करेगा। लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मानक के अनुसार आवासीय भवनों के सापेक्ष पार्किंग आदि की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती, जिससे जनसामान्य को कई प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के औचित्य से संबंधित विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या तैयार कर शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।" तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या-62/उपा०/मु०न०नि०/2017 दिनांक 12.06.2017 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन, लखनऊ से दिशा-निर्देश मांगे गये थे।

   
कम प्लानिंग अधिकारी  
नियोजन अनुभाग

तदपश्चात् अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07, जुलाई 2020 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में महायोजना में संशोधन हेतु प्रस्ताव तथा वर्तमान प्राविधान एवं संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान का उल्लेख करते हुए सूचना का प्रारूप उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। तदक्रम में लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.5, 9.1.7.3 एवं 8.4.8 के वर्तमान प्राविधानों में संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान का प्रारूप निम्नवत् है:-



प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्राविधान	संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान
9.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee) (अनुलग्नक-2)	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.7.3 में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं उपयोगों की अनुज्ञा हेतु प्राप्त आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.7.3 में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन

*Signature*

	<p>अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।</p> <p>प्रभाव शुल्क उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियामावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण /आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का "निम्न" से "उच्च" क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.6 में दी गई है।</p>	<p>निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।</p> <p>प्रभाव शुल्क उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियामावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण /आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का "निम्न" से "उच्च" क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.6 में दी गई है।</p>
<p>9.1.7.3 (अनुलग्नक-3)</p>	<p>यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का</p>	<p>यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त</p>





<p>अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। ऐसे स्थलों/भूखण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.3, 9.4 एवं 9.5 के प्राविधानों के अनुसार "सामान्यतः अनुमन्य" क्रियाओं को छोड़कर "सशर्त अनुमन्य" एवं "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं के अनुमति निम्न समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण -अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य</li> <li>3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य -सदस्य</li> </ol> <p>परन्तु" विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।</li> <li>2. प्रस्तावित क्रिया यथा-सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित</li> </ol>	<p>स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। इन क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचान नहीं किया जायेगा। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थलों/भूखण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.3, 9.4 एवं 9.5 के प्राविधानों के अनुसार "सामान्यतः अनुमन्य" क्रियाओं को छोड़कर "सशर्त अनुमन्य" एवं "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं के अनुमति निम्न समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण -अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य</li> <li>3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य -सदस्य</li> </ol> <p>परन्तु" विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।</li> </ol>
--	--



	<p>हो।</p> <p>3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का:-</p> <p>3.1. प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।</p> <p>3.2. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राइवेंसी भंग न हो।</p> <p>3.3. प्रस्तावित क्रिया हेतु भू-आच्छादन, अधिकतम एफ.ए. आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया के मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।</p> <p>3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।</p> <p><u>टिप्पणी:-</u> प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं /क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग "सामान्यतः अनुमन्य", "सशर्त अनुमन्य", "विशेष अनुमति से अनुमन्य" हो),</p>	<p>2. प्रस्तावित क्रिया यथा-सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।</p> <p>3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का:-</p> <p>3.1. प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।</p> <p>3.2. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राइवेंसी भंग न हो।</p> <p>3.3. प्रस्तावित क्रिया हेतु भू-आच्छादन, अधिकतम एफ.ए. आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया के मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।</p> <p>3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।</p> <p><u>टिप्पणी:-</u> प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं /क्षेत्रों में मूल</p>
--	---	--



	<p>अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग "सामान्यतः अनुमन्य", "सशर्त अनुमन्य", "विशेष अनुमति से अनुमन्य" हो), अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
<p>8.4.8 (अनुलग्नक-4)</p>	<p>पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गों को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तों के साथ महायोजना-2031 में समायोजित किया जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मार्गों के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे— शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय /अर्द्धराजकीय /स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।</li> <li>● बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 18 मी० अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।</li> <li>● विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित</li> </ul>	<p>पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गों को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तों के साथ महायोजना-2031 में समायोजित किया जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मार्गों के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे— शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय /अर्द्धराजकीय /स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।</li> <li>● जो मार्ग आंशिक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद या किसी अन्य अभिकरण द्वारा विकसित हैं तथा संलग्न भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु</li> </ul>

*विश्व*

	<p>भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 1 जनवरी, 2005 को भू-स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी अधिक हो) तक मानी जायेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बाजार मार्गों पर व्यवसायिक निर्माण/विकास प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।</li> <li>● बाजार मार्ग का मानचित्र अलग से बनाया गया है, किन्तु महायोजना मानचित्र की मूलप्रति में सम्बन्धित भू-उपयोग को बाजार मार्ग ही माना जायेगा।</li> </ul>	<p>आवंटित है, का भू-उपयोग व्यवसायिक/बाजार मार्ग नहीं माना जायेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 18 मी० अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।</li> <li>● विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 1 जनवरी, 2005 को भू-स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी अधिक हो) तक मानी जायेगी।</li> <li>● बाजार मार्गों पर व्यवसायिक निर्माण/विकास प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।</li> <li>● बाजार मार्ग का मानचित्र अलग से बनाया गया है, किन्तु महायोजना मानचित्र की मूलप्रति में सम्बन्धित भू-उपयोग को बाजार मार्ग ही माना जायेगा।</li> </ul>
--	--	--

प्रस्ताव-लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भू-खण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता संबंधी अधिसूचना दिनांक 08.07.2016 में संशोधन/पुनर्विचार किये जाने के संबंध में लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.5, 9.1.7.3 एवं 8.4.8 के वर्तमान प्राविधानों में संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान के प्रारूप का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



5601/1/1/2021

12/2/2021

245/एन-1/21  
15/02/21

## नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./1-वी 5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 2053/व.नि.(4)/लखनऊ महायोजना/2020-21 दिनांक 09/02/2021  
सेवा में,

उप सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भू-खण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 08.07.2016 में संशोधन/पुनर्विचार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्रांक: 1644/आठ-3-20-127 विविध/2011, दिनांक 07.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ प्राधिकरण के पत्र संख्या: 1148/सचिव/सी.टी.पी./20, दिनांक 30.09.2020 एवं पत्र संख्या: 1113/सचिव/सी.टी.पी./20, दिनांक 25.08.2020 तथा अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2020 की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में महायोजना में संशोधन हेतु प्रस्ताव तथा वर्तमान प्राविधान एवं संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान का उल्लेख करते हुए सूचना का प्रारूप उपलब्ध कराने के क्रम में प्रश्नगत वर्तमान प्रस्ताव तथा संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासन द्वारा विभागीय आख्या की वांछना की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विभागीय आख्या निम्नवत् हैं:-

उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के प्रस्तर-1, 2, 3 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन की विधिक व्यवस्था है। भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या: 2281-3-14-194/विविध/14 दिनांक 11.12.2014 द्वारा नियमावली प्रख्यापित की गयी है। इसके अतिरिक्त जोनिंग रेगुलेशन के माध्यम से भी विशिष्ट भू-उपयोग के अन्तर्गत की अनुषांगिक क्रियायें प्रभाव शुल्क लेकर अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है। लखनऊ महायोजना-2021 के पैरा-7.1.5 में यह व्यवस्था की गयी थी कि विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ निया


मुख्य नगर नियोजक<sup>1</sup>

सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
12/02/2021

APR  
15/2/2021

मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विचार नहीं किया जायेगा।

2. लखनऊ नगर में प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों में अनावासीय क्रियायें अनाधिकृत रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति बड़े स्तर पर पायी जाने लगी। प्राधिकरण द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 28.02.2015 में नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से क्रियायें अनुमन्य करने का प्रस्ताव पारित कर शासन को प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या: 457/8-3-16-127 विविध/11, दिनांक 08.07.2016 द्वारा नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से क्रियायें अनुमन्य करने की व्यवस्था स्थापित की गयी। इस व्यवस्था को तदानुसार लखनऊ महायोजना-2031 में समायोजित कर लिया गया।
3. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन तथा इम्पैक्ट फीस लेकर आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं को अनुमन्य किये जाने पर विभिन्न समाचार-पत्रों, सामान्य जन आदि द्वारा विरोध किया जाने लगा। इससे प्राधिकरण की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा भी इस प्रक्रिया पर प्रश्न उठाये गये कि यदि आवासीय भवनों में व्यावसायिक भू-उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है तो प्राधिकरण की व्यावसायिक योजनाओं पर विभिन्न सम्पत्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मानक के अनुसार आवासीय भवनों के सापेक्ष पार्किंग आदि की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है।
4. इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 में निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या प्राप्त कर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।
5. इसी अनुक्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र संख्या: 62/उपा./मु. न.नि./2017, दिनांक 12.06.2017 द्वारा महायोजना-2031 में प्रस्तावित निम्न 02 विषयों पर पुनर्विचार करने की अनुशंसा की गई :-



(क)– नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना।

(ख)– नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन के अनावासीय क्रियाओं की इम्पैक्ट फीस लेकर अनुमति दिया जाना।

6. अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की 116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 में लिए गये निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "निर्देशित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के औचित्य से सम्बन्धित विस्तृत एवं सूस्पष्ट आख्या तैयार कर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।" इस अनुक्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या: 62/उपा./मु.न.नि./2017, दिनांक 12.06.2017 जो प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित है, के द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि "अधिसूचना संख्या: 457/8-3-16-127 विविध/11, दिनांक 08.07.2016 के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-7.1.5 व 7.1.7.3 में संशोधन करते हुये जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधान नियोजित कालोनियों में आरक्षित आवासीय भूखण्डों पर भी लागू किये गये थे जिनका समावेश महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.7.3 में भी कर लिया गया है। उक्त अधिसूचना केवल लखनऊ विकास क्षेत्र में ही लागू की गई है। अतः उक्त अधिसूचना के प्राविधानों पर भी पुनर्विचार करने की अनुशंसा की जाती है।"
7. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के फाइल नं० 8-30999/44/2020-3-दिनांक 07 जुलाई 2020 द्वारा प्राधिकरण को प्रश्नगत प्रकरण पर महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव तथा वर्तमान प्राविधान एवं संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान का उल्लेख करते हुए सूचना का प्रारूप उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
8. इसी अनुक्रम में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या: 1113/सचिव/सी.टी.पी./20, दिनांक 25.08.2020 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में महायोजना में संशोधन हेतु प्रस्ताव तथा वर्तमान प्राविधान एवं संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान का प्रारूप शासन को प्रेषित किया गया।

9. प्राधिकरण द्वारा लखनऊ महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स प्रस्तर 9.1.5, 9.1.7.3 एवं लखनऊ महायोजना-2031 प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 8.4.8 के वर्तमान प्राविधानों में संशोधन हेतु प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप शासन को उपलब्ध कराया गया है, परन्तु उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदित है या नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ महायोजना-2031 प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 8.4.8 जो प्राधिकरण द्वारा शासन को भेजे गये प्रारूप में सम्मिलित कर लिया गया है, वह प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 एवं प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित पत्र संख्या: 62 दिनांक 12.06.2017 में सम्मिलित नहीं है।


अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण से उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट कराने/ तथा प्रस्ताव पारित न होने की स्थिति में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तद्विषयक प्रस्ताव अनुमोदनोंपरान्त शासन को उपलब्ध कराने पर प्रश्नगत प्रकरण पर विचार हेतु अग्रेतर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

भवदीय,

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:

✓ प्रतिलिपि: सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उनके पत्र संख्या: 1113/सचिव/सी.टी.पी./20, दिनांक 25.08.2020 के अनुक्रम में प्रेषित।

  
(अनूप कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

### 9.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.7.3 में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियमावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का "निम्न" से "उच्च" क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.6 में दी गई है।

**प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :-**

- (i) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु,
- (ii) मिश्रित भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/ क्रियाओं हेतु,
- (iii) विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/ उपयोगों हेतु,
- (iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा पार्क एवं खुले स्थल, बाग-बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भू-उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू-उपयोगों में होटल की अनुमन्यता तथा आवासीय क्षेत्र में पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्ककी अनुमन्यता हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।



(v) होटल अथवा व्यवसायिक उपयोग से भिन्न उपयोग में होटल की अनुमन्यता हेतु परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

#### 9.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

9.1.6.1 विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

- (i) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
- (ii) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
- (iii) अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

9.1.6.2 जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

#### 9.1.7 अन्य अपेक्षाएं

9.1.7.1 महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।

9.1.7.2 महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

9.1.7.3 यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। ऐसे स्थलों/भूखण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.3, 9.4 एवं 9.5 के प्राविधानों के अनुसार "सामान्यतः अनुमन्य" क्रियाओं को छोड़कर "सशर्त अनुमन्य" एवं "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं के अनुमति निम्न समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी:-

1	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य	सदस्य

परन्तु "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी:-

1. प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
2. प्रस्तावित क्रिया यथा-सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का-
  - 3.1. प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  - 3.2. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।
  - 3.3. प्रस्तावित क्रिया हेतु भू-आच्छादन, अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रियाके मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।
  - 3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

टिप्पणी:- प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग "सामान्यतः अनुमन्य", "सशर्त अनुमन्य", " विशेष अनुमति से अनुमन्य" हो), अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्ति/ सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

9.1.7.4 जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाली परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/विन्यास मानचित्र/पुनर्विकास योजना के लिये तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकास योजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किये जा सके हैं, हेतु कार्यवाही की जायेगी।

9.1.7.5 प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

## 9.1.8 परिभाषाएं

9.1.8.1 इन रेगुलेशन्स हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उ. प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।

#### 8.4.7 मोटर वाहन कय-विकय बाजार/कार्यशाला तथा सहायक विकय केन्द्र

मोटर वाहनों के कय-विकय, कार्यशाला एवं कल पुर्जों के विकय हेतु हायोजना-2031 में 118.29 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो मुख्यतः सीतापुर मार्ग, हरदोई मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं रायबरेली मार्ग पर स्थित है।

#### 8.4.8 बाजार मार्ग

लखनऊ महायोजना-2001 में कुछ मार्गों को बाजार मार्ग के रूप में उन पर हो रही परम्परागत व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हित किया गया था। इन चिन्हित मार्गों की विस्तृत योजनायें तैयार न हो सकने के फलस्वरूप मार्गों के साथ-साथ व्यवसायिक विकास तो हुआ किन्तु उनका स्वरूप बाजार मार्ग की अवधारण के अनुरूप नहीं हुआ जिसके कारण यातायात की समस्यायें मार्गों पर व्यवसायिक क्रियाओं की सघनता के कारण और बढ़ी।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा विकसित आवासीय कालोनियां/ स्वीकृत तलपट के आधार पर विकसित क्षेत्रों / विकासशील क्षेत्र के मार्गों को बाजार मार्ग के रूप में चिन्हित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनका विकास नियोजित रूप से हुआ है तथा व्यवसायिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु प्राविधान योजना के अन्तर्गत किए गए हैं।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गों को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तों के साथ महायोजना-2031 में समायोजित किया जाये।

- मार्गों के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे- शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय/ अर्द्धराजकीय/स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।
- बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 18 मी० अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।
- विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 1 जनवरी, 2005 को भू-स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी अधिक हो) तक मानी जायेगी।
- बाजार मार्गों पर व्यवसायिक निर्माण/विकास प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।
- बाजार मार्ग का मानचित्र अलग से बनाया गया है, किन्तु महायोजना मानचित्र की मूलप्रति में सम्बन्धित भू-उपयोग को बाजार मार्ग ही माना जायेगा।

चिन्हित बाजार मार्ग निम्नवत् हैं (मानचित्र संख्या.-8.4)

1. फैजाबाद मार्ग (कुकरैल बांध से राजकीय पॉलीटेक्निक तक)
2. विधान सभा मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से रॉयल होटल तक)
3. अशोक मार्ग (प्रस्तावित हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक आस्थान से राणा प्रताप मार्ग तक)
4. शाहनजफ मार्ग ( हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
5. रेलवे स्टेशन मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से के०के० कालेज चौराहे तक)

विषय संख्या: 10

पृष्ठ संख्या: 112

विषय: विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र/तलपट मानचित्र एवं भू-उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पक्ष/आवेदक पर अधिरोपित किये जाने वाले दर/शुल्क का पुर्न-निर्धारण किये जाने के संबंध में।

आख्या:

कृपया विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र/तलपट मानचित्र एवं भू-उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पक्ष/आवेदक पर अधिरोपित किये जाने वाले दर/शुल्क का निर्धारण तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.06.2014 के क्रम में आदेश संख्या-1096/वि0प्रा0/सी0टी0पी0/2014-2015 दिनांक 25.06.2014 के माध्यम जारी हुआ था (अनुलग्नक-1 पर संलग्न)। प्रश्नगत आदेश जारी हुये लगभग 6  $\frac{1}{2}$  वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। वर्ष-2014 के COST INDEX से वर्तमान वर्ष-2021 के COST INDEX में भी काफी वृद्धि हो गयी है। वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित दरों/शुल्कों को वर्तमान वर्ष-2021 के COST INDEX के सापेक्ष प्रस्तावित दरों की तालिका निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	कार्य का विवरण	पूर्व निर्धारित दर	वर्तमान COST INDEX के सापेक्ष प्रस्तावित दर
1.	तलपट मानचित्र के प्रिन्ट की प्रति	रु० 20.00 प्रति वर्ग फिट	रु० 30.00 प्रति वर्ग फिट
2.	ट्रेसिंग कराकर तलपट मानचित्र के प्रिन्ट की प्रति	रु० 200.00 प्रति वर्ग फिट	रु० 300.00 प्रति वर्ग फिट
3.	साईट प्लान की प्रति	रु० 50.00 प्रति कापी	रु० 70.00 प्रति कापी
<b>भू-उपयोग की सूचना हेतु शुल्क:</b>			
4.	0.10 हे० तक	रु० 200.00	रु० 300.00
5.	0.10 हे० से अधिक-0.50 हे० तक	रु० 500.00	रु० 700.00
6.	0.50 हे० से अधिक-1.0 हे० तक	रु० 1000.00	रु० 1400.00
7.	1.0 हे० से अधिक	रु० 5000.00	रु० 7000.00

उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित प्रस्तावित दर/शुल्क के पुर्न-निर्धारण हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र/तलपट मानचित्र एवं भू-उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पक्ष/आवेदक पर अधिरोपित किये जाने वाले दर/शुल्क के पुर्न-निर्धारण हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

संख्या-1096 /वि0प्रा0/सी0टी0पी0/2014-2015

दिनांक: 25/6/2014

आदेश

विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र/तलपट मानचित्र एवं भू-उपयोग प्रमाण-पत्र आदि जारी करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक: 12.06.2014 के क्रम में निम्नवत दर से शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(1) मानचित्र के ब्लू प्रिन्ट की प्रति-	रु०	20.00 प्रति वर्गफीट
(2) ट्रेसिंग कराकर ब्लू प्रिन्ट की प्रति-	रु०	200.00 प्रति वर्गफीट
(3) साइट प्लान की प्रति-	रु०	50.00 प्रति कापी
भू-उपयोग की जानकारी हेतु शुल्क-		
(4) 0.10 हे० तक	रु०	200.00
(5) 0.10 हे० से अधिक-0.50 हे० तक	रु०	500.00
(6) 0.50 हे० से अधिक-1.00 हे० तक	रु०	1000.00
(7) 01.00 हे० से अधिक	रु०	5000.00

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जे०एन० रेड्डी)  
मुख्य नगर नियोजक

## प्रतिलिपि-

1. उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को सूचनार्थ।
2. सचिव, ल०वि०प्रा० को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता
4. अपर सचिव
5. वित्त नियंत्रक
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता
7. नोट्स बोर्ड/गार्ड फाइल

*Jee Ratil*  
(जे०एन० रेड्डी)  
मुख्य नगर नियोजक

विषय:- लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.07.2020 को विषय संख्या-168/4 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था:-

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम लैंडपूलिंग के माध्यम से शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाये।

उक्त बोर्ड बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि०, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग क्षेत्र-2052.15 एकड़ भूमि पर नवीन योजना हेतु भूमि प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की 1784 एकड़ क्षेत्रफल की टाउनशिप के विकास हेतु दिनांक 13.04.2005 को शासन द्वारा चयन किया गया था, जिसके क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 13.12.2005 को एम०ओ०यू० निष्पादित किया गया था। विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2015 में नए स्थल (2052.15 एकड़) का चयन किया गया। तत्क्रम में दिनांक 02.08.2016 को अमेन्डेड एम०ओ०यू० निष्पादित किया गया, परन्तु मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० द्वारा मा. 128 एकड़ भूमि क्रय की गई, जो प्रथम चरण के डिटेल्ड-ले-आउट प्लान हेतु वांछित न्यूनतम 200 एकड़ से कम थी। इसके अतिरिक्त परियोजना का कन्सेप्चुवल डी०पी०आर० अनुमोदित नहीं है और परियोजना की प्रगति शून्य है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-2101, दिनांक 23.08.2018 द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशिप से आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत अन्य किसी के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र का नियोजित विकास अवरुद्ध है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के विकास एवं जनहित में विकासकर्ता का चयन निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी थी। मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० द्वारा लाइसेन्स निरस्त किये जाने के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-35018/एम०बी०/2019 योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है, उक्त वाद मा० न्यायालय में विचाराधीन है।


मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि के सन्निकट ही अन्य कतिपय व्यक्तियों/कम्पनियों द्वारा बल्क रूप में किसानों से सीधे विभिन्न छोटे एवं बड़े आकार के भूखण्ड/भूमि क्रय कर आवासीय योजना संचालित किये जाने का मत स्थिर किया गया। इस क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों/कम्पनियों द्वारा अन्यथा छुट-पुट किसानों या अन्य व्यक्तियों/कम्पनियों द्वारा प्राधिकरण के तलपट मानचि. की अनुज्ञा प्राप्ति के बगैर अनाधिकृत कालोनियों का विकास किये जाने की प्रबल सम्भावना है।



लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग क्षेत्र-2052.15 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में नवीन आवासीय योजना संचालित की जानी है। शासन की इंटीग्रेटेड नीति-2014 के अन्तर्गत न्यूनतम 25 एकड़ से लेकर 500 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने की नीति प्रचलित है। अतः सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों यथा-इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, तलपट मानचित्र, ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य पद्धतियों के विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों/कम्पनियों को प्रदान किये जाने के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग/अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:

लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग क्षेत्र-2052.15 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में नवीन आवासीय योजना संचालित की जानी है। शासन की इंटीग्रेटेड नीति-2014 के अन्तर्गत न्यूनतम 25 एकड़ से लेकर 500 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने की नीति प्रचलित है। अतः सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों यथा-इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, तलपट मानचित्र, ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य पद्धतियों के विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों/कम्पनियों को प्रदान किये जाने के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग/अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

 11/6/2019

विषय संख्या:- D4

पृष्ठ संख्या:- 36

विषय:-लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० को सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ में 1784 एकड़ की टाउनशिप के विकास हेतु दिनांक 13.04.2005 को चयन किया गया था, जिसके क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 13.12.2005 को एम०ओ०यू० निष्पादित किया गया था। विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2015 में नए स्थल (2052.15 एकड़) का चयन किया गया। तत्क्रम में दिनांक 02.08.2016 को अमेन्डेड एम०ओ०यू० निष्पादित किया गया, परन्तु मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० द्वारा मात्र 128 एकड़ भूमि क्रय की गई, जो प्रथम चरण के डिटेल्ड ले-आउट प्लान हेतु वांछित न्यूनतम 200 एकड़ से कम थी। इसके अतिरिक्त परियोजना का कन्सेप्चुअल डी०पी०आर० अनुमोदित नहीं है और परियोजना की प्रगति शून्य है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-2101, दिनांक 23.08.2018 द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशिप से आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत अन्य किसी के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र का नियोजित विकास अवरूद्ध है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के विकास एवं जनहित में विकासकर्ता का चयन निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी थी।

तदक्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के पत्र संख्या-1090/आठ-3-19-227 विविध/2016 दिनांक 26.09.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपनी लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप परियोजना का एम०ओ०यू० किये जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि में अपेक्षित न्यूनतम भूमि का जुटाव भी नहीं किया जा सका और नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समय-सीमा में कोई कार्य नहीं किया गया। उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में सम्यक विचारोपरान्त उक्त हाईटेक परियोजना का चयन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में परियोजना निरस्त की जाती है, जिसके विभागीय पत्र संख्या-2741/वी.सी./ई.ई./एस.टी.आई. सेल/2019 दिनांक 18.11.2019 (संलग्नक-1) के माध्यम से मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० सहारा इण्डिया सेक्टर, 2 कपूरथला कम्पलेक्स अलीगंज, लखनऊ, पिन-226024 को अवगत कराया जा चुका है।

मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० द्वारा लाइसेन्स निरस्त किये जाने के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-35018/एम.बी./2019 योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है, उक्त वाद मा० न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अभिमत प्राप्त करने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में मा० उच्च न्यायालय के विभागीय रिटेनर श्री रत्नेश चन्द्रा से विधिक राय प्राप्त की गयी, जिसका अंश निम्नवत है :-

१



After going through the record of Lucknow Development Authority, what is found is that there is no interim relief order in favour of M/s Sahara India Commercial Corporation, Lucknow and as such the cancellation order dated 13/08/2019 is still in existence and therefore as of now the Lucknow Development Authority is at liberty to either acquire the land for its own scheme or for any other purpose or may grant license to any developer for developing integrated township. However when it comes for the availability of land bank which has been informed by Sri. Himmat Singh, Surveyor to be very less, then in such circumstances it would be appropriate that the Lucknow Development Authority should go for acquisition instead of granting license to any other developer. (संलग्नक-2)

उपरोक्त विधिक राय के अनुमोदन एवं मे० सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लाइसेन्स के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित भूमि के अर्जन का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सुल्तानपुर रोड स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लाइसेन्स के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढरमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग 2052.15 एकड़ भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

प्रस्ताव :

लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लाइसेन्स के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढरमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग 2052.15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*M. Singh*  
10/7/2020

*[Signature]*  
10/7/2020

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक दिनांक  
24 जुलाई, 2020 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 01. श्री शिवाकान्त द्विवेदी    | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।  |
| 02. डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी     | नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।   |
| 03. श्री राजेश प्रताप सिंह     | संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 04. श्री अजय कुमार राय         | अपर नगर मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ।                        |
| 05. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा  | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।      |
| 06. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।                |
| 07. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद     | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।         |
| 08. श्री पवन अग्रवाल           | संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।                                     |
| 09. श्री एस0के0 गुप्ता         | महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।                        |
| 10. श्री अनुपम श्रीवास्तव      | क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।                 |
| 11. श्री पी0एन0 सिंह           | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।  |
| 12. श्री प्रदीप भार्गव         | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।  |
| 13. श्री पुष्कर शुक्ला         | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।  |

अन्य उपस्थिति:-

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 14. श्री एम0पी0 सिंह           | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।            |
| 15. श्री अनिल भटनागर           | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 16. श्री राजीव कुमार सिंह      | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।  |
| 17. श्री इन्दु शोखर सिंह       | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।  |
| 18. श्री नितिन मित्तल          | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।          |
| 19. श्रीमती रजत सुहास          | संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।              |
| 20. श्री पंकज कुमार            | नजूल अधिकारी, ल0वि0प्रा0।              |
| 21. श्री डी0एम0 कटियार         | मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, ल0वि0प्रा0। |
| 22. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह | विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0।        |
| 23. श्री पी0सी0 पाण्डेय        | अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।          |
| 24. श्री चक्रेश जैन            | अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।          |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/ आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
168/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
168/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।

168/3	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (वसंतकुंज) के अन्तर्गत समझौते के आधार पर देय अवशेष प्रतिकर धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा वसंत हरदोई रोड योजना में देय अवशेष प्रतिकर धनराशि ₹ 30.42 करोड़ का भुगतान किये जाने की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
168/4	लखनऊ-चुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई और निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम लैंडपूलिंग के माध्यम से शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाये।
168/5	वसंतकुंज योजना में स्थित कौटिल कालोनी में तटबन्ध के निर्माण से प्रभावित भूखण्डों का पूनर्वासन हेतु निर्माण के मूल्यांकन प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त वसंतकुंज योजना में बंधा निर्माण से प्रभावित कौटिल कालोनी में जिन-जिन व्यक्तियों के भूखण्ड का निर्माण प्रभावित हुआ है, ऐसे कुल 143 आवंटी हैं, जिन्हें उनके निर्माण के मूल्यांकित धनराशि ₹ 1,12,18,663.00 (रूपये एक करोड़ बारह लाख अट्टारह हजार छः सौ तिरसठ) मात्र का भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
168/6	आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवा अवधि (दिनांक 31.12.2020 तक) बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
168/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। निर्देश दिये गये कि आवंटन तिथि में अनुमानित कीमत आंकलित कर आवंटी से मूल्य लिया जाय तथा निर्मा- पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर और लिया जाय। यदि वास्तविक मूल्य आवंटन-पत्र में सूचित मूल्य से 10% (कार्नर भूखण्ड तथा मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की स्थिति को छोड़कर) अधिक बढ़ता है, तो आवंटी को विकल्प होगा कि वह सम्पत्ति क्रय न करें और जमा धनराशि बिना कटौती के वापसी हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। भूखण्डों में आवंटन तिथि को प्रचलित दर ही ली जायेगी। इस प्रकार यदि निर्धारित अवधि में आवंटी की रजिस्ट्री/कब्जा की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो, तब भी आवंटी चाहे तो सम्पत्ति क्रय न करें और धनराशि

		वापस किये जाने हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। प्राधिकरण की जिन योजनाओं में नियन्त्रण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, उन पर प्रभावी नहीं होगा।
168/8	व्यवसायिक भूखण्डों की ई-नीलामी की मूल शर्त संख्या-4 को निक्षेपित करने व नई शर्त जोड़ने के सम्बन्ध में। i) डिफॉल्टर्स की नीलामी में भाग लेने से रोकने के सम्बन्ध में। ii) फ्री-होल्ड चार्ज लेने के सम्बन्ध में। iii) 03 वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त व्यवसायिक सम्पत्तियां/ भूखण्डों की ई-नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि:- i-यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने 03 लगातार किश्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते हैं, तो आवेदन करने व ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे। ii-शासनादेशानुसार व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी के तनय फ्रीहोल्ड शुल्क चार्ज भी भूखण्ड की नूल्यांकित धनराशि में सम्मिलित किया जायेगा। iii-व्यवसायिक सम्पत्तियों को नीलामी में आवेदकों द्वारा जिन 03 वर्षों की आईटीआर और हैसियत लिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों की सूची और समझा के तथ अगली बोर्ड बैठक में रटी जाने के निर्देश दिये गये।
168/9	जनपद-तखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एव ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद-तखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एव ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही इस हेतु QCBS पद्धति पर कंसलटेन्ट को नियुक्त की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
168/10	भूखण्ड संख्या-221स, निकट टी0वी0 टावर, गाम-बेगारिया, हरदोई रोड, तखनऊ पर फोटोला कम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एव नियमानुसार शुल्क जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये।
168/11	जटिल मामलों को वर्षों के संरक्षण एवं अंतिमिमत रूपों को पूर्ण न हो पाने के कारण	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यों से प्रभावित भूखण्डों के सम्बन्ध में प्रस्तुत

	प्रभावित भूखण्डों के वृहद स्तर पर समायोजन हेतु।	प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। ही बोर्ड द्वारा बन्धे से प्रभावित 322 भूखण्ड (जिनमें 79 भूखण्डों का समायोजन पूर्व में चुका है, उन्हें छोड़कर) के समायोजन के स्वीकृति प्रदान की गई।
168/12	वसन्तकुंज योजना में गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान-"पार्क एवं खुला स्थल" हेतु लगभग 65 एकड़ चिन्हित भूमि पर "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित एवं अनुमोदित किया गया।
168/13	अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना-2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शमन योजना-2020 लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि जोनवार टीम गठित कर डोर-टू-डोर सर्वे कराकर शमन की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा वस्तुस्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।
<b>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</b>		
अ0वि0 168/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता को उनके गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु किये गये भुगतान, तत्पश्चात् चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 168/2	परिसम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-36/2020/935/आठ-1-20-03बैठक/13टी0सी0 दिनांक 15.07.2020 द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता विषयक शासनादेश अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गये-

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में उ0प्र0 शमन योजना 2020 घोषित कर दी गई है, अतः इस सम्बन्ध में जोनवार रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। इस सम्बन्ध में टीम गठित कर दी जाय। टीम सम्बन्धित स्थलों पर फोटोग्राफी के साथ गूगल मैपिंग, नगर निगम के सम्पत्ति का जी0आई0एस0 सर्वेक्षण एवं अन्य सुसंगत तकनीकी सहायता लेकर शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी। समस्त विहित प्राधिकारी अपने सम्बन्धित जोन की समीक्षा करें कि शमन के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें कितने निस्तारित हुए हैं।
2. हिन्दू नगर कालोनी, कानपुर रोड के ले-आउट तथा नक्शा पास करने के प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 को निर्देश दिये गये कि इसका निस्तारण नियमानुसार करा दिया जाये। साथ ही इस प्रकार के और भी कालोनियों को चिन्हित कर लिया जाये और उनमें भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उक्त के अतिरिक्त श्री पुष्कर शुक्ला, नामित सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की मांग की गई:-

1. एलडीए की मार्केट जिनमें अभी तक अधिकांश दुकानें बन्द पड़ी हैं पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एलडीए की ओर से अन्नपूर्णा काम्पलेक्स, कानपुर रोड एवं अन्य इसी प्रकार की पुरानी योजनाओं के ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस जारी की जाय, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई हैं। नोटिस प्राप्ति के बाद भी यदि आवंटियों द्वारा 01 माह में रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है, तो सुसंगत नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

2. अंसल आंगन फेज-3 ईडब्लूएस मकान के आवंटियों की लाटरी पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अंसल कम्पनी से जानकारी कर ली जाय, यदि कोई लाटरी कराना अवशेष हो या आवंटि प्रतिक्षारत हों, तो नियमानुसार उसे शीघ्र समाधान कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।


3. एलडीए द्वारा अधिग्रहित जमीनों के गांवों का समुचित विकास न होने पर चर्चा।


इस सम्बन्ध में चर्चा हुई कि लखनऊ विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम व नीति के अन्तर्गत गांवों का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराता है। यदि कोई गांव एलडीए के भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में विकास से वंचित रह गया होगा, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

4. एलडीए के बहुत सारे ऐसे मकान हैं, जिनके मूल आवंटियों ने साधारण एग्रीमेंट पर या अन्य को मकान दे दिए हैं, जिस पर लोग 20-20, 25-25 वर्ष से कायिज हैं, पर चर्चा।


अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण एवं सर्वे कराकर आवंटन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

  
(एम0पी0 सिंह)  
सचिव, ल0वि0प्रा0,  
लखनऊ।

  
(शिवाकान्त द्विवेदी)  
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,  
लखनऊ।

अनुमोदित

  
23/07/2020

(मुकेश कुमार मेश्राम)  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

9

## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
नवीन भवन, विपिन खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या: 2741/VC/215/HTM/2019  
दिनांक 18/11/2019

सेवा में,

सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि०  
सहारा इण्डिया सेन्टर, 2 कपूरथला कमलेकरा  
अलीगंज, लखनऊ। 226024

विषय : हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 13.08.2019 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 28.08.2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त नियमक अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप का विकास किया जाने हेतु निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन हेतु आपका वसुल लखनऊ में टाउनशिप विकसित किया जाने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.08.2005 में अंतिम स्तर के अंतिम किया गया था जिसकी सूचना उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 के पत्र संख्या-2712/आउ/1-05 दिनांक 21.05.2005 के माध्यम से अंतर कार्यवाही हेतु की गयी थी (संलग्नक 1)। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 के पत्र संख्या-3851/आउ-1-05 दिनांक 08.08.2005 के माध्यम से शासन के पत्र दिनांक 21.05.2005 के क्रम में एम०ओ०यू० का प्रारूप संलग्न कर एम०ओ०यू० विचारन हेतु निर्देशित किया गया था (संलग्नक 2)।

उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण एवं आपके वसुल दिनांक 13.12.2005 को एम०ओ०यू० निर्मादित किया गया। उक्त एम०ओ०यू० विचारन के परस्ताव आप द्वारा लखनऊ में मूल निर्धारित स्थल (क्षेत्रफल 1784.84 एकड़) में परिवर्तन करते हुए नव निर्धारित स्थल के रूप में लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में क्षेत्रफल 2052.15 एकड़ परिवर्तित किए जाने का अनुमोद किया गया, जिस पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2015 के एन०ए० विन्डु संख्या-1 पर निम्न निर्णय लिया गया-

"उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिखसकता के मूल निर्धारित स्थल (1784 एकड़) में परिवर्तन करते हुए विकासकर्ता द्वारा नव निर्धारित स्थल के रूप में 2052.15 एकड़ (लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में) पर स्थल परिवर्तन संबंधी परस्ताव एन०ए० प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया।" (संलग्नक- 3)

उपरोक्त से स्वतः ही स्पष्ट है कि लगभग पश्चिम 10 वर्षों में आप द्वारा योजना विकसित करने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। तदक्रम में उक्त योजना का एम०ओ०यू० दिनांक 02.08.2016 को निर्मादित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखा के अनुसार 2005 से लेकर वर्तमान तक विकासकर्ता के पक्ष में लगभग-128 एकड़ भूमि है।

हाईटेक टाउनशिप नीति विधायक शारनादेश संख्या-3872/आउ-1-07-34विधि/03 दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के परतर-24 के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्सियम द्वारा एम०ओ०यू० के निर्मादन की तिथि से 180 दिन के अन्दर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासकीय अधिकरण को प्रस्तुत करने का प्राविधान है। 3000 एकड़ तक की योजना का विभास कार्य अधिकतम 04 चरणों में किये जाने का प्राविधान है। उक्त हेतु वर्तमान में विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्सियम द्वारा प्रत्येक चरण में 40 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 200 एकड़ भूमि, डिटेल्ड ले-आउट प्लान की स्वीकृति हेतु आवश्यक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत योजना के विकास में कोई रुचि न लिये जाने एवं क्षेत्र विशेष का सुनियोजित विकास बाधित किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण पर हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 के प्रस्ताव -2.1 (1) पर निम्न निर्णय लिया गया:-

"गै0 सहारा इंडिया कामार्शियल कार्पोरेशन का चयन दिनांक 13.04.2005 को लखनऊ में 1784 एकड़ टाउनशिप के विकास हेतु किया गया था, जिसके क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 13.12.2005 को एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया। यद्यपि विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2015 में नए स्थल (2052.15 एकड़) का चयन किया गया और उसके क्रम में दिनांक 02.08.2016 को अमेन्डेड एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया, परन्तु अभी तक मात्र 128 एकड़ भूमि जो कय की गई, जो प्रथम चरण के डिटेल्ड ले-आउट प्लान हेतु वांछित न्यूनतम 200 एकड़ से कम है। इसके अतिरिक्त परियोजना की कन्सोचुवल डी0पी0आर0 अनुमोदित नहीं है और परियोजना की प्रगति शून्य है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-2101, दिनांक 23.08.2018 द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशिप से आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत अन्य किसी के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र का नियोजित विकास अवरुद्ध है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण ने प्रश्नगत क्षेत्र के विकास एवं जनहित में विकासकर्ता का चयन निरस्त किए जाने की संस्तुति की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उच्च स्तरीय समिति द्वारा गै0 सहारा इंडिया कामार्शियल कार्पोरेशन, लखनऊ का चयन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।" (संलग्नक-4)

तदक्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1090/आठ-3-19-227 विविध/2016 दिनांक 26.09.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपनी लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप परियोजना का एम0ओ0यू0 किये जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि में अपेक्षित न्यूनतम भूमि का जुटाव भी नहीं किया जा सका और नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समय-सीमा में कोई कार्य नहीं किया गया। उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में सम्यक विचारोपरान्त उक्त हाईटेक परियोजना का चयन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। (संलग्नक-5)

उक्त के क्रम में आपकी उक्त परियोजना निरस्त की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

8/11/2019  
(प्रमु एन0 सिंह)  
उपाध्यक्ष

o/c

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र वीर सिंह)  
अधिसासी अभियन्ता  
(हा0/इंटी0 सेल)




विषय :- "बटलर पार्क को "वीरांगना उदा देवी पार्क" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।


आख्या :

जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-2091/प्रो0का0/मिशन शक्ति/बी0बी0बी0पी0बैठक/2020-21, दिनांक 24.02.2021 के माध्यम से जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2021 को डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में आयोजित की गयी जिसमें "मिशन शक्ति 2020" एवं "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" योजनान्तर्गत बटलर पार्क, सफेद बारादरी, कैसरबाग, लखनऊ को संशाधित करते हुए वीरांगना उदा देवी पार्क के रूप में विकसित करने के निर्देश प्राप्त थे। तदक्रम में "मिशन शक्ति-2020" एवं "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना" के अन्तर्गत बालिकाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में खेल-कूद मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत विकसित किया जाना है। उक्त पार्क विशेषतः कन्याओं एवं वीरांगनाओं के नाम पर समर्पित हो एवं पार्क के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन हेतु सकारात्मक प्रयास हो जिससे बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं एवं मिशन-2020 अभियान का प्रचार-प्रसार हो इस क्रम में बटलर पार्क को "मिशन शक्ति-2020" के तहत विकसित किया जाना है। "मिशन शक्ति-2020" के तहत विकसित किये जा रहे बटलर पार्क को शासन द्वारा "वीरांगना उदा देवी पार्क" का नाम किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में बटलर पार्क को "मिशन शक्ति-2020" के तहत "वीरांगना उदा देवी पार्क" के नाम से किये जाने हेतु शासन प्रेषित करने एवं "वीरांगना उदा देवी पार्क" के नाम से बोर्ड स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
अनुरुपा कुमारी  
ज्येष्ठ अधिकारी

  
कमलजीत सिंह  
अधिशासी अभियन्ता-उद्यान  
ल०वि०प्रा०

## कार्यालय-जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक C-2091 / प्रो0का0 / मिशन शक्ति / बी0बी0बी0पी0बैठक / 2020-21

दिनांक- 24/02/2021

1. पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध), लखनऊ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. जिला वन अधिकारी, लखनऊ।
4. उपायुक्त, स्वतः रोजगार, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, लखनऊ।
5. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
6. जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियंता, उद्यान, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियंता, इलेक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल, लखनऊ।
10. परियोजना निदेशक, डूडा, लखनऊ।

विषय:- "मिशन शक्ति" एवं बेटों बचाओं बेटों पढ़ाओं योजनान्तर्गत के अंतर्गत बटलर पार्क, सफेद बारादरी, कैसरबाग लखनऊ को लाडली पार्क के रूप में विकसित करने हेतु दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि मिशन शक्ति अभियान एवं बेटों बचाओं बेटों पढ़ाओं योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना के प्रस्तर 2.12 लाडली पार्क बिन्दु में उल्लिखित है कि "बालिकाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में खेल-कूद, मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत बृहद् पार्क का निर्माण किया जायेगा, जो विशेषतः कन्याओं के नाम पर समर्पित किया जाये"। उक्त पार्क के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन हेतु सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे जिससे बेटों बचाओं बेटों पढ़ाओं एवं मिशन शक्ति अभियान का सफल प्रचार-प्रसार होगा।

उक्त के आलोक में अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी) महोदय तथा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूची में लखनऊ के 06 पार्कों क्रमशः बेगम हजरत महल पार्क/ग्लोब पार्क/गुलाब पार्क/राजाराम पार्क/लोहिया पार्क/बटलर पार्क का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से बटलर पार्क, सफेद बारादरी, कैसरबाग लखनऊ को बालिकाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में खेल-कूद, मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत लाडली पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। उपरोक्त पार्क को लाडली पार्क के रूप में विकसित करने के लिये जनपद में आपके विभागों से सहयोग प्राप्त करते हुये कार्य/व्यवस्था/संचालन किया जाना है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में आयोजित की गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में बटलर पार्क, सफेद बारादरी, कैसरबाग लखनऊ को बालिकाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में खेल-कूद, मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत लाडली पार्क के रूप में विकसित करने हेतु दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में आहूत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें ताकि बेटों बचाओं बेटों पढ़ाओं एवं मिशन शक्ति अभियान का सफल प्रचार-प्रसार हो सके।

(सुधाकर शरण पाण्डेय)  
जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
लखनऊ।

d/Mission Shakti

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी), लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), लखनऊ।
5. नाजिर, सदरं कलेक्ट्रेट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि बैठक हेतु सभागार खुलवाने का कष्ट करें।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
लखनऊ।

बोर्ड प्रस्ताव

गोमती नगर विस्तार एवं जानकीपुरम् योजना/जानकीपुरम् विस्तार योजना के 18 मीटर एवं उससे चौड़ी सड़कों को अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने हेतु।

गोमती नगर विस्तार एवं जानकीपुरम् योजना/जानकीपुरम् विस्तार योजना के 18 मीटर एवं उससे चौड़ी सड़कों को अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। उक्त के क्रम में 18 मीटर एवं उससे चौड़ी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को अनुरक्षण हेतु हस्तगत किये जाने पर सहमति बनी।

गोमती नगर विस्तार योजना में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-


18 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	19062 मीटर
24 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	1432 मीटर
30 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	3325 मीटर
45 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	7519 मीटर
<b>कुल लम्बाई</b>	<b>31338 मीटर</b>


जानकीपुरम्/जानकीपुरम् विस्तार योजना में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

18 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	4787 मीटर
24 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	3254 मीटर
30 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	1307 मीटर
45 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लम्बाई	985 मीटर
<b>कुल लम्बाई</b>	<b>10333 मीटर</b>

उक्त योजनाओं में सड़कों का अनुरक्षण वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त सड़कों को अनुरक्षण हेतु स्वामित्व सहित लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने का प्रस्ताव है। हस्तान्तरण के उपरान्त भी जन-सुविधायें यथा सीवर, ड्रेनेज, जल सुविधा का रख-रखाव यथास्थिति प्राधिकरण/नगर निगम/जलकल विभाग द्वारा किया जायेगा।

गोमती नगर विस्तार योजना एवं जानकीपुरम्/जानकीपुरम् विस्तार योजना में उक्त वर्णित सड़कों का स्वामित्व सहित लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

 5/4/21

  
5/4/21  
कोठ को बसला  
अधिसूचना विभाग  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

## बोर्ड प्रस्ताव

विषय संख्या:- 14



पृष्ठ संख्या:-130


विषय- लखनऊ शहर के विकास हेतु सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ शहर के समग्र विकास हेतु सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-643/आठ-1-21-एम0एस0-02/2021 दिनांक 05.04.2021 द्वारा शासन के पूर्व पत्र संख्या-एम0एस02(i)/आठ-1-21-एम0एस0 02/2021 दिनांक 16.02.2021 द्वारा अयोध्या के समग्र विकास हेतु विजन डायग्राम व विस्तृत अवस्थापना /परियोजना प्लान तैयार किये जाने कन्सलटेट चयन सम्बन्धी आर0एफ0पी0 संलग्न कर विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 29.01.2021 में की गयी अपेक्षानुसार लखनऊ शहर हेतु सिटी डेवलपमेन्ट प्लान दिनांक 31.05.2021 तक नियमानुसार तैयार किये जाने की कार्यवाही बोर्ड से अनुमोदित कराकर सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की प्रगति से प्रत्येक माह की आठ तारीख तक शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अयोध्या की तर्ज पर लखनऊ शहर के समग्र विकास हेतु विजन इम्प्लीमेंटेशन एवं इटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान (सिटी डेवलपमेन्ट प्लान) तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेट के चयन सम्बन्धी अद्यतन तैयार कराई गयी मॉडल ड्राफ्ट आर0एफ0पी0 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये इसका परीक्षण कराते हुये स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के आलोक में सुसंगत आर0एफ0पी0 तैयार कराते हुये नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्राप्त निर्देश के क्रम में लखनऊ सिटी डेवलपमेन्ट प्लान हेतु कन्सलटेट चयन हेतु संशोधित आर0एफ0पी0 तैयार करा ली गयी है।

अतः लखनऊ शहर के समग्र विकास हेतु विजन इम्प्लीमेंटेशन एवं इटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान (सिटी डेवलपमेन्ट प्लान) तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
10/8/21  


  
मुख्य अतिरिक्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

पं.सं.

अजय चौहान

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

उपाध्यक्ष कार्यालय

लखनऊ विकास प्राधिकरण

कम्प्यूटर संख्या 199141

दिनांक 07/4/2021

C.E-07/4/2021

सचिव/  
सी. डी. पी.

सेवा में,

आयुक्त,

गोरखपुर/ वाराणसी/झांसी/कानपुर/ लखनऊ /

प्रयागराज/ मेरठ / चित्रकूट धाम / सहारनपुर/आगरा

/बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल, उ०प्र०।

उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 05 अप्रैल  
मार्च, 2021

विषय: अयोध्या नगर के विकास हेतु तैयार किये जा रहे अयोध्या डेवलपमेंट प्लान की तरह अन्य नगरों हेतु सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-एम0एस02(i)/आठ-1-21-एम0एस0 02/2021, दिनांक 16.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपाध्यक्ष, गोरखपुर/वाराणसी/झांसी/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज / मेरठ/सहारनपुर/ आगरा/मथुरा/बरेली, मुरादाबाद, उ०प्र० तथा अध्यक्ष/जिलाधिकारी, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट को अयोध्या के समग्र विकास हेतु विजन डोक्यूमेंट व विस्तृत अवस्थापना/ परियोजना प्लान तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेंट चयन संबंधी आर0एफ0पी0 संलग्न कर विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 29.01.2021 में की गयी अपेक्षानुसार प्रश्नगत नगरों हेतु सिटी डेवलपमेंट प्लान दिनांक 31.05.2021 तक नियमानुसार तैयार किये जाने की कार्यवाही बोर्ड से अनुमोदित कराकर सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की प्रगति से प्रत्येक माह की 08 तारीख तक शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसकी प्रति आपको भी, पृष्ठांकित की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में विजन इम्प्लीमेंटेशन एवं इटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार करने के लिए कन्सलटेंट के चयन संबंधी अद्यतन तैयार कराई गयी माडल ड्राफ्ट आर०एफ०पी० की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इसका परीक्षण कराते हुए स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आलोक में सुसंगत आर0एफ0पी0 तैयार करते हुए नियमानुसार अद्यतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

A.R.(T)

भवदीय,

(अजय चौहान)

सचिव

सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
07/04/2021

A.R.(T)

07-4-21  
मुख्य

लखनऊ विकास प्राधिकरण, 11

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नोएडा नगर हेतु सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने के संबंध में कार्यवाही औद्योगिक विकास विभाग के स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष, गोरखपुर/वाराणसी/झांसी /कानपुर /लखनऊ/प्रयागराज/मेरठ/सहारनपुर /आगरा/मथुरा/बरेली एवं मुरादाबाद, उ०प्र० को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

5/4/2024

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।



## Lucknow City Development Plan (Summary of Work)

Government of Uttar Pradesh envisions to promote "Lucknow" of the state by enhancing city's comprehensive development of physical, institutional, social and economic infrastructure in accordance with modern & innovative Urban planning principles. Since every city beholds unique characteristics and challenges, an inclusive urban development pattern should be adopted which addresses the city needs and its unique characteristic.

A good Environment and strong social organization are two necessities for the formation of a successful city.

Inclusive urbanism and smart growth are attempts to make cities more pleasant and livable.


The purpose of this assignment is to drive economic growth, improve the quality of life of people by strengthening city's inherent potentials, augmenting existing infrastructure and plan its growth which is sustainable and resilient in nature.

Overall Objective is to improve the overall existing city urban structure by introducing innovative inclusive urban models to enhance city's physical, social and economical infrastructure of the city.

Following will be the key goal and outcomes -

- Preparation of Vision plan to promote long term growth & development of the city
- Adopting comprehensive development approach for the city to improve quality of life, creation of employment, boost regional development, improved socio-economic and financial planning to guide city's planned expansion in the future.
- Preparation of City's Business Plan and identification of projects of importance that can be developed through private sector participation.
- Identification of programmes, stakeholders, institutional arrangements and resource requirements adopting project structuring mechanism.

In order to undertake such envisaged development of the city and create a blueprint to meet the objectives of holistic, sustainable and planned development, Government of Uttar Pradesh envisages to prepare the Vision, Implementation strategy and integrated infrastructure plan for "Lucknow" in Uttar Pradesh which will pave the way in further for Project Development, Management & Project implementation support.

  
 मुख्य अभियन्ता  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषय : परिचालन के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने विषयक पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने विषयक प्रस्ताव मा0 सदस्यों द्वारा परिचालन के माध्यम से पारित किया गया था, जो पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।



सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री प्रदीप भार्गव, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
14. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
15. श्री राम कृष्ण यादव, पार्षद, नगर निगम एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।
16. श्री राघव राम तिवारी, पार्षद, नगर निगम एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।
17. श्री संजय सिंह राठौर, पार्षद, नगर निगम एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।
18. श्री मुसव्विर अली "मंशू", पार्षद, नगर निगम एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०।

पत्रांक—

दिनांक :

विषय:— परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक निकट भविष्य में होनी सम्भावित नहीं है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने विषयक प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि कृपया परिचालन के माध्यम से अपना मन्तव्य अंकित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)  
सचिव

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण/  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

.....  
(रजनी कुमार)  
आयुक्त  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

136

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, उ०प्र० शासन,  
लखनऊ।

प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

महानिदेशक,  
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

जिलाधिकारी,  
लखनऊ।

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।


नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
लखनऊ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।

संयुक्त आयुक्त,  
उद्योग, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।


श्री प्रदीप भार्गव,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

  
आवास आयुक्त







लखनऊ विकास प्राधिकरण

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, लखनऊ

(अनूप कुमार श्रौवास्तव)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ० प्र०

  
अनिल कुमार  
प्रबन्ध निदेशक

  
विशेष प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र०  
नियमित भवन, लखनऊ  
8-कैण्ट रोड, लखनऊ, लखनऊ



उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

श्री पी०एन० सिंह,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

.....

श्री पुष्कर शुक्ला,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

.....

श्री राम कृष्ण यादव,  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

.....  
राम कृष्ण यादव  
.....

श्री राघव राम तिवारी,  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

.....

श्री संजय सिंह राठौर,  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

.....  
[Signature]  
.....

श्री मुसव्विर अली "मंशू",  
पार्षद, नगर निगम/  
सदस्य, ल०वि०प्रा०।

.....

## बोर्ड प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

पृष्ठ संख्या.....

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने के संबंध में।


लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निगम, जल संस्थान आदि को हस्तगत कर दिया जाता है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सड़कों का अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग पत्रांक-903/आर-4/2021 दिनांक 22.02.2021 द्वारा निम्न 02 मार्गों को मरम्मत किये जाने हेतु अनापत्ति देने हेतु अनुरोध किया गया है।


1. समतामूलक चौराहे से ताज होटल के सामने से नवनिर्मित उत्तर रेलवे लाइन दिलकुशा-बाराबंकी प्रखंड के किमी. 1090/27-1090/32 के मध्य रेल अधोगामी सेतु होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नं0-4 तक मार्ग।
2. 1090 चौराहा से गांधी सेतु होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग।

उक्त के क्रम में प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या-1543/एए/जीएनवी/2021 दिनांक 01.03.2021 द्वारा मरम्मत हेतु अनापत्ति दे दी गयी है।

पुनः लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वामित्व सहित मार्गों को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित दोनों मार्गों का अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को स्वामित्व सहित हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
 अध्यक्ष  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ


  
 अध्यक्ष  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

महोदय,

राज्य विद्यालय प्राधिकरण की कार्यालय के माध्यम से  
संबंधी प्राप्त कर्तव्य के संबंध में संबंधित कार्य विभाग  
द्वारा राज्य विद्यालय कार्य सुरक्षित विभाग मागों  
का कार्य निष्पत्ति विभाग को सहायता देने वाले संबंधित  
संबंधित को संबंधित में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत है।

1. सहायक शिक्षक चौराहे से राज कौल के समस्त सहायक शिक्षक उत्तर रेलवे लाइन विभाग - का (सहायक) प्रभुओं की किमी 1090/27-1090/32 के माध्यम से रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट मिशन फंड के अंतर्गत एक लाख माग को माध्यम 30 प्रभुओं विभाग से संबंधित कोई प्रयत्न/पूरीवर्ती नहीं है।
2. 1090 चौराहे से गांधी रेलवे लाइन डेवेलपमेंट चौराहे एक लाख माग से 30 प्रभुओं विभाग से संबंधित कोई प्रयत्न/पूरीवर्ती नहीं है।

साथ सूचनाएं प्रेषित।

  
10/04/2021

(आरंभिक प्रभुओं)  
सहायक शिक्षक  
राज्य विद्यालय प्राधिकरण  
राज्य

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ

पत्रांक: 904 / R-4 / 2021

दिनांक: 22 / 02 / 2021

सेवा में:

मुख्य अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

विषय: गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत मार्गों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मार्गों के सतत अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा। लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने वाले मार्गों का विवरण निम्नानुसार है—

1. समतामूलक चौराहे से ताज होटल के सामने से नवनिर्मित उत्तर रेलवे लाइन के दिलकुशा-बाराबकी प्रखंड के किमी० 1090/27-1090/32 के मध्य रेल अधोगामी सेतु होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट न०-4 तक मार्ग।
2. 1090 चौराहा से गांधी सेतु होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें, जिससे लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने संसाधनों से मार्गों की मरम्मत एवं सतत अनुरक्षण का कार्य कराया जा सके एवं आम जन-मानस को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके। हस्तान्तरण होने के पश्चात् मार्गों पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का हो जायेगा।

(राजीव कुमार राय)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य अभियन्ता (म०क्ष०) लो०नि०वि० लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० लखनऊ।
3. सहायक अभियन्ता (नवम) प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० लखनऊ।
4. श्री सुनील कुमार अवर अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत समझ के स्थापित करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

लखनऊ



## लखनऊ विकास प्राधिकरण

<p>प्रेषक, मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।</p>	<p>सेवा में, श्री राजीव कुमार राय, अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ</p>
<p>पत्रांक : 1543 / AAISMV / 2021</p>	<p>दिनांक : 01/03/2021</p>

: विषय :

मार्ग मरम्मत हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या 903/आर-4/2021 दिनांक 22.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि निम्नानुसार उल्लिखित दो मार्गों पर मरम्मत/सुधार कार्य कराये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में है :-

1. समतामूलक चौराहे से ताज होटल के सामने से नवनिर्मित उत्तर रेलवे लाइन दिलकुशा-बाराबंकी प्रखंड के किमी. 1090/27-1090/32 के मध्य रेल अधोगामी सेतु होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नं.-4 तक मार्ग
2. 1090 चौराहा से गोंधी सेतु होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग।

उपरोक्तानुसार उल्लिखित बिन्दु संख्या 1 : समतामूलक चौराहे से ताज होटल के सामने से नवनिर्मित उत्तर रेलवे लाइन के दिलकुशा-बाराबंकी प्रखंड के किमी. 1090/27-1090/32 के मध्य रेल अधोगामी सेतु होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नं.-4 तक मार्ग की मरम्मत एवं बिन्दु संख्या 2 : 1090 चौराहा से गोंधी सेतु होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग की मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(इन्दु शेखर सिंह)  
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0), लो.नि.वि., लखनऊ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ल.वि.प्रा. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशारी अभियन्ता, जोन-1, ल.वि.प्रा. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ

पत्रांक: 903 / R-4 / 2021

दिनांक: 22 / 02 / 2021

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण /  
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

विषय: मार्ग मरम्मत हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित मार्गों पर आपके विभाग का स्वामित्व होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों की मरम्मत हेतु कार्यों के आगपन गठित किये जाने से पूर्व आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र किया जाना आवश्यक है। मार्गों का विवरण निम्नानुसार है—

1. समतामूलक चौराहे से ताज होटल के सामने से नवनिर्मित उत्तर रेलवे लाइन के दिलकुशा-बाराबंकी प्रखंड के किमी० 1090/27-1090/32 के मध्य रेल अधोगामी सेतु होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नं०-4 तक मार्ग।
2. 1090 चौराहा से गांधी सेतु होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त दोनों मार्गों पर मरम्मत/सुधार कार्य कराये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।

(राजीव कुमार राय)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य अभियन्ता (म०क्ष०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. सहायक अभियन्ता (नवम), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. श्री सुनील कुमार, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

लखनऊ

विषय:-अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

आख्या:


मा० सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक, अवध क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी, उ०प्र० के पत्रांक-V/787/5/91, दिनांक 20.05.2021 तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-1527/एन०ए०-8 दिनांक 12.03.2021 के साथ संलग्न कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-169/डब्लू-4/69, दिनांक 03.003.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आशियाना सेक्टर-1, नगर निगम पार्क में वैकल्पिक भूमि का चिन्हांकन किया गया है। किला मोहम्मदी ड्रेन के समानान्तर भूमि में से 800 वर्गमी० (20 मी० X 40मी०) 31 MLD SPS (सीवरेज पम्पिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर कब्जा दिलाने हेतु नगर निगम को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। सन्दर्भित पत्र में आशियाना सेक्टर-एन-1 में नाले एवं रेलवे लाईन के पास स्थित ग्रीन बेल्ट भूमि में (20 मी० X 40मी०) की भूमि पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अनुमति चाही गयी है। उक्त योजना भारत सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसका शिलान्यास मा० रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया है।

उक्त भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत ग्रीन बेल्ट प्रयोजन हेतु आरक्षित है। प्रकरण की समीक्षा में यह तथ्य स्थापित हुआ कि आलमबाग क्षेत्र के 5 वार्डों, गुरु गोविन्द सिंह वार्ड, गुरु नानक वार्ड, ओम नगर वार्ड, बाबू कुंज विहारी वार्ड एवं गीतापत्ती वार्ड में नगर निगम को जलोत्सरण की सुविधा प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्ताव-अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।



**सुरेश चन्द्र तिवारी** विधायक  
पूर्व अध्यक्ष  
अवध क्षेत्र  
भारतीय जनता पार्टी, उ.प्र.



निवास : 1, श्रीराम विहार  
कैलाशपुरी, आलमबाग  
लखनऊ  
मो० : 9415607355

पत्रांक : V/187/5121

दिनांक : 20-5-2021

उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण लखनऊ।

विषय:- अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अशियाना सेक्टर-N-1 में उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपके कार्यालय पत्रांक 16/सचिव/EE-2/2021 दिनांक 05.04.2021


महोदय,

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक संख्या 169/डब्लू-4/69 दिनांक 03.03.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अशियाना सेक्टर-N-1 में नाले एवं रेलवे लाइन के पास स्थित ग्रीन बेल्ट भूमि में 20मीx40मी० की भूमि पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अनुमति चाही गयी है।

जिसके क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के पत्रांक D-1529/M-9-8 के द्वारा आपसे अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि अशियाना सेक्टर-N-1 में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक 16/सचिव/EE-2/2021 दिनांक 05.04.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि 2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय-2.2 खुले स्थान के पैरा 2.2.2(11) के अनुसार, "इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथवे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथवे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत आलमबाग क्षेत्र की दोनो योजनाएं क्रमशः लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-1) स्वीकृत लागत 158.52 करोड़ एवं लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) स्वीकृत लागत रु० 82.52 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2018 में प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत फेज-1 में आलमबाग क्षेत्र के पाँच वार्डों गुरुगोविन्द सिंह वार्ड, गुरुनानक नगर वार्ड, ओग नगर वार्ड, बाबू कुजं बिहारी वार्ड, गीतापल्ली वार्ड में 143 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाने का कार्य एवं फेज-2 में 31 MLD SPS, Rising Main, 34681 No Sewer House connection के द्वारा आलमबाग क्षेत्र के वर्ष 2011 के आधार पर 1.52 लाख जनता को जलोत्सरण की सुविधा प्रदान कर लागावित करने का कार्य किया जाना है। वर्तमान में 47.9 कि.मी. सीवर लेईंग का कार्य जल निगम द्वारा पूर्ण कर लिया गया है एवं पकरी पुल तक शेष सीवर नेटवर्क बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

**सुरेश चन्द्र तिवारी** विधायक  
पूर्व अध्यक्ष  
अवध क्षेत्र  
भारतीय जनता पार्टी, उ.प्र.



निवास : 1, श्रीराम विहार  
कैलाशपुरी, आलमबाग  
लखनऊ  
मो० : 9415607355

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

वर्तमान में SPS निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण 31 MLD SPS, निर्माण का कार्य, 34681 Sewer House connection का कार्य एवं पकरी पुल से आशियाना सेक्टर-एन 1 में LDA द्वारा रेलवे फ्राइंग के नीचे निर्मित बॉक्स कल्वर्ट में बिछायी गयी ट्रंक मेन(1800mm व्यास) के सीवर लाइन तक ट्रंक मेन बिछाने का कार्य, प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 31 MLD STP के निर्माण होने के उपरान्त सीवरेज डिस्ट्रिक्ट जोन-4, (फेज-2) के सीवर हाउस कनेक्शन का प्रारम्भ किया जा सकता है एवं आलमबाग क्षेत्र की सीवरेज योजना (फेज-1, फेज-2) पूर्ण होने के उपरान्त कियान्वयन की जा सकती हैं। उक्त योजना भारत सरकार की प्रातियकता में शामिल है जिसका शिलान्यास मा० रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत अतः आपसे अनुरोध है कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर N-1 में उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्नक: पत्रों की प्रति (कुल पृष्ठ सं० 4)

भवदीय

(सुरेश चन्द्र तिवारी)  
विधायक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय श्री आसुतोष टण्डन जी, नगर विकास मंत्री, उ०प्र० सरकार लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ।

विधायक



## कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या :- 16/सचिव/EE-2/2021 दिनांक :- 05-04-2021	सेवा में, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। नत्थी : .....
--	--

—: विषय :-

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या-डी-1527/एन0ए0-8 दिनांक 12.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में नाले एवं रेलवे लाईन के पास स्थित ग्रीन बेल्ट भूमि में 20मी0X40मी0 की भूमि पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में है। तदक्रम में मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक की आख्या के क्रम में अदगत कराना है कि प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि 2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय-2.2 खुले स्थान के पैरा 2.2.2(11) के अनुसार, "इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथवे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथवे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

कृपया उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(पवन कुमार गंगवार)  
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम को सूचनार्थ।
3. नगर अभियन्ता जोन-8, नगर निगम, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ।

सचिव







कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ  
तृतीय जलकल परिसर, कठौताझील, विकल्प खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ  
Email id- pm\_nlr\_upjn@yahoo.in

149

पत्रांक : 169 / W-4 / 69 दिनांक : 3-3-2021

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
लखनऊ नगर निगम,  
लखनऊ।

अनुस्मारक-3  
पंजीकृत/ई-मेल

विषय- अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन 1 में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-
1. कार्यालय के पत्रांक 10/W-1/03 दिनांक 12.09.2019 (संलग्नक-1)।
  2. कार्यालय के पत्रांक 136/W-1/36 दिनांक 31.10.2019 (संलग्नक-2)।
  3. कार्यालय के पत्रांक 102/W-1/40 दिनांक 11.02.2020 (संलग्नक-3)।
  4. कार्यालय के पत्रांक 208/डब्ल्यू-1/62 दिनांक 23.11.2019 (संलग्नक-4)।
  5. महसूलदार नगर निगम लखनऊ के कार्यालय पत्रांक डी-818/का०त०/20 दिनांक 14.01.2020 (संलग्नक-5)।
  6. कार्यालय के पत्रांक 169/W-1/74 दिनांक 28.05.2020 (संलग्नक-6)।
  7. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय पत्रांक 1220/1005(अमृत)/035-2038/20 दि० 17.09.20 (संलग्नक-7)।
  8. कार्यालय के पत्रांक 21/W-4/14 दिनांक 15.01.2021 (संलग्नक-8)।
  9. महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०ई०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 176/डब्ल्यू-53/20 दिनांक 18.01.21 (संलग्नक-9)।
  10. कार्यालय के पत्रांक 91/डब्ल्यू-4/36 दिनांक 04.02.2021 (संलग्नक-10)।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप को अवगत कराना है कि उक्त पत्रों के द्वारा अमृत कार्यक्रम में 31MLD सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु पूर्व में प्रस्तावित भूमि ग्राम कासिमपुर पकरी, तहसील- सरीजनी नगर, जिला - लखनऊ की खसरा संख्या - 113 विवादस्पद होने के कारण, प्रस्तावित भूमि के स्थान पर आशियाना सेक्टर - 1 नगर निगम पार्क में वैकल्पिक भूमि का चिन्हांकन किया गया। दिनांक 04.02.2021 को अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, जोन-8 के साथ उक्त वैकल्पिक भूमि एवं आशियाना सेक्टर- एन-1 में किला मोहम्मदी ड्रेन के समानान्तर नगर निगम के उपलब्ध भूमि का निरीक्षण किया गया। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 91/डब्ल्यू-4/36 दिनांक 04.02.2021 के द्वारा आशियाना सेक्टर एन-1 किला मोहम्मदी ड्रेन के समानान्तर भूमि में से 800 वर्ग मी० (20मी०X40मी०) 31MLD SPS (सीवरेज पम्पिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर कब्जा दिलाने हेतु नगर निगम को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि नगर निगम द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। आलमबाग क्षेत्र की दोनो योजनाओं (फेज-1, फेज-2) की नमामि गंगे में 80 MLD विजनर में STP की स्वीकृति हेतु PD, SMCG के कार्यालय पत्रांक 510/369T/SMLG UP/02 दिनांक PD, SMCG द्वारा DG, NMCG को प्रेषित है। STP की योजना (नमामि गंगे) में स्वीकृति के विलम्ब को देखते हुए यदि नगर निगम द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध करा दी जाए तो 31 MLD SPS का निर्माण कराया जा सकता है। और उक्त Sewage को समीप के नाले में पम्प किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि NMCG की 80 MLD STP के निर्माण या 31 MLD SPS के निर्माण होने के उपरान्त सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4, (फेज-2) के सीवर हाउस कनेक्शन का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। एवं आलमबाग क्षेत्र की सीवरेज योजना (फेज-1, फेज-2) पूर्ण होने के उपरान्त क्रियान्वयन की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आशियाना सेक्टर एन-1 किला मोहम्मदी ड्रेन के समानान्तर भूमि में से 800 वर्ग मी० (20मी०X40मी०) 31MLD SPS (सीवरेज पम्पिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर कब्जा दिलाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(अजीत कुमार सिंह)  
परियोजना प्रबन्धक

पु०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (म०श०), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम जोन-8, लखनऊ।
6. ई० सुरेन्द्र सिंह परमार, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर भूमि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रबन्धक



Proposed road  
 access. Aligned

Pauline Xing

विषय सं०: 17

पृष्ठ सं०-151

विषय:—मेसर्स राजयोग एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, द्वारा ग्राम—मोअज्जमनगर, खसरा संख्या—4 पार्ट, खसरा—7, खसरा—2ख, पर लॉजिंग/बोडिंग हाउस के संबंध में।


आख्या:

मेसर्स राजयोग एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, द्वारा ग्राम—मोअज्जमनगर, खसरा सं०—4 पार्ट, खसरा—7, खसरा—2ख, पर आनलाईन सिस्टम के माध्यम से मानचित्र संख्या—एल.डी.ए./बीपी/20-21/0855 दिनांक 14.10.2020 लॉजिंग/बोडिंग हाउस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग सहयुक्त नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कपूरथला, लखनऊ के पत्र सं०—505/लखनऊ महा.—2031/ भू-उपयोग/ ल०ख०/2020-21 दिनांक 09.02.2021 एवं लखनऊ महायोजना—2031 के अनुसार यातायात एवं परिवहन (बस टर्मिनल—बी.टी.) के अन्तर्गत है, जिसमें प्रस्तावित किया मूल भू-उपयोग से इतर होने के कारण जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के अन्तर्गत आती है, जिसमें ऐसे प्रत्येक मामलों में लखनऊ महायोजना—2031 के प्रस्तर 9.3 के प्राविधानों के अनुसार गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उक्त के क्रम में समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 को प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। महायोजना में इंगित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समीक्षा/परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार अपनी संस्तुति दी गयी—

“समिति आपत्ति/सुझाव आमंत्रण हेतु लोक महत्व के 02 दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रारूप प्रकाशन किये जाने की संस्तुति करती है। यदि उक्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उक्त पर नियमानुसार सुनवाई करने के उपरान्त अथवा आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में मानचित्र स्वीकृति हेतु देय शुल्कों व प्रतिबन्धों के अधीन प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति करती है।” (संलग्न)

उपरोक्त के क्रम में आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 02.04.2021 को प्रकाशित कराया गया। उक्त प्रकाशन पर प्राधिकरण में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मेसर्स राजयोग एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, द्वारा ग्राम—मोअज्जमनगर, खसरा सं०—4 पार्ट, खसरा—7, खसरा—2ख, पर लॉजिंग/बोडिंग हाउस का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव—दिनांक 02.04.2021 को प्रकाशित आपत्ति/सुझाव के क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव न प्राप्त होने के दृष्टिगत मेसर्स राजयोग एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, ब्रहाकुमारी, “आत्मा चिन्तन भवन” द्वारा ग्राम—मोअज्जमनगर, खसरा संख्या—4 पार्ट, खसरा—7, खसरा—2ख, पर लॉजिंग/बोडिंग हाउस के का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
अतुल शर्मा  
अवर अभियन्ता

भूखण्ड संख्या-2ख, 4 व 7 का मिनजुमला ग्राम-मोअज्जम नगर, तहसील-मोहनलालगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित लॉजिंग/बोर्डिंग हाउस के मानचित्र स्थल के परीक्षण हेतु लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित विशेष अनुमति से अनुमन्य मानचित्रों की समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-

1. श्री पवन कुमार गंगवार सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. श्री नितिन मित्तल मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. श्रीमती स्मिता निगम ए0टी0पी0/सी0टी0सी0पी00 कार्यालय
4. श्री रामकृष्ण यादव पार्षद, नगर निगम-लखनऊ/सदस्य ल0वि0प्रा0 बोर्ड

मेसर्स राजयोग एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, ब्रह्माकुमारीज, "आत्म चिन्तन भवन" इन्स्टीट्यूशनल एरिया, वी0आई0पी0-4, विपुल खण्ड-6, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा ग्राम-मोअज्जमनगर, खसरा सं0-4 पार्ट, खसरा-7, खसरा-2ख, पर यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 सिस्टम के माध्यम से मानचित्र संख्या-एल.डी.ए./बीपी/20-21/0855 दिनांक 14.10.2020 लॉजिंग/बोर्डिंग हाउस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग सहयुक्त नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कपूरथला, लखनऊ के पत्र सं0-505/लखनऊ महा. -2031/भू-उपयोग/ल0ख0/2020-21 दिनांक 09.02.2021 एवं लखनऊ महायोजना-2031 के अनुसार यातायात एवं परिवहन (बस टर्मिनल-बी.टी.) के अन्तर्गत है, जिसमें प्रस्तावित किया मूल भू-उपयोग से इतर होने के कारण जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं के अन्तर्गत आती है, जिसमें ऐसे प्रत्येक मामलों में निम्न समिति द्वारा अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है:-


- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।
- अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नामित बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य।

महायोजना-2031 के प्रस्तर 9.3 के प्राविधान के अनुसार समिति द्वारा इंगित व्यवस्थाओं का परीक्षण करते हुए उनके सम्मुख अपनी संस्तुति अंकित की गयी है, जो निम्नवत है:-

क्र0	प्राविधान	संस्तुति
1	प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।	उक्त प्राविधान से आच्छादित नहीं है।
2	प्रस्तावित किया यथा-सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकरण रूप में स्थित हों	उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ के पत्र सं0-191/एस.टी./ओअज्जमनगर/21 दिनांक 19.02.2021 के अनुसार उक्त संस्था/परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ-सुल्तानपुर रोड से 12.00 मी0 चौड़े सम्पर्क मार्ग पर स्थित है।
3.1	भवन का प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा	प्रश्नगत प्रस्ताव से प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

	यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।	
3.2	प्रस्तावित अन्य क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राइवैसी भंग न हो।	प्रस्तावित प्रस्ताव से किसी अन्य की प्राइवैसी भंग नहीं होगी।
3.3	प्रस्तावित क्रिया के कारण अधिकतम एफ0ए0आर0 एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।	प्रश्नगत मानचित्र प्रभावी निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।
3.4	किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया अनुमत्य किये जाने की दशा में पार्किंग /मार्ग विस्तार/ सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।	प्रश्नगत प्रस्ताव निजी स्वामित्व की भूमि पर दिया गया है।

अतः समिति आपत्ति/सुझाव आमंत्रण हेतु लोक महत्व के 02 दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रारूप प्रकाशन किये जाने की संस्तुति करती है। यदि उक्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उक्त पर नियमानुसार सुनवाई करने के उपरान्त अथवा आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में मानचित्र स्वीकृति हेतु देय शुल्कों व प्रतिबन्धों के अधीन प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति करती है।



(रामकृष्ण यादव)

गैर सरकारी सदस्य/पार्षद  
नगर निगम, लखनऊ/सदस्य  
ल0वि0प्रा0 बोर्ड,



(स्मिता निगम)

प्रतिनिधि,  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,  
उत्तर प्रदेश,  
सदस्य



(नितिन मित्तल)

मुख्य नगर नियोजक,  
ल0वि0प्रा0






(पवन कुमार गंगवार)

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
नामित अधिकारी

भूखण्ड खसरा सं० 2ख, 4 व 7 का मिनजुमला ग्राम मोअज्जम नगर, तहसील मोहनलाल गंज सुलतानपुर रोड लखनऊ पर प्रस्तावित लॉजिंग/बोर्डिंग हाउस के मानचित्र स्थल के परीक्षण हेतु लखनऊ महायोजना 2031 में प्रस्तावित विशेष अनुमति से अनुमत्य मानचित्रों की समिति की बैठक दिनांक: 31.03.2021 में उपस्थिति

क्रम	सदस्य/नामित का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्रीम कृष्ण भास्व	पार्षद उत्तर प्रदेश डी.ए.एस.	
2	श्रीमता निगम	ATP/ CTCP OFFICE	
3	पवन कुमार गंगवार	ए.ए.ए. LDA	
4			
5			
6			
7			